लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

Preservation Unit
18-6-82
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 55 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 58—गुरुवार, 12 मई, 1966/22 वैशाख, 1888 (शक)

No. 58—*Thursday, May* 12, 1966/*Vaisakh* 22, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1631	भारत में गृह-निर्माण संबंधी योजनायें	Housing Schemes in India	8419–21
1632	1966-67 के लिये राज्यों की योजनायें	States Plans for 1966-67	8422–26
1633	राष्ट्रमण्डलीय स्वास्थ्य संस्था	Commonwealth Health Parliament	8426–28
1634	कोसी बिजली घर	Kosi Power House . . .	8428–29
1635	राष्ट्रीय बचत-पत्र	National Savings Certificates .	8429
1636	सिंचाई और विद्युत् के लिये बृहद् योजना	Master Plan for Irrigation and Power	8430
1637	लोह खड्डे वाली भूमि	Ravine Lands	8433–35
1638	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme .	8435–36

अल्प सूचना प्रश्न/SHORT NOTICE QUESTION

अ० सु० प्र०			
30	दिल्ली में पानी की कमी	Water Shortage in Delhi . .	8436–39

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1639	कोसी नदी	Kosi River	8439
1640	पहाडी क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas .	8439–40
1641	बम्बई और राजस्थान में छापे	Raids in Bombay and Rajasthan	8440
1642	पर्वतीय क्षेत्रों का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Hill Areas	8440–41
1643	ब्रिटेन से सहायता	AID from UK. . . .	8441
1644	सिंचाई परियोजनाओं का केन्द्रीय नियंत्रण	Central Control of Irrigation Projects	8441
1645	मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा निजी चिकित्सा वृत्ति	Private practice by Principals of Medical Colleges . . .	8442
1647	आयकर की बकाया राशि का बट्टे खाते में डाला जाना	Income-Tax arrears written off .	8442–43

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव मे पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—74 L. S./66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1648	राज्यों में प्रति व्यक्ति आय	Per capita Income in States .	8443
1649	केरल के अराजपत्रित अधिकारी	N.G.O.s of Kerala . . .	8443
1650	विदेशी पूंजी विनियोजन के लिये प्रोत्साहन देने की शर्तों को उदार करना	Liberation for Attracting Foreign Investment	8444
1651	नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना	Gold seized at Palam Airport, New Delhi	8444
1652	चौथी योजना में सिंचाई और बिजली परियोजनाएं	Irrigation and Power Projects in Fourth Plan	8444-45
1653	गंडक परियोजना	Gandak Project. . . .	8445
1654	रिजर्व बैंक द्वारा "पी" फार्मों का जारी किया जाना	Issue of 'P' Forms by Reserve Bank	8445–46
1655	नर्मदा नदी परियोजना	Narmada River Project . .	8446
1655क	ब्रिटेन में श्रीमती मुंदडा द्वारा शेयर खरीद रखना	Holding of shares by Shrimati Mundra in U. K. . . .	8446
1656	विश्व बैंक का कृषि उत्पादन संबंधी प्रतिवेदन	Report of World Bank on Agricultural Production . .	8446–47
1657	चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई कार्यक्रम	Irrigation Programme during Fourth Plan . . .	8447
1658	पश्चिमी कोसी नहर	Western Kosi Canal . .	8447
1659	तस्करी में एक संसद् सदस्य की कार का प्रयोग	M.P.'s Car involved in Smuggling	8448
1660	एक भूतपूर्व संसद् सदस्य की मृत्यु के बारे में जांच	Enquiry into the Death of Ex-M.P.	8448

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
5391	केरल भूमि सुधार अधिनियम	Kerala Land Reforms Act	8448–49
5392	अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति	Committee on Untouchability	8449
5393	केरल में नर्सें	Nurses in Kerala . . .	8449–50
5394	महाराष्ट्र में ग्राम जल संभरण योजनाएं	Rural Water Supply Schems in Maharashtra . . .	8450
5395	दिल्ली में चिट फंड कम्पनियां	Chit Fund Companies in Delhi .	8450
5396	कानपुर में केन्द्रीय सरकार का वित्तीय कार्य	Central Government's Financial work at Kanpur . . .	8451
5397	बाल शिक्षा भत्ता	Children Educational Allowance	8451
5398	मद्रास राज्य के लिये जल संभरण योजनायें	Water Supply Schemes for Madras State . . .	8452

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5399	तवा बहु-प्रयोजनीय परियोजना	Tawa Multi-purpose Project .	8452
5400	उडीसा में अनुर्वरीकरण (स्टेरे-लाइजेशन) आपरेशन	Sterilization Operations in Orissa	8453
5401	उडीसा में परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र	Family Planning Traning Centres in Orissa	8453
5402	सलुंकी नदी पर पन बिजली परियोजना	Hydro-Electric Project on Salunki River	8454
5403	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के संगठन	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Organisations . . .	8453
5404	"लूप" का प्रचार करने वाले बोर्डों और इश्तहारों का हटाया जाना	Removal of Hoardings Publicising Loops	8454–55
5405	पलाई सेंट्रल बैंक	Palai Central Bank . . .	8455
5406	दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किय बैठे व्यक्ति	Unauthorised Occupants of Government quarters in Delhi	8455
5407	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वायर मैन	Wiremen in C.P.W.D. . .	8455–56
5408	दिल्ली में अनधिकृत निर्माण कार्य	Unauthorised Constructions in Delhi	8456
5409	आदिम जाति विकास खण्ड	Tribal Development Blocks .	8456–57
5410	सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Government Employees . . .	8457
5411	कार्यालय के लिये स्थान की कमी	Shortage of Office Accommodation	8458
5412	विदेशों के दौरों के लिये विदेशी मुद्रा में कमी	Cut in Foreign Exchange on Tours Abroad . . .	8458–59
5413	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध	Foreign Exchange Restrictions .	8459
5414	सीमा-शुल्क की वसूल न की गई राशि	Unrealised Customs Duty . .	8459–60
5415	कृष्णा-गोदावरी नदी जल विवाद	Krishna-Godavari Water Dispute	8460
5416	दुर्गापुर बराज	Durgapur Barrage . . .	8460
5417	दुर्गापुर नौवहन नहर	Durgapur Navigational Canal .	8460–61
5418	आयकर कानून	Income-Tax Laws . . .	8461
5419	बिहार में अनुसूचित आदिम जातियां	Schedule Tribes in Bihar . .	8461–62
5420	राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये सोना देने के लिये भूतपूर्व राजा महाराजाओं की अपील	Appeal by Former Rulers to contribute gold for Defence Fund	8462

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5421	प्राकृतिक संसाधनों की आर्थिक अवस्था	Economics of natural Resources	8462
5422	समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance . . .	8462–63
5423	मूत्राशय में पत्थरी को नष्ट करने का नया तरीका	New Technique to destroy stones in Urinary blader . . .	8463
5424	ऋणों के उपयोग की जांच करने के लिये मूल्यांकन संस्था	Evaluation Organisation to Examine utilisation of Loans .	8463–64
5425	उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजाएं	Irrigation Projects in U.P.	8464
5426	उत्तर प्रदेश में अनुसन्धान योजनाएं	Research Schemes in U.P.	8464
5427	सिन्धु नदी जल आयोग	Indus Water Commission .	8464–65
5428	बम्बई में सोने की तस्करी	Gold Smuggling in Bombay	8465
5429	धार्मिक स्थानों के लिये वक्फ बोर्ड	Wakf Board for Religious Shrines	8465
5430	दिल्ली में सोने की तस्करी	Gold Smuggling in Delhi . .	8466
5431	पंजाब में कुष्ठ निवारण केन्द्र	Leprosy Control Centres in Punjab	8466
5432	पंजाब का विकास	Development of Punjab .	8466–67
5433	पंजाब में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	Slum Clearance in Punjab.	8467
5434	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, उडीसा	Central Excise Department, Orissa.	8467
5435	उड़ीसा में गृह-निर्माण योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	L. I. C. Loan for Housing Schemes in Orissa. . .	8467–68
5436	गर्भ निरोधक सामग्री	Contraceptives . . .	8468
5437	उड़ीसा में कमी वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था	Supply of drinking water to scarcity areas in Orissa . .	8468–69
5438	पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को औद्योगिक ऋण	Industrial Loans to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Punjab	8469
5439	सोने का मूल्य	Price of Gold .	8469
5440	आदिम जाति कल्याण	Tribal Welfare	8469
5441	कलकत्ता के चारों ओर वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे	Circular Railway Around Calcutta	8470
5442	मद्रास में घड़ियों की तस्करी	Smuggling of Watches in Madras	8470
5443	अस्पृश्यता	Untouchability . .	8470–71
5444	लेखा बाह्य धन	Unaccounted Money	8471
5445	देहातों में डाक्टरों की कमी	Shortage of doctors in village .	8471–72

ता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5446	सूरज कुण्ड का विकास	Development of Suraj Kund .	8472
5447	बम्बई में निर्यात आयात करने वाली फर्म पर छापा	Raid on Export Import Firm, Bombay	8472
5448	बीमा सम्बन्धी समस्याएं	Insurance Problems . .	8472–73
5449	परिवार नियोजन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रदल का प्रतिवेदन	U. N. Team Report on Family Planning	8473
5450	संसद् सदस्यों का क्रिकेट मैच	Parliamentary Cricket Match .	8473
5451	लाजपत नगर, नई दिल्ली में अस्पताल	Hospital in Lajpat Nagar, New Delhi	8473–74
5452	त्रिवेन्द्रम में गर्भ निरोधक पदार्थ बनाने का कारखाना	Contraceptive Factory in Trivandrum	8474
5453	बम्बई तथा राजस्थान में छापे	Raids in Bombay and Rajasthan	8474
5454	व्यापारी माल सम्बन्धी तकनीकी समिति	Technical Committee on Capital Goods	8475
5455	गेहूं का उत्पादन	Production of Wheat . .	8475
5456	आदिम जातियों वाले क्षेत्रों को आयकर से छूट	Exemption from Income tax to Tribal Areas	8475–76
5457	नई दिल्ली में खोमचे वालों के लिये लाइसेंस	Licences for hawkers in New Delhi	8476
5458	सनलाइट कालोनी और अम्बेदकर नगर, दिल्ली	Sunlight Colony and Ambedkar Nagar, Delhi . . .	8477
5459	दिल्ली में कृषियोग्य भमि	Cultivable Lands in Delhi . .	8477
5460	हाथरस में नकली हींग का पकड़ा जाना	Artificial Asfoetida recovered in Hathras . . .	8478
5461	दिल्ली में क्षय रोग के अस्पताल	T. B. Clinics in Delhi .	8478–79
5462	सिल्वर जुबली तपेदिक अस्पताल, दिल्ली	S.J.T.B. Hospital, Delhi .	8479
5463	ग्राम-शहर संपर्क समिति	Rural-Urban Relationship Committee	8479–80
5464	सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects . . .	8480
5465	अपूर्ण आयोजन योजनाएं और परियोजनाएं	Unfinished Plan Schemes and projects	8480–81
5466	प्रदर्शनी मैदान में सरकारी कार्यालय	Government Offices in Exhibition Grounds	8481
5467	महानदी नदी की नौगम्यता	Navigability of River Mahanadi	8481
5468	स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Staff working in Health Ministry .	8481–82
5470	हरिजन कल्याण केन्द्र, करनाल	Harijan Welfare Centre, Karnal	8482

अता०प्र०संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5471	अमरीका के साथ किया गया ऋण करार	Loan Agreement signed with U.S.A.	8482–83
5472	जीवन बीमा निगम के कर्मचारी	Life Insurance Corporation Employees	8483–84
5473	कुट्टीयाडी सिंचाई योजना	Kuttiyadi Irrigation Scheme	8484
5474	पजहास्सी सिंचाई योजना	Pazhassi Irrigation Scheme	8484
5475	सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान	Accommodation for Government Servants	8484–86
5476	दिल्ली और शिमला में अधिकारियों के लिये सरकारी मकान	Government Accommodation or Officers in Delhi and Simla	8486–87
5477	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य भारित कर्मचारी	C.P.W.D. Work charged staff	8487
5478	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के फालतू अनुभाग अधिकारी	Surplus Section Officers of C.P.W.D.	8487–88
5479	कम्पनियों पर प्रत्यक्ष कर	Direct Taxes on Companies	8488
5480	गया में सोने की तस्करी	Gold Smuggling at Gaya	8488
5481	बी० सी० जी० का टीका	B.C.G. Vaccination	8489
5482	मल्यों में वद्धि	Rise in prices	8489
5483	अशोक होटल में हड़ताल	Strike in Ashoka Hotel	8489–90
5484	सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण के लिये क्षेत्रीय योजनाएं	Regional Plans for Irrigation, Power and Flood Control	8490
5485	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें	Industrial Training Institutes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Orissa	8490
5486	उडीसा के आदिम जातीय क्षेत्रों में अस्पताल	Hospitals in Tribal Areas of Orissa	8490–91
5487	आदिम जातीय तथा ग्राम कल्याण विभाग, उड़ीसा	Tribal and Rural Welfare Department, Orissa	8491
5488	सशस्त्र सेनाओं के वित्त पर समेकित नियंत्रण	Integrated Financial Control of Armed Forces	8491
5489	यमुना नदी पर जलाशय	Reservoir on the Jamuna	8492
5490	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति	Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Orissa	8492
5491	उड़ीसा में आदिम जातीय प्रधान प्रशिक्षिण संस्थाएं	Tribal Orientation Training Institue in Orissa	8492–93
5492	उड़ीसा में औद्योगिक मकान निर्माण योजना	Industrial Housing Scheme in Orissa	8493
5493	उड़ीसा में चेचक	Small-Pox in Orissa	8493–94

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5494	मोनीभद्रा बांध परियोजना	Manibhadra Dam Project . .	8494
5495	मैट्रिक से पूर्व तथा मैट्रिक के बाद छात्र-वृत्तियां	Pre-Matric and Post-Matric Scholarships	8494–95
5496	उड़ीसा में प्रायोगिक परियोजनाएं	Pilot Project in Orissa . .	8495
5497	उड़ीसा की अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्राथमिक शिक्षा	Primary Education for Scheduled Tribes in Orissa . . .	8495–96
5498	उड़ीसा के आदिवासी जीवन का चित्रण करने वाले रूपक चलचित्र	Feature Films depicting Adivasi Life of Orissa . . .	8496
5499	तूतीकोरिन में तापीय विद्युत् संयंत्र	Tuticorin Thermal Plant . .	8496
5500	श्री राम रतन गुप्त के विरुद्ध जीवन बीमा निगम की डिक्री	L.I. C. Decree against Shri Ram Rattan Gupta . . .	8496–97
5501	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	Lakshmi Ratan Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur . .	8497
5502	आन्ध्र प्रदेश की जल संभरण योजना	Andhra Pradesh Water Supply Schemes	8498
5503	आन्ध्र प्रदेश की जल संभरण योजनायें	Andhra Pradesh Water Supply Schemes	8498
5504	जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कार्य	Business Transacted by L.I.C. .	8498
5505	उज्जैन में अपूर्व रोग	Rare Disease in Ujjain	8499
5506	केन्द्रीय सरकार के लेखन सामग्री कार्यालय की पुनर्गठन योजना	Central Government Stationery Office—Re-organisation Scheme	8499–8500
5507	स्वर्ण बाण्ड योजना	Gold Bonds Scheme . . .	8500
5508	भारत सरकार का लेखन सामग्री कार्यालय	Government of India Stationery Office	8500
5509	छापों के दौरान पकड़ी गई हुंडियां	Hundis seized during Raids	8501
5510	धन संचय और शहरी सम्पत्ति में सट्टेबाजी	Concentration of Wealth and Speculation in Urban Properties .	8501
5511	दिल्ली आय-कर कार्यालय के एक कर्मचारी द्वारा आत्महत्या	Suicide by Delhi Income-Tax Office Employee . . .	8502
5512	कालीकट में अराजपत्रित अधिकारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for N.G.Os. in Calicut	8502
5513	केरल में होस्टल	Hostels in Kerala . .	8502–03
5514	अफ्रीका तथा एशियाई देशों को भारतीय ऋण	Indian Credit to African and Asian Countries	8503
5515	श्रीलंका को ऋण	Loan to Ceylon .	8503
5516	लेखाबाह्य धन	Unaccounted Money . .	8503–04

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
5517	विकलांग व्यक्तियों को व्यवसायों में लगाने के सम्बन्ध में गोष्ठी	Seminar on Vocational Rehabilitation of Handicapped . .	8504
5518	झुग्गियों का किराया	Rent for Jhuggis . .	8504
5519	दक्षिणी ग्रिड	Southern Grid	8505
5520	असहाय रोगियों की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर सीमा-शुल्क लिया जाना	Customs Duty charged on Articles required by helpless Patients .	8505
5521	लक्ष्मी बैंक आफ अकोला	Laxmi Bank of Akola . .	8505–06
5522	सरकारी मेडिकल स्टोर, करनाल	Government Medical Store, Karnal	8506
5524	एयर इंडिया के महा प्रबन्धक द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violations by Air India's General Manager .	8506–07
5525	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ऋण संस्थाएं	Credit Institutions for Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	8507
5526	आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas of Assam	8507
5527	गर्भनिरोधक गोलियां	Contraceptive pills . . .	8508
5528	अखिल भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा पालन संस्था	All-India Audit and Accounts Association	8508
5529	एडामूलायार योजना	Edamulayar Scheme . . .	8509
5530	इडिक्की जल-विद्युत् परियोजना	Idikki Hydro-electric Project .	8509
5531	आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का उत्पादन	Tobacco Production in Andhra Pradesh.	8509–10
5532	हथकरघा उद्योग द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सूत पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Yarn used by Handloom Industry . . .	8510
5533	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by L.I.C. Employees .	8510–11
5534	द्वितीय श्रेणी के आय-कर अधिकारी पद के लिये परीक्षा	Income-tax Officers Class in Examination	8511
5535	अमरीकी सहायता	U.S. Aid .	8511–12
5536	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का प्रतिनिधिमण्डल	I.B.R.D. Mission	8512
5537	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये अमरीकी सहायता	U.S. Aid for Public Sector Industries	8512–13
5538	केरल में स्थानीय निकाय विभाग के अधीन दाइयां	Midwives under Local Bodies Department in Kerala . .	8513
5539	गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना	Rural Electrification in Gujarat .	8513

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
5540	हिन्दी संस्थाओं को अनुदान	Grants to Hindi Institutions .	8514
5540-क	केरल के अराजपत्रित अधिकारी	Kerala N. G. Os. . .	8514
5540-ख	भूमि के मूल्यों में लाभखोरी	Profiteering in Land Prices . .	8514
5540-ग	पत्थर तोड़ सहकारी समिति	Stone crushing co-operative Society	8515
5541	उड़ीसा में मछुओं का कल्याण	Welfare of Fishermen in Orissa .	8515
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	लगभग 1000 सशस्त्र विद्रोही नागाओं द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से मिजो जिले में प्रवेश के समाचार	Reported entry of about 1,000 armed Naga hostiles into Mizo district from East Pakistan .	8516–19
ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)		Re. Calling Attention Notice (Query)	8519
नियम 376 और 377 के अधीन बातों के बारे में		Re. Points under Rules 376 and 377	8519
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table .	8520
सदस्य की गिरफ्तारी (श्री राम सेवक यादव)		Arrest of Member (Shri Ram Sewak Yadav) . . .	8520
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—		Committee on Absence of Members—	
	सत्रहवां प्रतिवेदन	Seventeenth Report . .	8521
योजना मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा की यात्रा के बारे में समाचारों के सम्बन्ध में वक्तव्य—		Statement Re. Press Reports on Planning Minister's visit to U.S.A. and Canada—	
	श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta .	8521–23
निदेश 115 के अधीन वक्तव्य के बारे मे		Re. Statement under Direction 115	8523
विषेषाधिकार के प्रश्न के बारे में		Re. Question of Privilege .	8524
भारत के खाद्य निगम के कर्मचारियों की भूख हड़ताल के बारे में		Re. Hunger Strike by F.C.I. Employees	8525
उपज उपकर विधेयक—		Produce Cess Bill—	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
	श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayn Das	8526–27
	श्री रंगा	Shri Ranga . .	8527–28
	श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	8529–31
खण्ड 2 से 23 और 1		Clause 2 to 23 and 1—	
	पास करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended .	8531–33

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
उडीसा विधान-सभा (कार्यावधि का बढाया जाना) विधेयक—	Orissa Legislative Assembly (Extension of Duration) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G. S. Pathak . .	8533
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	8533–34
श्री रामचन्द्र मलिक	Shri Rama Chandra Mallick	8534
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravarty.	8534–35
श्री रंगा	Shri Ranga . .	8535
श्री ह० च० सोय	Shri H. C. Soy . . .	8535
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy.	8536
वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन के संबंध में गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. Statement of Home Minister on reorganisation of the Present State of Punjab—	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	8536–37
श्री दलजीत सिंह	Shri Daljit Singh . . .	8538
श्री गुलशन	Shri Gulshan . . .	8538–39
श्री लहरी सिंह	Shri Lahri Singh . . .	8539
श्री दे० द० पुरी	Shri D. D. Puri . . .	8539–40
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao . .	8540–41
सभा का कार्य	Business of the House . .	8541
आधे घंटे की चर्चाएं—	Half-an-hour Discussions—	
(एक) सेनाओं के हटाये जाने के बारे में जनरल मरम्बियो की बात चीत—	(i) General Marambio's talks regarding withdrawal of Forces—	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	8541–42
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Chavan . . .	8543–44
(दो) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक—	(ii) Instructors of National Discipline Scheme—	
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti . .	8544
श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakt Darshan . .	8545–46

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरूवार, 12 मई, 1966/22 वैशाख, 1888 (शक)
Thursday, May 12, 1966/Vaisakh 22, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत में गृह-निर्माण संबंधी योजनायें

+

*1631. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री बागड़ी :**

श्री विश्राम प्रसाद : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गृह-निर्माण संबंधी योजनाओं की प्रगति बहुत धीमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में मकान संबंधी समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य कारण है राज्य सरकार के द्वारा आवास योजनाओं के लिए समुचित निधिओं की व्यवस्था न करना। वर्ष के दौरान कुछ मामलों में अपर्याप्त व्यवस्था को भी अन्य विकास-परियोजनाओं में लगा दिया गया।

(ग) आवास के लिए चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान योजना (प्लान) तथा जीवन बीमा निगम निधियों की दोनों निधियों से और अधिक नियतन का प्रयत्न किया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh : May I know the reason for reduction in the amount or total stoppage of the scheme, whenever the question of economy in the Plan arises ?

श्री भगवती : जहां तक गृह-निर्माण का सम्बन्ध है, यह एक बड़ी कटौती है । माननीय सदस्य जानते हैं कि जब आपात की घोषणा की गई तो गृह-निर्माण के अतिरिक्त अन्य बातों की मांग अधिक थी। सामान्य विचार यह था कि गृह-निर्माण पर जो राशि व्यय की जाती है, वह अनुत्पादक प्रयोजनों के लिए होती है। यह ठीक विचार नहीं है परन्तु उसके कारण धन गृह-निर्माण के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए लगाना पड़ा और आवास की समस्या बहुत बड़ी समस्या है।

Shri Yashpal Singh : Will the Government be pleased to state the amount being spent in the rural areas and urban areas separately and the proportion between them ?

श्री भगवती : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गृह-निर्माण की एक योजना है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण गृह-निर्माण योजना 5,000 चुने हुए ग्रामों में लागू करने का हमारा प्रस्ताव था और 3,400 ग्रामों में यह कार्यक्रम लागू कर दिया गया है। 58,000 मकानों की स्वीकृति दी गई थी और उस में से 28,000 मकान पूरे हो चुके हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चौथी योजना में 64 करोड़ रुपये की राशि रखने का प्रस्ताव है। नगरीय क्षेत्रों के लिए तृतीय योजना में 182 करोड़ रुपये रखे गये थे।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में बनाये गये तथा दिल्ली विकास प्राधिकार के माध्यम से बेचे जाने वाले फ्लैट बिक गये हैं ? उनके बारे में लोगों में उत्साह कम होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): इसका हमारी सामान्य गृह-निर्माण योजनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु मुझे दिल्ली विकास प्राधिकार से मालूम हुआ है कि कुछ मकान पूर्णतया बिक गये हैं और कुछ अन्य मामलों में लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं है। मैं उस समूचे मामले की जांच कर रहा हूं। मैंने दिल्ली से संसद सदस्यों मुख्य आयुक्त, नई दिल्ली नगर-पालिका तथा दिल्ली नगर निगम की बैठक बुलाई है। दिल्ली विकास प्राधिकार के मकानों के मूल्यों तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में कुछ करना होगा। यह विभाग हाल ही में मेरे मंत्रालय के अधीन आया है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Whether it is a fact that various State Governments, for instance the Government of Bihar, have issued orders that the people belonging to middle income group will no more be given loans for the construction of houses...

Shri Mehr Chand Khanna : I am not aware of this thing. On the other hand I hope that people belonging to low income group such as people living in the slum clearance should get the maximum encouragement.

Shri Bhagwat Jha Azad : I am asking about middle income group.

Shri Mehr Chand Khanna : The people of middle income group can also get money from L.I.C. But the real difficulty is this that the population is increasing and the condition of the houses is deteriorating day by day. I hope that both the Planning and Finance Ministers would help us in this matter.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मालिकों के सहयोग न करने के कारण औद्योगिक आवास योजना की असफलता को देखते हुए क्या यह सच है कि सरकार का विचार कानूनी तौर पर गृह-निगम स्थापित करने का है जिनमें मालिकों को धन लगाने के लिये कहा जायेगा।

श्री भगवती : प्रश्न विचाराधीन है। सांविधिक आवास बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। वह मामला भी विचाराधीन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई सांविधिक निगम बनाने का विचार है जिस में मालिकों को जबरन धन लगाने के लिये कहा जायेगा क्योंकि वे औद्योगिक आवास योजना में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : हम केन्द्रीय आवास बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और इसमें सभी बातों पर विचार किया जायेगा। योजना मंत्री जो अमरीका गये थे अभी हाल ही में वहां से लौटे हैं। वित्त मंत्रालय का एक प्रकार के बंधक बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनमें मालिकों तथा औद्योगिक कर्मचारियो द्वारा ये सभी सुविधायें दी जायेंगी। मेरे विचार में अभी इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया जा रहा है परन्तु योजना मंत्री से बातचीत करने के बाद में अधिक विस्तार से बता सकूंगा।

Shri Shashi Ranjan : As the hon. minister has just now stated the money has been diverted to other schemes. Keeping in view this scheme people approach the higher authorities in the offices. This results in great difficulties. Now when the funds are not available the scheme should be cut short and people should be told that they would get this much and nothing more so that the people may not approach the authorities and their time is saved.

Shri Mehr Chand Khanna : There are two parts of the scheme. One is Plan allocation. This is provided in the Plans of the States. They have the powers to divert the allocations. We do not want that the funds allocated for housing purposes are diverted, but the states under their own powers can divert it. Then the funds are allocated by L.I.C. and that cannot be diverted. If the States divert this allocation then that can be stopped as it is connected with this scheme.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी : क्या यह सच नहीं है कि मिडल इनकम ग्रुप तथा लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिये मकान बनाने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है और क्या सरकार इसका पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है और इस उद्देश्य के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने का भी विचार कर रही है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह बहुत ही संगत प्रश्न है। मूल्य बढ़ गये हैं और यदि सम्भव हो तो जीवन बीमा निगम तथा मिडल इनकम ग्रुप दोनों में इस धन को बढाया जाना चाहिये। भारी संख्या में लोगों को देने के लिये हमारे पास रुपया बहुत कम है। यदि अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया जाये तो लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी परन्तु जो कुछ भी हो मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

श्री म० रं० कृष्ण : क्या यह सच नहीं है कि समाज के गरीब वर्गों की दशा में जांच करने वाली समिति ने बताया है कि सरकार के अधीन कार्य करने वाले अनुसूचित जाति तथा आदिवासी लोगों को आमतौर पर सामान्य क्षेत्रों में मकान नहीं दिये जाते हैं और यदि यह प्रतिबन्ध है तो क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की सहायता के लिये किसी भी समय नियमों को रुपभेदित करना उचित समझा है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक जैनरल पूल में मकानों के आवंटन का सम्बन्ध है मेरा विचार नहीं कि हम कोई विभेद करते हैं। यदि पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जाति के लोगों अथवा हरिजनों को ऋणों अथवा रियायतों के लिये प्राथमिकता देने का विचार है तो इसके लिये पृथक मंत्रालय है—हो सकता है समाज कल्याण मंत्रालय—जो कि इस पर विचार करता है। यह मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : चौथी योजना के प्रथम वर्ष के तथा सारी योजना की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है? तथा वह नगरीय क्षेत्रों की सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा सहकारी समितियों को दी गयी राशि की तुलना में कितनी है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरे पास आंकड़े नहीं है। हमने 20 करोड़ की मांग की थी परन्तु हमें केवल 14 करोड़ ही मिल रहे हैं। यह धन बहुतसी योजनाओं पर खर्च किया जायेगा। यदि माननीय सदस्य ग्रामीण आवास के बारे में पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो मुझे यह जानकारी दे कर प्रसन्नता होगी।

1966-67 के लिए राज्यों की योजनायें

+

*1632. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे जिसमें यह दिया हो :

(क) योजना आयोग द्वारा चौथी पंच-वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिये स्वीकृत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं की मुख्य बातें;

(ख) उनके द्वारा मांगी गई सहायता की राशि; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) "वार्षिक योजना 1966–67—मार्च, 1966" मुद्रित दस्तावेज की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई थी।

(ख) और (ग) : राज्यों तथा संघीय शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत योजना व्यय-व्यवस्था की राशि क्रमशः 931.72 करोड़ रुपये तथा 60.45 करोड़ रुपये है। राज्यों के लिए अन्तिम-रूप से स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की राशि 509.6 करोड़ रुपये है। केन्द्रीय शासित प्रदेशो की योजना आवश्यकतायें केन्द्रीय बजट में परिलक्षित हैं और उनके बारे में केन्द्रीय सहायता का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री ने योजना में दिखाई गई जिस सहायता का उल्लेख किया है वह विदेशों से मिलने वाली सहायता पर निर्भर है तो क्या मैं जान सकता हूं कि देश की खुशहाली के लिये योजना मंत्री ने लम्बी यात्रा की है उसमें उनको कितनी सहायता का वचन मिला है ?

श्री अशोक मेहता : मैं इस बारे में कल एक वक्तव्य दूंगा। जहां तक 1966–67 की वार्षिक योजना का सम्बन्ध है मेरे विचार में वह अधिक संगत नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : योजना के बन जाने के पश्चात् विदेशी सहायता के अभाव अथवा भारतीय रुपये के अभाव के कारण वार्षिक योजना के दोबारा बनाये जाने की सम्भावना है ?

श्री अशोक मेहता : वार्षिक योजना के दोबारा बनाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है परन्तु हमने वित्त मंत्री के परामर्श से इस वर्ष के दौरान किसी समय राज्यों की योजनाओं पर पुनः विचार करने के लिये आश्वासन दिया है क्यों कि बहुत से राज्यों की अत्यावश्यक मांगों को पूरा नहीं किया गया है और हमने उनको आश्वासन दिया है कि यदि स्थिति में सुधार हो जाता है तो हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the extent to which the requirements of the various States which were submitted in April for this have been cut specially the requirements of the Uttar Pradesh because the survey of Eastern districts of U.P. has also been stopped and they have been asked to include in the state Plan ?

Shri Asoka Mehta : There is no use of looking at the figures of their requirements but they have been provided 2 crores of rupees less as compared to the demand made by the working group which includes representatives of working group of States as well as of the Union ministry. So far as the question of the eastern districts of U. P. are concerned whatever the Programme was started there that was meant for the Third Five Year Plan. Negotiations are going on for proceeding further in the Fourth Plan and suggestions received from the Chief Minister concerned are under consideration of the Planning Ministry.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्यों को कुछ विभागों में कटौती का परामर्श दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि वे कौन से विभाग हैं जिनमें ऐसा नहीं करने को कहा गया ?

श्री अशोक मेहता : कुछ चीजों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। कृषि तथा उससे सम्बन्धित विषयों जैसा कि सिंचाई, ग्रामों में बिजली देना आदि विषयों को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। कुछ दूसरी चीजें भी है—आवास के कार्यक्रम को काफी क्षति पहुंची है और क्योंकि हमारे साधन सीमित हैं इसलिये हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकता वाले कार्यक्रम पूरे हो सके। माननीय सदस्य शायद इस बात को जानते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृषि के लिये लगभग 30 प्रतिशत अधिक की व्यवस्था कर रहे हैं। विकास के दूसरे क्षेत्रों में कटौती करके इसको पूरा किया जायेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : इस तथ्य को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े हुए राज्य पीछे रह रहे हैं .....

कुछ माननीय सदस्य : उत्तर प्रदेश नहीं। (**अन्तर्बाधाएं**)

श्रीमती सावित्री निगम : महोदय यह गैर-कानूनी बात क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश को पिछड़ा हुआ राज्य कहे जाने पर उनको आपत्ति है जब वह राज्य श्रीमती निगम को संसद में अपने प्रतिनिधित्व के भेज सकता है ?

श्रीमती सावित्री निगम : इस तथ्य के बावजूद कि आप ने मेरी प्रशंसा की है आप जानते हैं कि जहां-तक प्रति व्यक्ति विनियोग का, प्रतिव्यक्ति विद्युत तथा बिजली के उपयोग तथा प्रति व्यक्ति आय का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश दो योजनाओं से पिछड़ा हुआ है ....

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जहां तक प्रतिव्यक्ति प्रधानमंत्रीत्व का सम्बन्ध है।

श्रीमती सावित्री निगम : आप इस मामले को इतना साधारण मत समझे। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि वह उत्तर प्रदेश के लिये क्या करने वाले है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई मांगों को केन्द्र द्वारा अधिक सहायता दिला कर वह किस प्रकार पूरा करेंगे ?

श्री अशोक मेहता : अभी मेरे लिये यह कहना असम्भव है कि समूची चौथी योजना के लिये राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी परन्तु जहां तक चालू वर्ष का सम्बन्ध है मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सहायता के वितरण को देखा है और उनको मालूम होगा कि दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश को अधिक सहायता दी गई है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या राष्ट्रीय महत्व की विशेष समस्याओं को जैसा कि आसाम के पहाड़ी जिलों के विकास के लिये विशेषकर मिज़ो पहाड़ी जिलों के विकास के लिये कोई विशेष धन का निर्धारण किया जा रहा है ?

श्री अशोक मेहता : राज्य योजना की अधिकतम सीमा से अतिरिक्त आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये विशेष निर्धारण किया गया है। केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार तथा दूसरे प्रतिनिधियों के दल ने अपना प्रतिवेदन दिया है जिस पर सावधानी से विचार किया जा रहा है और हमें आशा है कि हम चौथी योजना में शामिल करने के लिये पहाड़ी जिलों के लिये एक विस्तृत और व्यापक योजना बनायेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that U. P. is a biggest state so far as population is concerned it is lagging behind in industrial and power production. I want to know whether special scheme is under consideration of the Government to bring U. P. at par with other states and rest of the country during this year of the Fourth Five Year Plan ?

Shri Asoka Mehta : As the hon. member is aware all the public sector projects which are to be started during this year would be started in U. P.....

Shri Prakash Vir Shastri : I do not have the relevant information.

Shri Asoka Mehta : Apart from this there has been a great difficulty in providing assistance to industries and state industries during the month of April this year because we have utilized our maximum resources for agriculture.

Shri Vishwanath Pandey : The hon. minister has just now stated that he has considered to make special allocations for Assam hills and Mizo hills. I want to know what has been done for other hill areas such as Eastern Uttar Pradesh, Bihar and the areas amongst them for which Government has made special allocations ?

Shri Asoka Mehta : Yes Sir, special allocations were made during the Third Five Year Plan for Uttra Khend districts of U. P. and for Fourth Plan the matter is under consideration.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The Government is fully aware that in the present Panjab State Hariana is most backward. I want to know the steps being taken by Government for the development of industry, agriculture and electricity in this area during the Fourth Five Year Plan ?

Shri Asoka Mehta : Till now the negotiations were made with the present Panjab State and development of hill districts specially was considered separately. Now the Hariana will be formed into a separate state then negotiations will be made with their representatives.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तीसरी योजना में वचन देने के बाद केन्द्र ने राज्यों को जिन मामलों में कम सहायता दी है क्या एक वर्षीय योजना के लिये उन राज्यों की मांगों के लिये अतिरिक्त सहायता देने पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ? उदाहरणतया केवल कुछ ही दिन पूर्व उनके साथी वित्त मंत्री को जब वह कलकत्ता गये थे, तो पश्चिमी बंगाल सरकार ने बताया था कि तीसरी योजना में केन्द्र द्वारा बंगाल को कम सहायता देने के कारण अब उनको कार्य जारी रखने के लिये कम से कम 10 करोड़ रुपये की तुरन्त आवश्यकता है। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री अशोक मेहता : कमी दस करोड़ रुपये की नहीं थी। दूसरे कारणों के लिये दस करोड़ रुपये मांगे गये हैं। उनकी सहायता में बहुत थोड़ी कमी की गई थी। कमी इसलिये की गई थी कि यदि वह कृषि के विशेष कार्यक्रम पर अमल करते हैं तो सहायता दी जायेगी अन्यथा नहीं। इस मामले पर बातचीत की गई है परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। मैं ने बंगाल के मुख्य मंत्री को विश्वास दिया है कि हम कोई निर्णय लेते समय इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : पहले बहुत से सदस्य प्रश्न पूछने वाले हैं और मैं देख रहा हूं कि अन्य भी बहुत से सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो रहे हैं। मैं उन सब लोगों को समय नहीं दे सकूंगा।

Shri Kishan Pattnayak : I want to know the names of the states where targets of the third Five Year Plan have not been achieved and also the names of those States where even one fifth of the fixed targets have not been achieved ?

Shri Asoka Mehta : I shall supply the information only when you ask a separate question for it. This question is in regard to the year 1966-67.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether it is the main object of our planning to make balanced development in all the fields ? If so, whether Government propose to give more Central assistance to the backward, under developed or Adivasi areas to achieve the aim of balance development beacause there is a great inbalance in per-capita income in states as well as districts? In Punjab, Bengal and Maharashtra per capita income is double than that of Bihar.

Shri Asoka Mehta : The question can be divided into two parts. First part of the question is whether there can be a balanced development in all the fields ? I would say that over a period this can be achieved but not immediately. So the second part of the question I would say, Yes Sir. So far as the distribution of Central assistance is concerned the hon. member has mentioned two things. Firstly in regard to the under-developed district and secondly regarding to under developed states and specially in regard to the backward areas. Central assistance is distributed keeping in view all these things.

Shri Yashpal Singh : Whether Government have considered to stop these compulsory consolidation of holdings because wherever it has been enforced the production has gone low and there has been bloodshed in each and every villages.

Mr. Speaker : This is a suggestion.

श्री दाजी : चौथी योजना का पहला वर्ष लगभग आधा समाप्त हो गया है और जबतक सरकार समूची योजना को अंतिम रूप देगी आधे से अधिक वर्ष समाप्त हो गया होगा इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्ततः इस वर्ष की योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा अथवा हमें चौथी योजना के लिये इस वर्ष की योजना की समाप्ती तक इंतजार करना होगा ?

श्री अशोक मेहता : इसको चौथी पंच वर्षीय योजना में अर्न्तग्रथित किया जायेगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री ने अभी अभी बताया है कि राज्यों की योजना पर पुनः विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिला सकता हूं कि जहां तक आंध्र प्रदेश की राज्य योजना का सम्बन्ध है ग्रामों में पीने का पानी सप्लाई करने के लिये कोई धन नहीं दिया गया है जबकि सैंकड़ों ग्रामों में पीने के पानी की बहुत कमी है और यदि हां, तो क्या वह इस पर विचार करेंगे तथा इसके लिये अधिक धन का आवंटन करेंगे ?

श्री अशोक मेहता : यदि वर्तमान कमी के कारण यह आवश्यकता उत्पन्न होती है तो हम उसके बारे में वार्षिक योजना को छोड़ कर अलग से विचार करेंगे। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस विषय पर हमारे पास कोई ज्ञापन-पत्र भेजा है। यदि भेजा गया है तो हम प्रसन्नता से उस पर विचार करेंगे।

श्रीमती मैमूना सुल्तान : यह देखते हुये कि मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहां बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं जिनकी आर्थिक अवस्था संतोषजनक नहीं है, क्या सरकार का विचार है कि वहां एक औद्योगिक निगम की स्थापना की जाये ताकि विशेष रूप से इन पिछड़े क्षेत्रों में जहां आदिवासी रहते हैं, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके। यदि हां तो इस योजना की रूपरेखा क्या है ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मुझे यह जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई योजना विचाराधीन है। परन्तु मेरा विश्वास है कि राज्य सरकारों द्वारा उद्योगों के बढ़ावे के लिये जो कार्यवाही की जा रही है उसी के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास की व्यवस्था की जा सकती है। जहां तक आसाम का सम्बन्ध है वहां पर यही प्रणाली अपनानी चाहिये। जब हमें कुछ अनुभव हो जायगा तो हम इस बात पर विचार करेंगे कि ऐसी ही प्रणाली मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में भी अपनाई जाये।

Shri Daljit Singh : What steps have been taken to make good the damage sustained by Punjab, Rajasthan, Jammu and Kashmir due to the last Indo-Pak conflict. In what respects special consideration be given to this matter during the next Five Year Plan ?

Shri Asoka Mehta : So far as damage due to war is concerned, the matter does not come within the purview of the Planning Commission. The Finance Minister has separately considered the matter and action is being taken in that connection. So far as the annual plan of that area is concerned, Punjab had been given more assistance in addition to the Central assistance because they had certain special difficulties. Full consideration is being given to the difficulties which Punjab is going to face in the coming years and the action which should be taken to solve them.

Shrimati Subodra Bai Rai : Mr. Speaker, I have not been given a chance to speak.

Mr. Speaker : This matter has already taken much time.

राष्ट्रमण्डलीय स्वास्थ्य संस्था

*1633. **श्री मधु लिमये :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एडिनबरो (ब्रिटेन) में स्थापित राष्ट्रमण्डलीय स्वास्थ्य संस्था की शक्तियां तथा कार्य क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रमण्डल के निर्धन सदस्य देशों में वह कोई विशिष्ट परियोजन आरम्भ करेगी; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) एक राष्ट्रमण्डल चिकित्सा सम्मेलन अक्तूबर 1965 में एडिनबरो में हुआ था। कोई राष्ट्रमण्डलीय स्वास्थ्य संस्था नहीं बनाई गई है।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

मुख्य उत्तर के अतिरिक्त जानकारी

श्री ब० सु० मूर्ति (जारी) : श्रीमन्, आप की अनुमति से मैं यह और निवेदन कर देना चाहता हूं कि सम्मेलन ने राष्ट्रमण्डल के सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक सहयोग होने की संभावना पर विचार किया था ताकि राष्ट्रमण्डल के सदस्य देशों के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। सम्मेलन में जिन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी उनमें भिषगीय शिक्षा, राष्ट्रमण्डल के देशों के बीच सहयोग इत्यादि भी शामिल थे।

Shri Madhu Limaye : Since the incidence of small pox and other diseases is still very high, has Government collected statistics in regard to these diseases? Has any comprehensive scheme been drawn to eradicate small-pox with the help of the Commonwealth countries or other countries of the world ?

श्री ब० सु० मूर्ति : सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा नहीं हुई थी। जहां तक चेचक का प्रश्न है, सरकार इस बात का भरसक प्रयत्न कर रही है कि जहां भी यह रोग फैलता हो वहां इसका उन्मूलन कर दिया जाये।

Shri Madhu Limaye : I had the opportunity to tour Farrukhabad area during a bye-election being held over these three years back. At that time there was hardly any house free from small-pox.....

Mr. Speaker : There is high incidence of smapll-pox but what can Commonwealth do about it ?

Shri Madhu Limaye : Is there any scheme for eradication of small-pox, Cholera, Malaria and Influenza, with their help ?

श्री ब० सु० मूर्ति : मैंने पहले ही कहा है कि इस सम्मेलन में प्राथमिक तथा उच्च दोनों प्रकार की भिषगीय शिक्षा के बारे में विचार किया गया था।

श्री नम्बियार : क्या राष्ट्रमण्डल के वे सदस्य देश जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं उन सदस्य देशों को औषधियों के रूप में सहायता देंगे जो पिछड़े हुए हैं और जिन्हें ऐसी सहायता की आवश्यकता है ?

श्री ब० सु० मूर्ति : जैसा कि मैंने श्री मधु लिमये को बताया है, इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं की गई थी। जिस मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी उनमें अवर-स्नातक तथा उत्तर-स्नातक दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के विनिमय का विषय था।

श्रीमती सावित्री देवी निगम : क्या इस विषय पर भी इस संसद में चर्चा हुई थी कि हमारे भिषगीय स्नातकों के कुछ प्रमाणपत्रों को अन्य देशों में स्वीकार नहीं किया जाता है हालांकि वहां बिल्कुल ऐसा ही पाठ्यक्रम है और यही विषय कनाडा तथा अमरीका के अन्य देशों में पढ़ाये जाते हैं ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं चाहता हूं कि इसके लिये अलग प्रश्न किया जाये ।

कोसी बिजली घर

***1634. श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सिचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी के पूर्वी नहर बिजली घर का कार्य योजना के अनुसार चल रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पूर्वी कोसी नहर बिजली घर के निर्माण के लिये सिविल कार्य, कपाटों को छोड़कर, योजना अनुसार चल रहे हैं । कपाटों के निर्माण तथा प्रचालन के लिये अपेक्षित संघटकों और उपसाधनों को प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण कपाटों को अनुसूचि के अनुसार जून, 1966 तक प्रतिष्ठापित करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

बिजली घर में प्रतिष्ठापित होने वाले उत्पादन यूनिट नं० 1 के कुछ भाग और सभी चार उत्पादन यूनिटों के लिये ड्राफ्ट टयूब लाइनर्स हाल की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ले लिये गये थे। भारत सरकार नौपण्यकों को छुड़ाने के लिये प्रयत्न कर रही है । इस बीच परियोजना अधिकारी यूनिट 2, 3 और 4 के प्रतिष्ठापन कार्य को आरम्भ कर रहे हैं। उपर्युक्त कारणों से अनुसूचि के अनुसार कार्य करना सम्भव नहीं हुआ है । अनुसूचि के अनुसार प्रथम यूनिट का प्रतिष्ठापन अक्तूबर 1966 में और अन्य तीन यूनिटों का तीन तीन मास के अन्तर से होना था ।

श्री श्रीनारायण दास : इस विवरण से यह पता चलता है कि अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं जिसके कारण प्रगति ठीक योजना के अनुसार नही हो सकी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कठिनाइयों कब तक दूर हो जायगी और कब तक यह बिजली घर चालू हो जायेगा ।

डा० कु० ल० राव : हमारी आशा है कि यह एकक फरवरी, 1967 में चालू हो जायेगा ।

श्री श्रीनारायण दास : इस विवरण से यह पता चलता है कि इस एकक से सम्बन्धित कुछ सामान तथा पुर्जे पिछले भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने अपने क़ब्जे में ले लिये थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस सामान को वापस लेने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ताकि कार्य समय पर समाप्त किया जा सके ?

डा० कु० ल० राव : यह सत्य है कि पिछले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने कुछ पुर्जे अपने क़ब्जे में ले लिये थे । हम ने "हिताची" से जो इन के निर्माता हैं उनके नक्शे मांगे हैं और आशा है कि हम उन्हें बना सकेंगे और फरवरी 1967 में यह एकक चालू हो सकेगा ।

Shri Bibhuti Mishra : Nepal also has got interest in Kosi canal power house. Since Pakistan has impounded some material, has Gobernment asked Nepal Government, which happens to be a close frierd of Pakistan now a days, to recover material from Pakistan so that both Nepal and Irdia may be benefited ? delaying the if we are not going to get back the impounded material, why are we Sercondly, functioning of this power-house by not importing material ?

डा० कु० ल० राव : हमारा विचार यह नहीं है कि हम नेपाल सरकार को इस बारे में कहें। जैसा कि मैं ने पहले ही कहा है, हम ने "हिताची" से नक्शे मांगे हैं और खोये हुए पुर्जों को स्वयं बनाने जा रहे हैं ताकि यह एकक चालू हो जाये।

+ **राष्ट्रीय बचत-पत्र**

***1635. श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री बसुमतारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च, 1966 से दस वर्षीय राष्ट्रीय बचतपत्रों की एक नई श्रृंखला जारी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इनकी कितनी बिक्री हो रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां। पहली मार्च, 1966 से, भारतीय राज्य बैंक की शाखाओं की मार्फत बेचे जाने के लिए, बचतपत्रों की एक नयी श्रृंखला जारी की गयी है जो डाकघरों की मार्फत बेचे जाने वाले राष्ट्रीय बचतपत्रों की श्रृंखला के समान है।

(ख) मार्च 1966 में बैंक श्रृंखला के लगभग 1 लाख रुपये के बचतपत्र बेचे गये।

श्री दी० चं० शर्मा : इन बचत पत्रों को जारी किये जाने से क्या लाभ था और जो आशायें इन बचत पत्रों से थीं क्या वे पूरी हो गई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : गैर-सरकारी निकायों की जिसमें जनता भी शामिल है, यह मांग थी कि डाकघरों की मार्फत बेचे जाने वाले बचत पत्रों के अतिरिक्त अन्य एजन्सी द्वारा बचे जाने वाले तथा बैंकों द्वारा बेचे जाने वाले बचत पत्रों की श्रृंखला भी जारी की जाये। इसी मांग को पूरा करते हुये यह श्रृंखला जारी की गई है। यह कहां तक कारगर रही है, इस सम्बन्ध में म यह निवेदन करता हूं कि यह मार्च में आरम्भ की गई थी जब 1 लाख रुपये के बचत-पत्र बचे गये। आशा है कि आने वाले महीनों में और भी बिक्री होगी।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित मंत्री महोदय बतायेंगे कि मार्च के महीने में इन बचत पत्रों की बिक्री से प्राप्त धन राशि मार्च में हो अन्य बचत पत्रों को बिक्री से प्राप्त धनराशि की तुलना में कितनी अधिक है ? क्या शेष राशि से यह पता चलता है कि यह योजना प्रगति कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे ठीक ठीक राशि तो पता नहीं है परन्तु अन्य बचत पत्रों की बहुत अधिक बिक्री हो रही होगी क्योंकि उनकी साख जम चुकी है। पिछले वर्ष बिक्री से कुल 148 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। अतः यदि यथानुपात वितरण भी किया जाये तो भी वह अधिक होगा। परन्तु मेरे कहने का मतलब यह है कि काफी प्रचार के पश्चात् यह श्रृंखला भी चल पड़ेगी।

श्री बसुमतारी : सरकार ने बचतपत्रों की बिक्री से प्रत्येक राज्य से कितना रुपया एकत्रित किया है ?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रश्न के लिये पूर्व-सूचना आवश्यक है। यह प्रश्न के उत्तर में ब्यौरा देना होगा।

+ **सिंचाई और विद्युत् के लिये बृहद् योजना**

*1636. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री हिम्मतसिंहका : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सरकार ने सिंचाई और विद्युत क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से समुचे देश के लिय एक बृहद योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना खर्च होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भारत सरकार देश में अवशिष्ठ सिंचाई तथा बिजली शक्यता के विकास के लिये 20 से 25 वर्षों के लिये दीर्घकालीन योजना को बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) और (ग) ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

प्रश्न संख्या के 1964 के बारे

Re. Question No. 1964

श्री राम सहाय पाण्डेय : मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या 1644 को भी इस के साथ ही ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री को प्रश्न संख्या 1657 का भी उत्तर देने में सुविधा हो तो.....

श्री राम सहाय पाण्डेय : प्रश्न संख्या 1644 ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो भिन्न होगा ।

प्रश्न संख्या 1636

Question No. 1636

Shri Vishwa Nath Pandey : The honourable Minister says that Government of going to prepare a perspective plan for 20 to 25 years. Is there any possibility of an interim report being submitted by the Committee to Government in near future ?

डा० कु० ल० राव : यह दीर्घकालीन आयोजन का प्रश्न नहीं है बल्कि वर्तमान आयोजन को ही जारी रख कर सिंचाई तथा विद्युत् के क्षेत्र में देश की पूर्ण क्षमता का विदोहन करने का प्रश्न है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सत्य है कि बिजली की ऊंची दर के कारण किसानों को बिजली प्रयोग करने में बड़ी हिचकिचाहट होती है और इस कारण वह उसे अच्छी तरह प्रयोग नहीं करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यह महसूस किया है कि जब किसानों में सस्ती दर पर बिजली से कार्य करने का शौक़ बढ़ जायेगा तो वे बाद में ऊंची दर पर भी बिजली का प्रयोग करने लगेंगे ?

डा० कु० ल० राव : ऐसी बात नहीं है कि लोग ऊंची दरों के कारण बिजली नहीं ले रहे हैं। इस के विपरीत, बड़े पैमाने पर ऐसा आन्दोलन चल रहा है कि अधिक से अधिक बिजली दी जाये। परन्तु हम इस बात से सहमत हैं कि यदि सम्भव हो तो किसानों के लिये बिजली की दर कम करें।

Shri Rameshwaranand : Leave alone the last Plan but is there any provision in the current Plan for ensuring that the cultivators have not to grease the palam of government servants for getting electric connections and they get electricity in a convenient manner ? The present state of affairs is such that the cultivater cannot get electric connections without taking undue payment to the concerned employees.

डा० कु० ल० राव : जी, नहीं। यदि ऐसा कोई मामला हमारे सामने आयेगा तो हम कार्यवाही करेंगे।

Shri Rameshwaranand : So many cases are brought to the notice of Government but no action is taken on them.

Mr. Speaker : He has said that if there are any such cases they may be sent up to him.

Shri Rameshwaranand : I had sent certain cases in the past but no action was taken on them. The honourable Minister only gives assurances here but those assurances are not fulfilled.

श्री श्रीनारायण दास : क्या माननीय मंत्री मोटे तौर पर बतायेंगे की मास्टर प्लान पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

डा० कु० ल० राव : हमारे अनुमान के अनुसार, आशा है कि 1980 तक 6 करोड़ किलोवाट बिजली उत्पन्न करने के लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी। इस प्रकार बिजली के वर्तमान उत्पादन की तुलना में 5 लाख किलोवाट अधिक बिजली का उत्पादन होगा। उस पर 10,000 करोड़ रुपये लागत आयेगी। इसी प्रकार, सिंचाई क्षेत्र में हमें वर्तमान परियोजनाओं को, जिनको पहले से मंजूर कर गया है, जारी रखना पड़ेगा। हमने 240 लाख एकड़ भूमि को खेती योग्य बना लिया है। 440 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती है और इसके लिये लगभग 5,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अतः अगले कुछ वर्षों में हमारे पास 10,000 रुपये बिजली पर और 5,000 करोड़ रुपये सिंचाई पर खर्च करने की योजना है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 17 वर्षों से सरकार पानी झगड़े का समाधान करने में असमर्थ रही है। क्या बृहत् योजना तैयार करने से पहले विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी के सम्बन्ध में हाल के सम्मेलन में क्या किन्हीं उपायों पर विचार किया गया है?

डा० कु० ल० राव : जल सम्बन्धी अनेक विवादों का निपटारा किया गया है। एक या दो विवादों को भी ऐसे तरीके से हल किया जा रहा है कि सम्बन्धित राज्य के विकास में बाधा न पड़े।

श्री विश्वनाथ राय : क्या योजना तैयार करते समय अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पिछड़ेपन पर भी विचार किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : यह बिल्कुल सत्य है कि कृषि के लिये सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि आसाम जैसे कुछ क्षेत्रों में, शक्ति के प्रजनन और इसके कार्यभार में कोई सम्बन्ध नहीं रखा जाता और यदि हां, तो ऐसा क्यों है और इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

डा० कु० ल० राव : वर्षानुवर्ष हम भार सर्वेक्षण करते हैं और आवश्यकता का पता लगाते हैं और इसके अनुसार हम विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिये योजना बनाते हैं। आसाम के मामले में कुछ शक्ति का निर्माण किया गया था और यह सुनिश्चित करना, कि इस शक्ति का उपयोग किया जाये, माननीय सदस्य जैसे आसामी मित्रों का काम है।

श्री कंडप्पन : हाल ही में माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार 9 या 12 बड़ी योजनाओं की आवश्यकता और वांछनीयता पर विचार कर रही है । क्या इनको बृहत् योजना में शामिल किया जायेगा और क्या होगेनामल योजना भी उनमें से एक होगी ?

डा० कु० ल० राव : हां, जब योजना तैयार की जायेगी तो कुछ बड़ी परियोजनाओं की गति को तेज़ करने की बात को ध्यान में रखा जायेगा। परन्तु होगेनामल भी उनमें से एक होगी या नही, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री बाला कृष्णन् : जब 20 किसान मिल कर नये कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र देते हैं तो विभाग के लोग अनुमति देने से इन्कार कर देते हैं। कृषि के विकास में इस प्रकार की अड़चनें हैं। क्या सरकार इस प्रकार के नियमों को, यदि ऐसे कोई हैं तो उदार बनायेगी ?

डा० कु० ल० राव : कहां पर ?

श्री बाला कृष्णन् : प्रत्येक राज्य में और विशेष रूप से मद्रास में।

डा० कु० ल० राव : गावों में विद्युतीकरण के लिये बड़ी संख्या में आवेदन पत्र आये हुए हैं और वास्तव में सभी किसान कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली का उपयोग करना चाहते हैं। यह भी सच है कि उपलब्ध वर्तमान संसाधनों से हम सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। परन्तु इसके लिये हम प्रत्येक प्रयत्न करते हैं।

श्री जसवन्त मेहता : बहस का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि बहु प्रयोजनीय परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा ले लिया जायेगा। सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्रियों के साथ माननीय मंत्री की बातचीत को ध्यान में रखते हुए नर्मदा परियोजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : जहां तक नर्मदा परियोजना का सम्बन्ध है, मैं हाल ही में मध्य प्रदेश गया था और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री और उनके विशेषज्ञों से मिला था। हम उनका दृष्टिकोन जानते हैं और उनकी आवश्यकता भी और यह भी किस आधार पर इस विवाद को निपटाना जा सकता है। अब गुजरात और अन्य राज्यों का दौरा करने का मेरा विचार है। इसके बाद यदि कोई मतभेद हुआ तो मैं सभी संबंधित मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाऊंगा.....

श्री जसवन्त मेहता : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री फखरुद्दीन अहमद : उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है। देश के बड़े हित में विवाद का निपटारा करने में वह सहायक होंगे।

श्री नाथ पाई : एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि कृष्णा-गोदावरी के पानी के वितरण के कारण अन्य राज्यों के विकास में बाधा नहीं पड़ने दी जायेगी। यह सुज्ञात है कि इन नदियों का पानी एक राज्य को अधिक मिलता है तो दूसरे को कम। आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र में नदियों के पानी के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिये विवाद को हल करने के लिये उनके वरिष्ठ साथी क्या करना चाहते ह ?

श्री फखरुद्दीन अहमद : यह मामला भी विचाराधीन है। महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चा करने के लिये मैंने हाल ही में बम्बई का दौरा किया था। और कुछ दिनों में मैं आन्ध्र प्रदेश और मैसूर का दौरा करना चाहता हूं। इस के बाद म मुख्य मंत्रियों के बीच विवाद को हल करने का प्रयत्न करूंगा।

खोह खड्ड वाली भूमि

*1637. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की प्राकृतिक संसाधन समिति ने सिफारिश की है कि आगामी पांच वर्षों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गजरात की खोह खड्ड वाली भूमि का सर्वेक्षण किया जाये और उन क्षेत्रों को खेती योग्य बनाने का काम आरम्भ किया जाये;

(ख) क्या इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये समचित कानून बनाने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

श्री महेश्वर नायक : हम तीन पंचवर्षीय योजनाओं से गुजर चुके हैं। क्या इन वर्षों में योजना आयोग ने कुछ किया है और खड्डवाली भूमि के उचित सर्वेक्षण कराने के लिये कोई कदम उठाया है?

श्री अशोक मेहता : प्रत्याशित क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह लगभग 30 लाख हेक्टर है। तृतीय योजना में 50 लाख रु० भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये अलग से रखे गये थे। जहां तक सर्वेक्षण का सम्बन्ध है, सर्वेक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम तयार किया गया है और केन्द्र या राज्यों में जिम्मेदारियों बांटी गई है। मुझे आशा है कि अब सर्वेक्षण के कार्य को आगे ले जाया जायेगा।

श्री महेश्वर नायक : वास्तव में कितनी भूमि को खेती योग्य बनाया गया है और क्या इसके लिये कोई विधान आवश्यक है?

श्री अशोक मेहता : तृतीय योजना के दौरान 20,000 एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : गुजरात में माही और वासदा नदी पर खड्ड वाली भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना है। क्या नर्मदा की विस्तृत खड्डों का सर्वेक्षण किया गया है?

श्री अशोक मेहता : जैसा कि मने बताया कुल मिला कर लगभग 30 लाख हेक्टर भूमि का सर्वेक्षण किया जाना है, और सर्वेक्षण के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि किस विशिष्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है और किसका किया जाना है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : क्या बंजर भूमी को कृषि योग्य बनाने के लिये सरकार के पास मिट्टी हटाने वाली मशीनें पर्याप्त संख्या में हैं?

श्री अशोक मेहता : बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के उस कार्यक्रम को कई वर्षों में बांटना पड़ेगा क्योंकि भूमि बहुत बड़ी है और इसपर काफी पैसा खच होगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इन भूमियों को खेती योग्य बनाना राज्यों की क्षमता के बाहर है और यदि हां, तो क्या वह कोई ऐसा संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं जो राज्यों के लिये न केवल पर्याप्त धन का उपबन्ध करेगा अपितु इन भूमिओं को खेती योग्य बनाने के लिये पर्याप्त उपकरणों का भी और यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अशोक मेहता : जैसा कि मैंने बताया, विभिन्न क्षेत्रों का निश्चय कर लिया गया है और जिन अधिकारियों को कार्यवाही करनी है उनके बारे में भी फैसला कर लिया गया है। कुछ मामलों में राज्य सरकारें इसको करने के लिये अधिक सक्षम हैं और अन्य स्थानों पर उनकी सहायता के लिये और उनको सभी आवश्यक तकनीकी और अन्य सुविधाएं देने के लिये केन्द्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड या अन्य केन्द्रीय अभिकरण।

Shri Achal Singh : May I know the area of land to be reclaimed in the Provinces of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, the expenditure involved therein and the time likely to be taken to complete that work ?

Shri Ashoka Mehta : It is difficult to state the figures but as I have stated in the Third Five Year Plan, we had set the target of reclaiming 40,000 acres of land at the cost of this 50 lakhs, but only 20,000 acres have been reclaimed.

श्री मानसिंह पू० पटेल : क्या इस शीर्षक के अन्तर्गत तृतीय योजना के कुल व्यय में कोई कमी हुई है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक मेरी जानकारी है, इस कार्य के लिये कोई कमी नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है, और यदि ऐसा नहीं है तो, क्या चम्बल की खड्डों वाली भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में से बड़े पैमाने पर ऋण या अन्य किसी प्रकार की सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर सरकार अपने आप विचार कर रही है ताकि डाकुओं की समस्या भी हल हो जाये और खाद्य उत्पादन में भी वृद्धि हो ?

श्री अशोक मेहता : मध्य प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं और परियोजनाएं सामने रखी हैं और उन में से कितनी योजनाओं के लिये उपबन्ध किया जा सकता है और किस हद तक यह उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा। हम मध्य प्रदेश सरकार के संसाधनों तथा उपलब्ध केन्द्रीय सहायता दोनों का अनुमान लगा रहे हैं। अभी मेरे लिये यह बताना कठिन है कि चतुर्थ योजना में खड्ड वाली भूमि को कृषि योग्य बनाने को क्या महत्व दिया जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से ऋण के लिये कोई अनुरोध किया है ?

श्री अशोक मेहता : यह प्रश्न तब ही उत्पन्न होता है जब कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो। इस कार्य के लिये हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न कार्यों में हमें अपने सीमित संसाधनों को जुटाना है, और इसी लिये मैंने कहा कि कुछ कार्य किया जायेगा, परन्तु क्या यह अपेक्षित मात्रा में होगा यह देखने की बात है ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने डाकुओं वाले क्षेत्रों को साफ कराने और उपयोगी प्रयोजनों के लिये काम में लेने के लिये ठोस कदम उठाये हैं

श्री अशोक मेहता : यह योजना चल रही है। हाल ही में सर्वेक्षण कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया है। चतुर्थ योजना में कितनी भूमि को खेती योग्य बनाया जायेगा इसका निर्णय हमारे सीमित संसाधनों को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

Family Planning Programme

1638. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the programme of Family Planning has been launched in all the States;

(b) whether it is also a fact that the followers of all the religions in various parts of the cuntry have not adopted the methods of Family Planning since some of them consider family planning contrary to their religions;

(c) whether it is also a fact that there is an incessant increase in immoral practices in the country as a result of family planning and easy availability of loop free of cost to unmarried boys and girls who misuse it; and

(d) the action taken by Government to check these immoral practices ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) यह सत्य नहीं है कि देश में कुछ धर्मों के मानने वालों ने धर्म के आधार पर आपत्ति होने के कारण परिवार नियोजन के तरीक़ों को नहीं अपनाया है। किसी भी धर्म में परिवार नियोजन का विरोध नहीं किया जाता। यद्यपि कुछ धर्म सभी तरीक़ों को स्वीकार नहीं करते। उचित शिक्षा तथा अभिप्रेरणा से सभी धर्मों के अनुयायी परिवार नियोजन को स्वीकार कर रहे हैं।

(ग) और (घ) : यह तथ्य नहीं है कि देश में परिवार नियोजन के तरीक़ों के अपनाये जाने के फलस्वरूप अनैतिकता बढ़ रही है। लूप जो केवल प्रशिक्षित लेडी डाक्टर द्वारा ही लगाये जा सकते हैं, केवल विवाहित महिलाओं को ही लगाये जाते हैं।

Shri Yashpal Singh : Every religion is against it. Hindu religion also is opposed to it.

Mr. Speaker : Please put your point of order.

Shri Madhu Limaye : Please refer to the part (c), which reads—"....easy availability of loop free of cost to unmarried boys...." who are these boys? Do they also get loop ?

Mr. Speaker : There is no such provision in the Constitution.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The honourable Minister has just said that the use of loop is not opposed in any religion. What is the number of members of the Minority community who have subscribed to this method ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुसंख्यक तथा अल्प संख्यक जातियों के बीच को कोई दिवार नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has Government got figures regarding the number of pregnant married girls visiting private doctors, and government hospitals for treatment ?

श्री ब० सू० मूर्ति : इस बारे में हमारे पास कोई आंकडे नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Abortion should be legalised.

Shri Yashpal Singh : Is Government aware of the fact that in the Hindu religon, birth control is regarded more sinful than corruption and that even Mahatma Gandhi had said that birth control is the cause of famines ? We believe in self-control ; it is simple to practice birth-control in place of self-control. It is against Mahatma Gandhi's principles.

Mr. Speaker : You have delivered a religious precept ; we have listened to it.

Shri Yashpal Singh : Has he read about the Hindu religion at all or not.

श्री नम्बियार : क्या सरकार ने विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ सम्मलन किया है और क्या उनको परिवार नियोजन को देश के कोने कोने में चालु करने की आवश्यकता के बारे में बताया है ? यदि हां, तो क्या उस प्रस्ताव के सम्बंन्ध में कोई सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : जैसा कि मैंने कहा है, कोई भी धार्मिक दल इसके विरूद्ध नहीं है । अतः ऐसे सम्मेलन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके लिये मेरे माननीय मित्रने सुझाव दिया है ।

श्री हेम बरूआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ समय श्री मधु लिमये ने कहा था कि "लीग-लाइज़ कीजिये एबारशन को ।" श्री यशपाल सिंह लूप के प्रयोग के विरुद्ध है । इन दोनों के बीच हमारा दृष्टिकोण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ, श्री यशपाल सिंह तथा श्री मधु लिमये के बीच में हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या देश में परिवार नियोजन का आन्दोलन असफल रहा है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री इस विषय की ओर उचित ध्यान नहीं दे सकी हैं ? यदि हां, तो परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्य करने के लिये एक अलग मंत्रालय बनाया जायेगा ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं माननीय सदस्य के कथन को स्वीकार नहीं करता हूं । देश में परिवार नियोजन का आन्दोलन बड़ी उत्साहपूर्ण प्रगति कर रहा है ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली में पानी की कमी

+

30. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ दिनों में वज़ीराबाद जलाशय में पानी की सतह बहुत नीची हो गई है और यह कि आगामी ग्रीष्म-काल में दिल्ली में पानी की बहुत कमी रहेगी;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि पंजाब ने अतिरिक्त जल देने से मना कर दिया है और यह भी एक कारण है कि हाल ही में 4 करोड़ गैलन क्षमता वाले जिस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है उसका पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यह स्थिति दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग): वजीराबाद में पानी का स्तर $2\frac{1}{4}$ फू० नीचे चला गया है। पंजाब सरकार 350 क्यूसेक पानी छोड़ने को सहमत हो गई है तथा कल की सूचना के अनुसार 700 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। आशा की जाती है कि आने वाली गर्मी में पानी की कठिनाई नहीं होगी।

4 करोड़ गैलन पानी की क्षमता वाला संयंत्र जिससे अतिरिक्त पानी वितरित होगा, आंशिक रूप से चालू हो गया है तथा पंजाब सरकार जो अधिक पानी छोडने को सहमत हुई है, के निर्णय से भी इस संयंत्र की पानी के वितरण की क्षमता बढ़ेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या कारण था कि कल तक पन्जाब सरकार अधिक पानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तथा आज किन कारणों से वह सहमत हो गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) : वास्तव में पंजाब सरकार जरूरत पड़ने पर दिल्ली के लिये 325 क्युसेक पानी देने को सहमत हो गई है। वे पहिले से ही प्रयास कर रहे थे। इस वर्ष गर्मी के अत्यधिक पड़ने के कारण तथा पानी की अतिरिक्त मात्रा दिल्ली शहर के लिये निकाले जाने के कारण, कुछ दिन पूर्व वज़ीराबाद में पानी का स्तर नीचे चला गया था। हमने पंजाब सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत की और उन्होंने अपने सीमित साधनों से इस वर्ष के लिये कुछ पानी देने की कृपा की। वे उससे अधिक पानी छोड़ रहे है जितने के लिये वे सहमत हुये थे। वे अब 700 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं जो एक बहुत बड़ी है तथा उनकी स्वीकृति से दुगुनी मात्रा है। मुझे कहना चाहिये कि पंजाब सरकार ने दिल्ली की सहायता करके बहुत अच्छा किया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह 4 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन क्षमता वाला संयंत्र जिसका उद्घाटन आजकल ही हुआ कुछ दिन पूर्व तक पूर्ण उपयोग में क्यों नहीं लाया गया तथा क्या सरकार अगले पांच वर्ष के लिये राजधानी की पानी की अवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक दीर्घकालीन योजना बनाने में समर्थ हुई ताकि गर्मियों में राजधानी में पानी की कठिनाई का भय न बना रहे ?

डा० कु० ल० राव : यह ध्यान रखना चाहिये कि सभी राजधानियों में न्यूयार्क, लन्दन या दूसरे शहरों में भी पानी की कठिनाई होती है क्योंकि शहर पानी-वितरण क्षमता समाप्त होने पर भी बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार हमें भी दिल्ली में कठिनाई हो रही है। किन्तु हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी राज्य बड़े देशभक्तिपूर्ण हैं। वे चाहते हैं कि राजधानी को पानी की कठिनाई न हो। इसीलिये उत्तर प्रदेश और पंजाब हमें अपेक्षित मात्रा में पानी देकर सहायता करते आ रहे हैं। दोनों राज्य सहमत हो गये हैं और मैं समझता हूं दिल्ली को पानी की कठिनाई नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा था कि 4 करोड़ गैलन पानी प्रतिदिन की क्षमता वाला संयन्त्र पहिले क्यों चालू किया गया और इसे इतना अधिक समय क्यों लगा ?

डा० कु० ल० राव : संयंत्र सन्चालित करने में ऐसा ही होता है। यदि किसी को एक वर्ष में शुरू किया जाना होता है तो उसे दुगुना समय लगता है।

Shri Yashpal Singh : We promised to provide nutritious food to 45 crores of our people in our constitution but we are not able to supply water even. The water supply is closed for ten hours in South Avenue where Law-makers reside. Under such circumstances when M.P.s have to go thirsty for ten or twelve hours, what will be the condition of the common people. The Government should either make necessary arrangements for water supply or should resign with sincerity. May I know out of these two suggestions which one will be feasible for them?

डा० कु० ल० राव : दिल्ली में मुख्य समस्या पानी के वितरण केन्द्रों (Mains) की है। वजीराबाद से सभी स्थानों को पानी ले जाने के लिये केन्द्रों (Mains) की व्यवस्था नहीं है। यह हरेक तेजी से विकास करने वाले शहर के साथ होता है। आजकल ही इस सम्बन्ध में छानबीन करने के लिये तथा यह देखने के लिये कि राजधानी की पानी-वितरण व्यवस्था को विभिन्न तरिको से किस प्रकार सुधारा जाये। पानी जमा करने के अनुभाग में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है अभी कुछ चन्द वर्षों बाद ही दिल्ली में पानी का सन्तोषजनक वितरण हो सकेगा।

Shri Yashpal Singh : My question has not been answered. Long queues of more than 50 persons keep standing for a tumbler of water. You can go and see it for yourself. When the Government cannot make proper arrangements, even for drinking water. What is the use of this Government ?

श्री दी० चं० शर्मा : यह सन्तोष की बात है कि दिल्ली के लिये पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जा रही है। क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि दिल्ली का पानी दूषित है तथा इससे पेट की बिमारिया पैदा होती हैं, बुढ़ापा जल्दी आता है तथा बाल जल्दी सफेद होते हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से पानी की परीक्षा की गई है ताकि किसी प्रकार की बीमारिया न हों ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यदि मान्य समस्य उन सभी अभियोगों के बारे में, जो उन्होंने लगाये हैं, सूचना दें तो हम उन पर विचार करने के लिये बाध्य होंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या मान्य सदस्य पानी के वितरण से सन्तुष्ट हैं ? उन्हें कहना चाहिये कि जो पानी दिल्ली में वितरित किया जाता है वह स्वास्थ्य के लिये अच्छा है।

डा० कु० ल० राव : यही बात है। पानी जो वितरित किया जाता है वह अच्छा और शुद्ध है। पानी की शुद्धता बनाये रखने के लिये लगातार परिक्षा की जाती है।

श्री दी० चं० शर्मा : गन्दा पानी नदी में चला जाता है; जिससे नदीका पानी गन्दा हो जाता है। सरी गन्दगी इसमें मिल जाती है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister has stated that adequate water supply would be arranged after sometime. May I know whether this arrangement includes those huts & that chets, zuggi zopadi also where acute shortage of water is experienced? Will there be provision for special types of water pipes and taps so that adequate supply of water is arranged ? Do the Government have such a plan ?

डा० कु० ल० राव : जैसे मैंने अभी कहा कि दिल्ली के पानी की प्रर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, किन्तु यह नलों के बिछाने की व्यवस्था न होने के कारण सभी हिस्सों नहीं पहुंचाया जा सकता। वितरण व्यवस्था पुरे शहर के लिये नही है। शहर इतनी तीव्र गतिसे बढ़ रहा है कि पानी की आवश्यकता की पूर्ति थोड़े समय में नहीं हो सकेगी। इसलिये कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिये पानी की कठिनाई होगी।

श्री कपूर सिंह : अभी-अभी सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि पानी न मिलने पर कोका-कोला पिया जा सकता है। क्या सरकार को ज्ञात है कि कोका-कोला भी नहीं मिल रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य ने यह सुझाव दिया है। किसी मंत्री ने यह नहीं कहा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि सरकारी आश्वासनों के बावजूद भी दक्षिणी दिल्ली खास तौर पर रामकृष्णपुर और दूसरे पुरों में सरकारी मकानों में पानी नहीं मिल रहा और यदि मिल भी रहा है तो वह गर्मी में केवल एक घण्टे के लिये मिल रहा है ? नये मकानों के निर्माण के साथ साथ पानी और दुसरी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे है।

डा० कु० ल० राव : यह सत्य है कि रामकृष्णपुर दिल्ली के सबसे ऊंचे स्थानों में से है और वहां हर समय पानी पहुंचने के लिये पर्याप्त दबाव नहीं रहता । अत: एक जलाशय के निर्माण के लिये विशेष कदम उठाय गये है । इसका निर्माण आरम्भ हो गया है और इसके बन जाने पर वहां अपेक्षित मात्रा में पानी के वितरित होने की आशा की जाती है ।

Shri Bagri : Will the hon. Minister be pleased to state whether the water of Jamuna is made available for meeting requirements of Delhi by cutting short the supplies of water essentially meant for irrigating the crops of farmers of Punjab and Uttar Pradesh which badly affects the crops ? Under such conditions are the Government devising some ways and means to sink Tube-wells for meeting water supply requirements so tnat the river water may be released for irrigation purposes.

डा० कु० ल० राव : दिल्ली को यमुना के किनारे पर स्थित होने के कारण दूसरे शहरों की तरह हीं पानी लेने का हक है । किन्तु में भी इस विचार से सहमत हुँ कि किसानों को पानी से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये । कृषि कार्यो कीं तुलना में यहां पानी का उपयोग कम ही होता है । फिर भी भूमिगत स्रोतों से पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिये नलकूप खोदने की दिशा में हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है । राम गंगा और दूसरे जलाशय निर्मित हो जाने पर दिल्ली को पानी वितरण व्यवस्था सुधर सकेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कोसी नदी

***1639. श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री 10 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 450 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी नदी की अवशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिये बिहार सरकार द्वारा बनाई तकनीकी समिति का प्रतिवेदन मिल चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) तकनीकी समिति की रिपोर्ट जो 7 मई, 1966 को बिहार सरकार को प्रस्तुत की गई थी, अब राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

***1640. श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री लीलाधर कटकी :

श्री रा० बरुआ :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि तथा उससे संबंधित अन्य उद्योगों के विकास के लिये विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि तथा अन्य परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, आशा है कि असम के पहाड़ी ज़िलों के विकास से सम्बन्धित संयुक्त केन्द्र-राज्य अध्ययन दल शीघ्र ही अपने विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर देगा।

बम्बई और राजस्थान में छापे

*1641. **श्री नरदेव स्नातक :** **श्री अ० सि० सहगल :**

श्री रा० स० तिवारी : **श्री राम स्वरुप :**

क्या **वित्त** मंत्री बम्बई तथा राजस्थान में छापों के बारे में 14 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1117 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का कब तक जांच पूरी करने का विचार है;

(ख) क्या बहुमूल्य वस्तुएं भारत के रिज़र्व बैंक के अभिरक्षण में रखी गई हैं अथवा नहीं; और

(ग) यदि नहीं, तो किस अभिकरण के अभिरक्षण में और किस स्थान पर ये बहुमूल्य वस्तुएं रखी गई हैं और उन की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) निर्धारिती द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की गई लेख याचिकाओं का फैसला होने के दो महीनों के अन्दर अन्दर जांच पड़ताल के पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) : नकद रकम भारत के रिज़र्व बैंक में जमा करा दी गयी है। आयकर विभाग द्वारा पकड़े गये सोने को बाद में स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों ने पकड़ लिया है और उन्होंने उसे कोषाधिकारी, जयपुर के पास जमा कर दिया है। गहने और चांदी के बर्तन आयकर कार्यालय के मजबूत कमरे में तिजोरियों में रख दिये गये हैं। इसकी सुरक्षा के लिए सशस्त्र पहरा लगा दिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों का औद्योगिक विकास

*1642. **श्री रा० बरुआ :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**

श्री बृजबासी लाल :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों का औद्योगिक तथा परिवहन संबंधी विकास-कार्य आरम्भ करने के लिए सरकार का विचार, केन्द्र, आसाम राज्य तथा पर्वतीय जिलों के प्रतिनिधियों का एक अलग निकाय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार तैयार किये गये कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये सरकार वित्तीय सहायता देने का आश्वासन देगी ; और

(ग) श्री तरलोक सिंह ने, जो योजना आयोग के सदस्य है और जिन्होंने हाल ही में, आसाम में सर्वेक्षण किया था, क्या क्या सिफारिशें की हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अध्ययन दल, असम सरकार से परामर्श कर, प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने का काम कर रहा है।

ब्रिटेन से सहायता

*1643. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत सहायता सार्थसंघ के माध्यम से भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना की पूर्णता के लिये अंशदान देने का अपना इरादा हाल में व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन का भारत को कितनी राशि की सहायता देने का विचार है ; और

(ग) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :(क) से (ग) : भारत सहायता संघ के सदस्य के रूप में ब्रिटेन से यह आशा की जाती है कि वह खास तौर से भारत की चौथी पंचवर्षीय आयोजना की आवश्यकताओं पर केवल संघ की बैठक में, जो विश्व बैंक के तत्वाधान में इसी वर्ष बाद में होगी, विचार करेगा। पर बैठक होने तक के अरसे के लिए, ब्रिटेन ने भारत सरकार को, 1966–67 के लिए जितनी सामान्य सहायता देने का वचन दिया है उसमें से पेशगी किस्त के रूप में 1.7 करोड़ पौंड (22.67 करोड़ रुपये) की रकम उपलब्ध की है। भारत सरकार ने इस सहायता का हार्दिक स्वागत किया है।

सिंचाई परियोजनाओं का केन्द्रीय नियंत्रण

*1644. **श्री राम सहाय पाण्डेय** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्न भागों के ऐसी 8 अथवा 9 सिंचाई परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है जिन का निर्माण-कार्य इस समय भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाओं का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की संभावना है; और

(ग) किन कारणों से ऐसी कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ी है?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) बृहत सिंचाई व बहूद्देशीय परियोजनाओं पर धन लगाने और उन के कार्यान्वयन की पद्धति के सामान्य प्रश्न का पुनरवलोकन हो रहा है। इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : कुछ राज्य इस प्रकार की परियोजनाओं के द्रुत कार्यान्वयन के लिये अपनी योजनाओं के लिये निर्धारित की गई राशियों में से पर्याप्त धन के प्रबन्ध करने में असमर्थ है।

3—74 L. S./66

मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा निजी चिकित्सा वृत्ति

*1645. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन चलाये जाने वाले सभी मेडिकल कालेजों में कोई ऐसा सामान्य नियम लागू होता है जिसके अन्तर्गत इन कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा निजी चिकित्सा वृत्ति निषिद्ध है;

(ख) क्या यह सच है कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज के, जो दिल्ली प्रशासन के अधीन है, प्रधानाचार्य को निजी चिकित्सा वृत्ति करने दी जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही करने के क्या विशेष कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य, डा० पी० सी० ढांडा को कार्यालय के समयोपरान्त प्रधानाचार्य की हैसियत से कालेज की सेवाओं में किसी प्रकार का व्यवधान डाले बिना, प्रतिबंधित निजी चिकित्सा वृत्ति की अनुमति दी गई है। उन्हें प्रैक्टिस न करने का कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। इस पद पर डा० ढांडा की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की गयी थी। वह इस पद के लिए सर्व प्रकार से योग्य समझे गये। उन्होंने अपने वेतन के अतिरिक्त कतिपय सुविधाओं की मांग की थी और संघ लोक सेवा आयोग को इन सुविधाओं के देने में कोई आपत्ति नहीं हुई थी। इस प्रकार डा० ढांडा को प्रतिबंधित निजी चिकित्सा वृत्ति की अनुमति प्रदान की गई। उन्हें प्रथमत: दो साल के कन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया गया है और जब तक डा० ढांडा इस पद पर कार्य करते रहेंगे तब तक इस पद को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कैडर से अलग रखा गया है।

आयकर की बकाया राशि का बट्टे खाते में डाला जाना

*1647. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963-64 तथा 1964-65 में बहुत से करदाताओं की आय-कर की बकाया राशि बट्टे-खाते में डाल दी गई थी अथवा कम कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उन करदाताओं के नाम क्या हैं, जिन की प्रत्येक की 10 लाख रुपये से अधिक बकाया राशि को इस प्रकार बट्टे खाते डाला गया अथवा कम किया गया ;

(ग) प्रत्येक मामले में बकाया राशि को बट्टे-खाते में डालने अथवा कम करने के कारण क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में किस प्राधिकारी ने ऐसा निर्णय किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1963-64 और 1964-65 में कुछ निर्धारितियों की आयकर की बकाया रकमें बट्टे खाते डाली गयीं या कम कर दी गयी थीं।

(ख) इस प्रकार के छः मामले थे;

(i) श्री मोतीलाल मूलचन्द, इ
(ii) श्री .माईथीन कुंजू, क्वीलोन।
(iii) मैसर्स पदम चन्द एण्ड कम्पनी, दिल्ली।

(iv) राजा काली प्रसाद सिंह, झरिया।

(v) मुल्ला लक्ष्मी नारायण स्वामी, ताडपत्री (जिला अनन्तपुर)।

(vi) मैसर्स बिहारी लाल रामचरण और भागीदार, कानपुर।

(ग) कर निर्धारितियों की परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और उनकी कर देने की क्षमता के बारे में की गयी सूक्ष्म जांच पड़ताल से प्राप्त सूचना के आधार पर इनमें से प्रत्येक मामले में आयकर की बकाया रकमें कम कर दी गयी थीं।

(घ) सभी मामलों में निर्णय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लिया और उपर्युक्त भाग (ख) की क्रम संख्या (ii) और (iv) में उल्लिखित मामलों में निर्णय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंत्री महोदय की स्वीकृति से लिया।

राज्यों में प्रति व्यक्ति आय

*1648. **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, कानपुर तथा दिल्ली के नगरीय क्षेत्रों और बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और आन्ध्र प्रदेश के सब से अधिक पिछड़े हुए जिलों में प्रति व्यक्ति आय क कोई आंकड़े इकट्ठे किये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस विषमता को कम करने के उद्देश्य से प्रभावोत्पादक उपचारी कार्यवाही करने के हेतु ऐसा अध्ययन करने का है?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिलहाल, सरकार प्रति नगर अथवा प्रति जिले के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति आय के अनुमान तैयार करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण कराने का विचार नहीं कर रही है।

केरल के अराजपत्रित अधिकारी

*1649. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अराजपत्रित अधिकारियो ने सरकार को सूचित किया है कि वे केरल वेतन आयोग द्वारा घोषित नये वेतन-क्रमों को अस्वीकार (बायकाट) करेंगे ;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मामले को निपटाने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) केरल सरकार को कर्मचारियों की कुछ संस्थाओं के इस आशय के संकल्प मिले हैं।

(ख) और (ग) : उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इन मांगों पर विचार किया है और उन सभी अराजपत्रित अधिकारियों को, जिन्हें वेतन-निर्धारण के परिणामस्वरूप पांच रुपय प्रतिमास से कम का लाभ पहुंचा है उन्हें एक वेतन-वृद्धि देने और उन सब लोगों को भी एक वेतन-वृद्धि देने का प्रस्ताव किया है जिनका सेवाकाल 15 वर्ष से कम न हो।

विदेशी पूंजी विनियोजन के लिये प्रोत्साहन देने की शर्तों को उदार करना

*1650. **श्री फिरोदिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस समय विदेशी पूंजी-विनियोजन के लिये प्रोत्साहन देने के लिये शर्तों के उदार बनाने के प्रश्न पर विश्व बैंक तथा अन्य औद्योगिक संस्थाओं से बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकार प्रायोजना और गैर-प्रायोजना सम्बन्धी सहायता के बारे में विश्व बैंक से बातचीत कर रही है। इस बातचीत में आयात की अत्यावश्यक वस्तुओं पर लगे नियंत्रण को ढीला करने का भी जिक्र हुआ है, लेकिन यह किसी बातचीत का अंग नहीं है और न आयात नीति को उदार बनाने का उद्देश्य विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर सोने का पकड़ा जाना

*1651. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 अप्रैल, 1966 को पालम हवाई अड्डे पर एक भारतीय राष्ट्रजन के पास 100 तोले सोना पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो यह सोना किन परिस्थितियों में पकड़ा गया;

(ग) क्या इस तस्करी में किसी अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ होने का सन्देह किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : 23 अप्रैल, 1966 की रात को पालम हवाई अड्डे के सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक भारतीय नागरिक को जो कि बम्बई से आया था, सन्देह पर पकड़ लिया और तलाशी लेने पर उसके पास से विदेशी मार्का का 100 तोला सोना बरामद हुआ जिसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय दर पर 62,500 रुपये होता है।

(ग) अभी तक की जांच से इस बात का पता नहीं चलता कि इस मामले में किसी अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के गिरोह का हाथ है। जांच अभी जारी है।

(घ) सवाल ही नहीं उठता।

चौथी योजना में सिंचाई और बिजली परियोजनाएं

*1652. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमित संसाधनों से अधिकतम लाभ उठाने के लिये योजना आयोग का विचार, चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बिजली परियोजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करने का है; और

(ख) उन बड़ी परियोजनाओं का, जिनका काम पर्याप्त धन की कमी के कारण रुका पड़ा है, शीघ्र निष्पादित करने के लिये विभिन्न राज्यों को काफी अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये जो मोटी रूप-रेखा तैयार की जा रही है, उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् की 5 तथा 6 सितम्बर, 1965 को सम्पन्न बैठक में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं की कार्यान्वयन की प्राथमिकता निम्न प्रकार निर्दिष्ट की गई थी :

"चौथी योजना के दौरान, पूर्व निर्मित क्षमता के उपयोग में तीव्रता लाने के लिए, पहले से पूरी की गई सिंचाई योजनाओं के समेकन पर बल दिया जाना चाहिए। काश्तकार के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए यह आवश्यकता है कि खेतों की नालियों का निर्माण, जोकि लाभानुभोगियों की जिम्मेदारी है, सहित पीछे से आ रही योजनाओं को पूरा करने के काम को उच्चतम प्राथमिकता दी जाय"।

जहां तक बिजली परियोजनाओं का सम्बन्ध है, बिजली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इनके लिए योजना में व्यय-व्यवस्था का आवंटन किया गया है।

(ख) सिंचाई तथा बिजली योजनाओं के लिए प्रावधान, राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं के कुल प्रावधान के अन्तर्गत किया जायेगा। राज्यों की पंचवर्षीय योजना की व्यय-व्यवस्था के लिए धन उपलब्ध करने की योजना, जिसमें सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं की व्यवस्था भी शामिल है, का ब्यौरा राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय तैयार किया जायेगा।

Gandak Project

*1653. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no progress in the completion of the Gandak Project for want of funds ; and

(b) if so, the manner in which Government propose to make funds available for the purpose ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) and (b). The provision made for 1966-67 in the Bihar State budget is Rs. 9·18 crores. Against this a sum of Rs. 3 crores has been provided in the Central Budget for earmarked loan assistance for this Project. The tempo of work on the Gandak Project can be maintained if the amount as budgetted by the State is made available.

It is possible the Central assistance may be increased by readjustment or enhancing the provision.

रिजर्व बैंक द्वारा "पी" फार्मों का जारी किया जाना

*1654. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये भारत के रिजर्व बैंक से "पी" फार्म प्राप्त करने में अत्याधिक देरी होने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब तथा इस के परिणामस्वरूप आवेदनकर्ताओं को होने वाली असुविधा को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकार को सामान्यतः इस बात का संतोष है कि यदि आवेदन पत्र पूरी तरह से ठीक-ठीक भरे जायं, तो भारतीय रिज़र्व बैंक को "पी" फारम के आवेदन-पत्रों को निपटाने में असाधारण देरी नहीं लगती।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नर्मदा नदी परियोजना

*1655. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी परियोजना के सम्बन्ध में खोसला समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या मध्यप्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों के साथ उन की बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : सम्बद्ध राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ अभी विचार विमर्श हो रहा है। इस बातचीत के पूरा होने के बाद ही स्थिति को आंकना सम्भव होगा।

ब्रिटेन में श्रीमती मुंदड़ा द्वारा शेयर खरीद रखना

1655-क. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री हरिदास मुंदडा की पत्नी, श्रीमती वाई० डी० मुंदडा ने मैसर्स होरे मिलर लिमिटेड, रजिस्टर्ड आफिस, मिन्ट वाक, क्राइडन, सर, ब्रिटेन के शेयर ले रखे हैं;

(ख) क्या विभाग द्वारा इस बात की जांच की गई है कि उन्होंने इतना अधिक धन कसे प्राप्त किया तथा क्या वह धन हिसाब-किताब में दिखाया गया है अथवा यह काला धन है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : सूचना मंगवाई गई है और मिलते ही सदन की मेज़ पर रख दी जायगी।

Report of the World Bank on Agricultural Production

*1656. **Shri Madhu Limaye :**
Shri S. M. Banerjee :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representatives of the World Bank have submitted a report in which they have criticised the increase made in agricultural production during the Third Five Year Plan; and

(b) if so, its impact on foreign assistance for argiculture ?

The Finance Minister (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The World Bank Officers have made a review of agriculture and agricultural production during the Third Five Year Plan and have submitted their draft report to the Chairman of the World Bank.

(b) As the final report has not so far been prepared, so it is not possible to estimate the impact of foreign assistance on agriculture.

Irrigation Programme during Fourth Plan

*1657. **Shri Bhagwat Jha Azad** : **Shri Sarjoo Pandey** :
Shri S. C. Samanta : **Shri Linga Reddy** :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether an outline of irrigation programme for the Fourth Five Year Plan has been finalised;

(b) if so, the broad details thereof ; and

(c) whether any target has been fixed for the first year of the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) :

(a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is expected that about 2·5 million acres of additional irrigation potential would be created in 1966-67 from major and medium irrigation projects.

पश्चिमी कोसी नहर

*1658. **श्री श्रीनारायण दास** : **श्री बड़े** :
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री किदर लाल**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नेपाल सरकार द्वारा की गई आपत्तियों के परिणामस्वरूप पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण कार्य को आरम्भ करने के मार्ग में आने वाली बाधायें अब दूर हो गई है;

(ख) क्या इस नहर के पुनः रेखांकन (रिआलाइनमेंट) का प्रश्न अन्तिम रूप से तय हो गया है; और

(ग) इस बारे में किस प्रकार के परिवर्तन किये गये हैं तथा जहां तक नेपाल तथा बिहार राज्य के क्षेत्रों की सिंचाई का सम्बन्ध है, इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : नेपाल सरकार के साथ पश्चिम कोसी नहर और अन्य पक्षों के संबंध में बातचीत के शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है और इस से नहर पर काम आगे चल सकेगा।

M. P.'s Car Involved in Smuggling

***1659. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri H. N. Mukerjee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3446 on the 7th April, 1966 regarding a M.P.'s car involved in smuggling and state :

(a) whether the adjudication proceedings have since been finalised;

(b) if so, the action taken against the Member of Parliament whose car is involved in smuggling; and

(c) the Quantity of contraband gold seized which was being smuggled in that car ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes Sir.

(b) There was evidence that the car belonging to the Member of Parliament had been used for transportation of contraband gold. The car has been confiscated and a redemption fine of Rs. 16,000 in lieu of confiscation, has been imposed. As the Member of Parliament was not involved in the smuggling of the gold there was no question of taking any action against him personally.

(c) 1090 tolas of gold were seized in this case from a house in Kalbadevi area of Bombay.

एक भूतपूर्व संसद्-सदस्य की मृत्यु के बारे में जांच

***1660. श्री हरि विष्णुकामत :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री संसद् के एक भूतपूर्व सदस्य के संबंध में 25 अप्रैल, 1966 के एक निधन संबंधी उल्लेख के सिलसिले में वैदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : श्री राजेन्द्र सिंह की, जिनकी मृत्यु विलिंग्डन अस्पताल में हुई थी, हिस्ट्री शीट का अध्ययन कर लिया गया है। रोगी 8 अप्रैल, 1966 को इस नर्सिंग होम में भर्ती हुआ था और 22 अप्रैल, 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। रोगी की मृत्यु यकृत के फोड़े से हुई लम्बी रक्त विषाक्तता के कारण हुई।

चूंकि सरकार ने पक्की तौर पर पता लगा लिया है कि रोगी का हर सम्भव उपचार कर लिया गया था तथा उसकी ओर पूरा पूरा ध्यान दिया गया था अत: इस बारे में कोई जांच करवानी आवश्यक नहीं है।

केरल भूमि सुधार अधिनियम

5391. श्री अ० क० गोपालन : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिनियम में क्या क्या मुख्य संशोधन करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने इस अधिनियम का परीक्षण करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : केरल भूमि सुधार अधिनियम की कतिपय धाराओं में जो संशोधन किये जाने हैं वे राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। परन्तु इस प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) : भूमि सुधार अधिनियम के कार्यान्वियन की प्रगति पर्यवेक्षण करने के लिए समिति के गठन का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति

5392. श्री अ० क० गोपालन : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों की आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नति तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति ने केरल का दौरा किया था;

(ख) क्या उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि केरल में 10 प्रतिशत पदों को आरक्षित रखने के सिद्धांत का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) समिति के द्वारा व्यक्त किये गये मतों को कार्य रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) : समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

केरल में नर्सें

5393. श्री अ० क० गोपालन : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में नर्सों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय नर्सों के कितने पद रिक्त हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी नर्सों की मांग बढ़ रही है ; और

(घ) इस समय नर्सों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या क्या योजनाएं चल रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 300।

(ग) जी हां। देश में योग्यता प्राप्त नर्सों की आम कमी है। अधिकांश राज्य अपनी आवश्यकतायें मुख्यतया अपने ही प्रशिक्षण स्कूलों से निकली नर्सों से पूरी करने का प्रयास करते हैं।

(घ) (1) नर्सों का प्रशिक्षण और (2) सहायक नर्स धात्रियों का प्रशिक्षण, ये दो योजनायें हैं जिनके अन्तर्गत राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को नर्सों तथा सहायक नर्स धात्रियों के प्रशिक्षण के लिये नई संस्थायें खोलने तथा वर्तमान संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

Rural Water Supply Schemes in Maharashtra :

5394. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state the proportion of expenditure to be borne by Maharashtra and Central Governments respectively on the implementation of the Rural Water Supply Schemes drawn up by Maharashtra Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health & Family Planning (Shri B. S. Murthy) : For Rural Water Supply Schemes under the National Water Supply and Sanitation Programme, Central assistance is given to the extent of 50% of the expenditure by way of grant. The balance is met by the State Government and/or the beneficiaries.

For Rural Piped Water Supply Schemes under the Local Development Works Programme, the Central assistance is ordinarily limited to 50% of the cost as grant, the balance being met by the State Government, Zila Parishad, District Development Committees etc. and public contribution. In the case of schemes undertaken in difficult or backward areas suitable relaxation can be made in regard to the public contribution. Central assistance for schemes in these areas may thus be more than 50% of total cost of schemes to the extent of the reduction allowed in the people's contribution. However, people's contribution which is one of the basic conditions of the scheme, cannot be waived altogether. In respect of schemes taken up in areas where there is a concentration of Tribal population, the entire cost may be debited to the Central Government.

दिल्ली में चिट फंड कम्पनियां

5395. श्री बागड़ी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1964 में दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र पर मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, 1961 के लागू किये जाने के पश्चात् दिल्ली की काफी चिट फंड कम्पनियों ने अपने चिट धारियों को दिल्ली पर उक्त अधिनियम के लागू किये जाने से पहले जारी किये गये चिटों का भुगतान करना बन्द कर दिया है;

(ख) क्या ग्लोब बेनिफिट चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के चिटधारियों से उक्त कम्पनी द्वारा उनकी देय राशि का भुगतान न किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो चिट धारियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, 1961 को जिसे दिल्ली के संघीय राज्य क्षेत्र में भी लागू किया गया है, 15 जुलाई 1964 से अमल में लाया गया। उसके बाद से, कुछ शिकायतें उस तारीख के पहले किये गये संविदाओं (कंट्रैक्ट) के अनुसार चिट की रकम न अदा करने के सम्बन्ध में मिली हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) शिकायतें पुलिस के पास जांच के लिए भेज दी गयी हैं।

कानपुर में केन्द्रीय सरकार का वित्तीय कार्य

5396. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपूर में केन्द्रीय सरकार के वित्तीय कार्य की कार्यप्रणाली में परिवर्तन किये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत के राज्य बैंक द्वारा अब तक केन्द्रीय सरकार का जो कार्य किया जाता था, क्या वह भारत के रक्षित बैंक के कानपूर कार्यालय को सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस परिवतन के क्या कारण हैं; और

(घ) उसका अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : जहां तक केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का सम्बन्ध है, कानपुरस्थित भारतीय रिज़र्व बैंक ने, 1 अप्रैल, 1966 से, राजकोष अभिकरणों (ट्रेजरी एजेंसीस) का काम भारतीय राज्य बैंक से अपने हाथ में ले लिया है। आशा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंदर सरकारी ऋण के प्रबन्ध से सम्बन्धित काम भी निकट भविष्य में रिजर्व बैंक के कानपूर कार्यालय को सौंप दिया जायगा।

(ग) और (घ) : रिजर्व बैंक ने कानपुर में एक नयी इमारत बनायी है। चूंकि इस इमारत में काफी जगह है, इसलिए बैंक की सामान्य प्रथा के अनुसार, जिसका अनुसरण उन स्थानों में किया जाता है, जहां तक उसके पास पर्याप्त स्थान और कर्मचारी होते हैं, यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लिए राजकोष अभिकरण का कार्य और अन्य सम्बद्ध कार्य बैंक को स्वयं ही करना चाहिए। यह प्रस्ताव है कि कानपुर में राज्य सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों से सम्बद्ध कार्य को भारतीय राज्य बैंक से ले लेने के प्रश्न पर भी कुछ समय बाद विचार किया जाना चाहिए।

बाल शिक्षा भत्ता

5397. **श्री जेधे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल शिक्षा भत्ता वस्तुतः सरकारी कर्मचारियों को दिया गया अथवा उनके लिये था जो रिहायशी मकान न होने के कारण अथवा नान फैमली स्टेशन में ड्यूटी पर होने के कारण अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो पहिली कक्षा से छठी कक्षा तक प्रतिमास प्रति बच्चा 10 रुपये तथा छठी कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा तक प्रति मास प्रति बच्चा 15 रुपये देने का क्या आधार है विशेष कर जब कि सारे भारत में छठी कक्षा तक कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं। शिक्षा भत्ता उन बच्चों के लिए मंजूर किया गया था जो, किसी भी कारण से, सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय और/या निवास स्थान से भिन्न स्थान में पढ़ते और रहते हों।

(ख) यह भत्ता पहली से पांचवी कक्षा तक की शिक्षा के लिए 10 रुपये और छठी से ग्यारहवीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए 15 रुपये प्रति मास प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है। भत्ते का उद्देश्य ऐसे बच्चों के निवास और भोजन आदि के अतिरिक्त व्यय की, कुछ हद तक, पूर्ति करना है जो सरकारी कर्मचारी से अलग रहते है, इसलिए यह भत्ता इस बात का विचार किये बिना दिया जाता है कि कोई शिक्षण फीस दी गयी है या नहीं।

मद्रास राज्य के लिये जल संभरण योजनायें

5398. **श्री वै० तैवर :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई योजना—नगरीय एवं ग्राम्य—के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य के लिये कौन कौन सी तथा कितनी योजनायें मंजूर की गई थीं;

(ख) इन योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई थी और कितनी वास्तव में खर्च की गई है; और

(ग) इन योजनाओं कीं क्रियान्वित करने में केन्द्र, राज्य तथा पंचायतों का वित्तीय हिस्सा कितना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6315/66।]**

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस राज्य सरकार को राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित नगर जल पूर्ति एवं नाली योजनाओं की कार्यान्विति के लिये 1052.51 लाख रुपये राशि ऋण के रूप में तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत सभी, केन्द्र सहायियत योजनाओं के लिये जिनमें ग्राम जल पूर्ति योजनायें भी सम्मिलित हैं, 431, 82 लाख रुपये की राशि सहाययानुदान के रूप में दी गई।

(ग) वर्तमान स्वरूप के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता नगर योजनाओं के खर्च का 100 प्रतिशत तक ऋण के रूप में और ग्राम योजनाओं के खर्च का 50 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में दी जाती है। राज्य सरकार और पंचायतों का भाग ज्ञात नहीं है।

तवा बहु-प्रयोजनीय परियोजना

5399. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2208 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तवा बहु-प्रयोजनीय परियोजना, मध्य प्रदेश को वितपोषित करने के लिये राज्य योजना में नियत किये गये धन के अतिरिक्त, सरकार ने चालू वर्ष में अतिरिक्त सहायता मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इसके लिये निश्चित तिथि निर्धारित की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से 1966-67 में अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिये अभी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) : इस बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिये कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि यह हर साल धन की उपलब्धता पर निर्भर होती है।

उड़ीसा में अनुर्वरीकरण (स्टेरेलाइजेशन) आपरेशन

5400. **श्री डा० कोहोर :**

श्री महानन्द :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने पुरुषों और स्त्रियों का शल्य-चिकित्सा द्वारा अनुर्वरीकरण (स्टेरेलाइजेशन) किया गया है; और

(ख) चालू वर्ष में अब तक उड़ीसा राज्य में जिलेवार कितने लूप बांटे गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1-1-66 से 31-3-66 तक की अवधि में उड़ीसा में 22,767 नसबन्दी आपरेशन किये गये। इस अवधि में कोई भी ट्यूबेक्टोमी आपरेशन नहीं किया गया बतलाया गया है।

(ख) 1-1-66 से 31-3-66 तक की अवधि में उड़ीसा राज्य को 50,000 लूप दिये गये। जिला-वार वितरण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उड़ीसा में परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र

5401. **डा० कोहोर :**

श्री महानन्द :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितने परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र हैं तथा इस समय किन स्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

(ख) क्या प्रशिक्षणार्थी केवल चिकित्सा कर्मचारी हैं अथवा अन्य भी हैं ;

(ग) अब तक कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक; कटक में।

(ख) इस केन्द्र में चिकित्सा तथा परा चिकित्सा दोनों प्रकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

(ग) इस केन्द्र में अब तक प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

डाक्टर	402
विस्तार शिक्षक	75
क्षेत्र कर्मी	144
स्वास्थ्य वीक्षिका	27
सामाजिक कार्यकर्ता	38
योग	686

(घ) जी, हां। उड़ीसा राज्य के लिए भारत सरकार ने एक और प्रशिक्षण केन्द्र पहले ही मंजूर कर लिया है।

सलुंकी नदी पर पन-बिजली परियोजना

5402. **डा० कोहोर :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य में फुलबानी जिले के मुख्यालय के निकट पुटुदी में सलुंकी नदी के झरने पर एक पन-बिजली परियोजना जिसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा चुका है, स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग से कोई सुझाव मिले हैं; और

(ग) इस विषय पर सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों के संगठन

5403. **डा० कोहोर :** क्या **योजना** और **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने संगठन अलग अलग, राज्यवार कार्य कर रहे हैं तथा उनके नाम व पते क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में अब तक प्रत्येक संगठन को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) क्या सरकार उस सहायता का उचित उपयोग किये जाने के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगती है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार रिपोर्ट से संतुष्ट है तथा वर्तमान सहायता में वृद्धि करने का उसका विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 6316/66।]**

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सहायक अनुदानों का उचित उपयोग किया जाता है । तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान गैर-सरकारी संगठनो को 1.25 करोड़ रुपये के साहयक अनुदान देना का उपबन्ध किया गया था । इस योजना के लिये चौथी योजना की अवधि में तीन करोड़ रुपये का उपबन्ध करने का फैसला किया गया है ।

"लूप" का प्रचार करने वाले बोर्डों और इश्तहारों का हटाया जाना

5404. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में लगाये गय "लूप" का प्रचार करने वाले बोर्डों और इश्तहारों को हटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें पहले लगाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं। बोर्डों और इश्तहारों को हटाने का विचार नहीं किन्तु उनके डिजाइन बदले जायेंगे।

(ख) सामान्य नियम के अनुसार इस डिजाइन को हर तीन महीने में बदला जाना था परन्तु क्योंकि कुछ लोगों ने वर्तमान डिजाइन को पसन्द नहीं किया है, इसलिए इसे कुछ आगे ही बदला जा रहा है।

(ग) परिवार नियोजन के आधुनिकतम तरीकों को लोगों के ध्यान में लाने के लिए इन इश्तहारों को लगाया गया था। इस उद्देश्य की काफी हद तक पूर्ति भी हो चुकी है। लोगों को इस ओर निरन्तर प्रोत्साहित करते रहने के लिए नये डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं।

पलाई सेंट्रल बैंक

5405. श्री श्यामलाल सर्राफ :

श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **वित्त** मंत्री 28 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4580 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेंट्रल बैंक के सरकारी परिसमापक (लिक्विडेटर) द्वारा ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के वसूल किये जाने में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं, और

(ख) शीघ्र वसूली कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : समापन (लिक्विडेशन) की कार्रवाई उच्च न्यायालय की निगरानी में की जाती है। परिसम्पत्ति की पुनः प्राप्ति या वसूली के लिए की जाने वाली मुकदमें बाजी में आवश्यक रूप से समय लगता है। कुछ मामलों में, न्यायालय ने, बैंक को लौटाये जाने वाले ऋणों को चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी है। समापन की कार्रवाई शीघ्रता से करने की हर कोशिश की जा रही है।

दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये बैठे व्यक्ति

5406. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किये बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें अन्य स्थान दिया जा चुका है; और

(ख) कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अन्य स्थान नहीं दिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : सरकारी निवास स्थानों के अनधिकृत दखलकारों को नियमतः कोई वैकल्पिक वास नहीं दिया जाता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वायरमैन

5407. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मत्रा बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक वायरमैन, वायरमैन तथा इलैक्ट्रिशियन के पदों में पदोन्नति/नियुक्ति के लिये योग्यता श्रेणी दो तथा योग्यता श्रेणी एक की निम्नतम तकनीकी अर्हता निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऊंचे पदों में पदोन्नति के लिये व्यवसाय परीक्षा ली जाती

(ग) क्या परीक्षा पास करके राज्य/केन्द्रीय सरकार से लाईसेंस प्राप्त अभ्यर्थियों की भी पदोन्नति के लिये व्यवसाय परीक्षा ली जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : जी हां।

(घ) असिस्टेंट वायरमैन, वायरमैन तथा इलैक्ट्रिशीयन की पदोन्नति के लिए ट्रेड टैस्ट का निर्धारण सेमी-स्किल्ड, स्किल्ड तथा हायली स्किल्ड पदों के लिए निर्धारित ट्रेड टैस्ट की सामान्य प्रथा के अनुकूल है।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण कार्य

5408. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री 2 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1699 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनधिकृत निर्माण के जिन 155 मामलों के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकार को पता लगा है उसके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या न्यायालयों में विचाराधीन 4 मामलों के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ग) खसरा संख्या 136 में बने हुए भाग के बारे में अर्जन करने की कार्यवाही की इस समय स्थिति क्या है;

(घ) उन व्यक्तियों को प्रतिकर अथवा अन्य भूमि कब दी जायेगी, जिनकी भूमि खसरा संख्या 136 में अर्जित कर ली गई है; और

(ङ) प्रतिकर न चुकाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) श्रीनिवासपुरी में सिवाय दो मामलों के और किसी अनधिकृत संरचना को गिराने की कार्यवाई नहीं की गयी है।

(ख) सभी चार मामले अभी तक अदालतों में पड़े हैं।

(ग) से (ङ) : लैंड एक्यूजीशन एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गयी है लेकिन धारा 6 के अंतर्गत अभी जारी नहीं की गयी है। इसका कारण यह है कि अभी तक यह निर्णय नहीं किया गया है कि इसका अर्जन किया जाये अथवा इस पर बनी अनधिकृत संरचना का नियमतीकरण कर दिया जाये। यदि इसके अर्जन का निर्णय किया गया तो भू-स्वामियों को मुआवजा दिया जायेगा अथवा विकल्प रुप से भूमि का विकसित प्लाट।

आदिम जाति विकास खण्ड

5409. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातीय क्षेत्रों तथा उन लोगों में हुए विकास की प्रगति का अनुमान लगाने के लिये हाल में देश के आदिम जाति विकास खण्डों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ग) आदिम जातीय विकास खण्डों में किस लिहाज से प्रगति हुई है; और

(घ) उन खण्डों में आदिम जाति के लोगों को कितना प्रतिशत लाभ पहुंचा है ?

समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : विशेष बहु प्रयोजनीय आदिम जातीय विकास खण्डों सम्बन्धित समिति ने 1959–60 में चुने हुए विशेष बहु प्रयोजनीय आदिम जातीय विकास खण्डों का अध्ययन किया था। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयोग ने 1960–61 में देश के आदिम जातीय विकास खण्डों का अध्ययन किया था। योजना आयोग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त, सामुदायिक विकास के राष्ट्रीय संस्थान तथा असम के पहाड़ी ज़िलों के लिये योजना आयोग की राज्य केन्द्र के संयुक्त अध्ययन दल द्वारा समय समय पर आदिम जातियों की विशिष्ट समस्याओं जैसे कि ऋण-ग्रस्तता तथा बंधक श्रम, के बारे में अनेक सीमित अध्ययन किये जाते हैं।

(ग) आदिम जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की तथा परिवर्तन के अनुरूप होने की असमानताओं के कारण सभी आदिम जातीय विकास खण्डों में एकसी प्रगति नहीं हुई है। साधारणतया, शिक्षा सम्बन्धी संयोजनाओं आर्थिक विकास सम्बन्धी संयोजनाओं तथा संचार साधनों में अच्छी प्रगति हुई है।

(घ) आदिम जातीय लोगों को मिलने वाले लाभों की प्रतिशतता आंकना सम्भव नहीं है।

Overtime Allowance to Government Employees

5410. Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**
Shri P. C. Borooah : **Shri Subodh Hansda :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri Vishram Prasad :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the difference in the amounts of overtime allowance paid to the officers and staff under the overtime allowance scheme in 1962-63, 1963-64 and 1964-65; and

(b) whether Government have any proposal under consideration to effect economy by discontinuing overtime allowance scheme keeping in view the present emergency ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Under the overtime scheme which was formulated on the recommendation of the Second Pay Commission and which is applicable to office staff and other staff whose prescribed hours and nature of work are comparable to those of 'office staff', the overtime allowance is not admissible to Gazetted officers, non-gazetted Government servants whose pay is Rs. 500 or above per mensem and those holding supervisory post unless they fulfil certain conditions. The amount paid as over-time allowance in the Secretariat offices during the three years ended May, 1965 was as follows :—

	Rs.
June '62 to May '63	22,60,720
June '63 to May '64	26,84,396
June '64 to May '65	35,58,569

(b) No, Sir. However, the rates of overtime allowance were reduced with effect from the 1st January, 1966 and the reduced rates are applicable uniformly on working days, Sundays and all other holidays.

Shortage of Office Accommodation

5411. Shri M. L. Dwivedi : Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah : Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the reasons for increased requirements for office accommodation from 42·55 lakhs square feet in 1956-57 to 63·67 lakhs square feet as at present;

(b) the steps taken to meet the shortage of office accommodation after Independence;

(c) the total funds required for making provision of the requisite office accommodation; and

(d) the reaction of the Finance Ministry in the matter ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) There has been considerable increase of governmental activity during the last few years particularly after the Chinese attack in 1962 and the Pakistani aggression in 1965 and this has resulted in a steadily increasing demand for office accommodation.

(b) The following steps have been taken to meet the shortage of office accommodation :—

(i) Construction of new office buildings has been stepped up during the last few years.

(ii) Efforts have been made to shift some Government offices outside Delhi so as to relieve congestion in the capital.

(iii) Various pavilions in the Exhibition Grounds have been put to use as office accommodation.

(c) After the permanent buildings under construction at Delhi, are completed, the total effective shortage of permanent accommodation will be about 24·00 lakh square feet. At a rough estimate, about Rs. 10·80 crores would be required to construct this accommodation.

(d) In view of the acute financial stringency the Ministry of Finance did not agree to provide funds for new office buildings in the current years budget. They have, however, agreed to review the position in July and to allocate funds in the financial position permits.

Cut in Foreign Exchange on Tours Abroad

5412. Shri M. L. Dwivedi : Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah : Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the cut affected in the yearly allocation of foreign exchange in respect of tours abroad for industrial and study purposes during 1965-66; and

(b) whether the cut is proposed to operate during 1966-67 also ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b). Unlike in the case of physical imports, allocations are not made periodically for such purposes like tours abroad for industrial and study purposes. Cases are scrutinised qualitatively in terms of general policies decided upon from time to time. The question of effecting cuts in allocations for such purposes does not therefore arise.

Foreign Exchange Restrictions

5413. Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**
Shri P. C. Borooah : **Shri Subodh Hansda :**
Shri Bhagwat Zha Azad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether foreign exchange restrictions have been imposed even on persons going abroad for obtaining technical know-how and for advanced studies ;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the total amount of foreign exchange granted in 1965-66 for the above purpose and the amount actually spent out of it ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement indicating the policy for 1965-66 was laid on the Table of the House in reply to Starred Question No. 108 answered on the 19th August, 1965.

(c) A sum of Rs. 3·53 crores was released for Education abroad and this was for technical and other advanced studies. Remittances are effected by Authorised Dealers against permits issued by the Reserve Bank and separate records are not kept for actual remittances so made and reported by them.

सीमा-शुल्क की वसूली न की गई राशि

5414. श्री यशपाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जून, 1965 को देश में सीमा-शुल्क की लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की राशि वसूल करनी बकाया थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकार की सूचना के अनुसार 30 जून 1965 को सीमा-शुल्क की केवल (लगभग) 84 लाख रुपये की रकम वसूल होना बाकी थी।

(ख) डिमाण्ड नोटिस जारी करने के बाद पार्टियों को शुल्क का भुगतान करने के लिये बराबर लिखा जा रहा है और उनके द्वारा शुल्क की अदायगी नहीं किये जाने पर प्रत्येक मामले के अलग अलग गुण-दोष का ध्यान रखते हुए निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

(i) सीमा-शुल्क विभाग द्वारा पार्टी को अदा की जाने वाली कोई भी रकम शुल्क की बकाया मांग के बदले समायोजित करने के लिये काट ली जाती है।

(ii) सीमा-शुल्क विभाग के नियंत्रण में पड़े माल का मालिक अगर शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो माल को रोकने तथा उसे बेचने की कार्यवाही की जाती है।

(iii) जहां (i) और (ii) में बताये गए उपाय कारगर नहीं होते, वहां सम्बन्धित पार्टी से मिलने वाली राशि का सूचक-प्रमाणपत्र उस जिले के कलेक्टर को भेज दिया जाता है जिसमें पार्टी की कुछ सम्पत्ति हो या जहां वह रहता हो या व्यापार करता हो और उक्त कलेक्टर से इस प्रकार के प्रमाणपत्र मिलने पर उसमें बतायी गई रकम को भू-राजस्व की बकाया रकम के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करता है।

सामान सम्बन्धी कुछ मामलों में निकटतम केन्द्रीय उत्पादन शुल्क/सीमा शुल्क अफसरों को शीघ्र वसूली के लिये सम्बन्धित पार्टियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये कहा जाता है।

कृष्णा-गोदावरी नदी जल विवाद

5415. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने प्रार्थना की है कि कृष्णा-गोदावरी नदी जल विवाद को हल करने के लिये एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : जी, हां। प्रार्थना 1963 में की गई थी। सरकार का विचार है कि नदी सम्बन्धी झगड़े यथासंभव बातचीत के जरिये निपटाये जाएं। संबद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श हुआ था और इस मामले को निपटाने के लिये सम्बद्ध राज्यों की सहमती से और बैठकें की जा रही हैं।

दुर्गापुर बराज

5416. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर बराज (बांध) तथा सिंचाई नहर के स्वामित्व के हस्तान्तरण का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) अभी नहीं।

(ख) कार्यात्मक आधार पर दामोदर घाटी निगम के प्रस्तावित पुनर्गठन के एक भाग के रूप में इस मामले पर अभी विचार हो रहा है।

दुर्गापुर नौवहन नहर

5417. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर नौवहन नहर विभाग की ओर से चलाई जा रही है अथवा इसे पट्टे पर दे दिया गया है;

(ख) इस नहर का लाभ तथा हानि का लेखा-जोखा क्या है; और

(ग) क्या इस का परीक्षण काल अब समाप्त हो गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : दुर्गापुर नौवहन नहर को मैसर्ज हिन्दुस्तान शिपिंग कम्पनी लिमिटेड 27-10-65 से पट्टे पर चला रही है। चूंकि इस प्रबन्ध को अभी हाल ही में शुरु किया गया है, इसलिये प्रचालन का कोई वित्तीय लेखा-जोखा अभी नहीं किया गया है। नवम्बर, 1965 के अन्त तक नौवहन पर कुल पूंजीगत व्यय लगभग 527 लाख रुपये है। किन्तु कोई राजस्व प्राप्ति नहीं हुई है। पट्टे के बन्दोबस्त से पहले नहर को आजमायश के तौर पर चलाया गया था।

I. T. Laws

5418. Shri D. N. Tiwari : Will the Minister of **Finance** be please to state :

(a) whether it is a fact that rules regarding exemptions and incentives under the Income Tax Law are framed with inordinate delay which cause much inconvenience to the assessees;

(b) whether Government have received any complaints to this effect; and

(c) if so, steps taken to in the matter ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chandhuri) : (a) No, Sir, while the framing of rules and schemes regarding exemplions and incentives under the income-Tax Act, necessarily takes some time, adequate care is taken to ensure that no hardship or inconvenience is caused to the assessees and that the benefit otherwise admissible under the provisions of Income-tax Act is not denied to them by reason of any delay in publishing the rules or schemes.

(b) No, Sir.

(c) The question does not arise.

बिहार में अनुसूचित आदिम जातियां

5419. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** तथा [**समाज कल्याण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में सब से अधिक अनुसूचित आदिम जातियों के लोग हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित आदिम जातियों को केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षा में बैठने के लिये प्रशिक्षण देने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) इस योजना के सम्बन्ध में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी, नहीं।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष ली जाने वाली भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलीस सेवा तथा अन्य सेवाओं की परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के जो छात्र बैठना चाहते हैं, उनके लिये भारत सरकार इलाहाबाद में एक परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र चला रही है।

(ग) यह योजना लोक प्रिय है।

राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये सोना देने के लिये भूतपूर्व राजा महाराजाओं की अपील

5420. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संसद् के सदस्यों बड़ौदा के महाराजा, ग्वालियर की महारानी तथा कालाहांडी के महाराजा प्रताप केसरी देव ने भारत के भूतपूर्व राजाओं, महाराजाओं से राष्ट्रीय रक्षा कोष में सोना देने के लिये अपील की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रेरणा तथा अपील पर कितना सोना प्राप्त हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : सरकार को ऐसी किसी अपील के जारी किये जाने की सूचना नहीं है । यदि कोई अपील जारी भी की गयी हो, तो इस बात का पता लगाने का सरकार के पास कोई साधन नहीं है कि उसके फलस्वरूप कितना सोना प्राप्त हुआ ।

प्राकृतिक संसाधनों की आर्थिक अवस्था

5421. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में लाये जाने की आर्थिक अवस्था के बारे में यूनेस्को के डा० एस० एस० एडिसेशियाह द्वारा 17 जनवरी, 1966 को नई दिल्ली में दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार प्राकृतिक संसाधनों तथा विश्लेषणात्मक अन्वेषणों के सम्बन्ध में वर्तमान अध्ययन को व्यापक बनाने के बारे में उनके मत से सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो देश के आर्थिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक भारतीय संसाधनों के स्रोत के बारे में स्पष्ट स्थिति का पता लगाने के लिए इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : डा० एडिसेशियाह द्वारा जो विचार प्रकट किये गये है, सरकार उन सब से सहमत नहीं है । फिरभी, प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में अपेक्षित अध्ययन करने के महत्व को सरकार स्वीकार करती है और वस्तुतः सरकार ने काफी पहले दिसम्बर, 1961 में ही प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी समिति नियुक्त कर दी थी । यह समिति तब से प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन एवं सर्वेक्षण कर रही है । समिति ने कई महत्वपूर्ण अध्ययन और सर्वेक्षण पूरे कर लिए हैं और कइयों पर काम हो रहा है, तथा महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं । इसका काम इस प्रकार का है जो निरन्तर चलता रहेगा ।

समयोपरि भत्ता

5422. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में समयोपरि काम के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली बढ़ती हुई राशि के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है तथा कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या यह सच है कि समयोपरि काम के लिये धन देने की इस पद्धति से कार्यालय के समय में काम न करने तथा किये गये काम में भारी गिरावट की प्रवृत्ति आ गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : । (क) जी हां ।

(ख) फिर से जांच करने के परिणामस्वरूप समयोपरि भत्ते के खर्च में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये थे :

(i) केन्द्रीय रजिस्ट्री के कर्मचारियों के लिए प्रतिघन्टा दर के बदले समान दर शुरू की गयी ।

(ii) 1 अक्टूबर, 1961 से किसी व्यक्ति को एक महीने में दिये जाने वाला समयोपरि भत्ता उसकी उपलब्धियों के एक-तिहाई तक सीमित किया गया था । यह सीमा विशेष परिस्थितियो में वैयक्तिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनकी प्रतिमास उपलब्धियों की आधी रकम तक बढ़ायी जा सकती है ।

(iii) 17 नवम्बर, 1962 से वह समय जिसके लिये समयोपरि भत्ता देय नहीं होता और जिसके बीतने पर यह भत्ता दिया जाता है 45 मिनट से बढ़ाकर एक घन्टा कर दिया गया था ।

(iv) 2 मार्च, 1965 से रविवार और छूट्टी आदि के दिनों में काम के लिये आम तौर पर एवजी छुट्टी दी जाती है और नकदी के रूप में क्षतिपूर्ति तभी की जा सकती है जब संयुक्त सचिव या विभागाध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि एवजी छूट्टी देना सम्भव नहीं है ।

(v) 1 जनवरी, 1966 से समयोपरि भत्ते की दरों में 10 प्रतिशत की कमी कर दी गयी है और घटी हुई दरें कार्यालय के समय के बाद और रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिनों पर समान रूप से लागू होती हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मूत्राशय में पत्थरी को नष्ट करने का नया तरीका

5423. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सोवियत समाचार एजन्सी ए० पी० एन० द्वारा प्रकाशित, इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मूत्राशय में पैदा होने व पत्थरी को शीघ्र तथा बिना पीडा पहुंचाये नष्ट करने के लिये रूसी फिजिशियन तथा इंजीनियरों ने 'उराटइ' नामक एक नया इलेक्ट्रानिक उपकरण का आविष्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) सूचना की प्रतीक्षा है ।

ऋणों के उपयोग की जांच करने के लिये मूल्यांकन संस्था

5424. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को दिये गये ऋणों के उपयोग की जांच करने के लिए एक मूल्यांकन संस्था स्थापित की थी;

(ख) क्या उस संस्था ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सहकारी ऋणों के उपयोग के विषय में अध्ययन किया तथा नवम्बर, 1965 में एक प्रतिवेदन तैयार किया ।

(ग) प्रतिवेदन का सारांश सभा-पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6317/66 ।]**

(घ) प्रतिवेदन की प्रतियां खाद्य और कृषि एवं सामुदायिक विकास व सहकार मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेज दी गई हैं ।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

5425. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 तथा 1965-66 में अनुमोदन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कितनी तथा कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं भेजी थीं;

(ख) इन सभी परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु किन किन परियोजनाओं पर विचार किया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को 1-4-1964 से 21-3-1966 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित चार परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं :—

(1) सर्जू नहर

(2) हरिपुरा जलाशय

(3) गुलरिया बांध

(4) कोसी सिंचाई स्कीम

(ख) परियोजना रिपोर्टों के अनुसार इन परियोजनाओं पर लगभग 54 करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

(ग) चौथी योजना का कार्यक्रम अभी तक तैयार नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश में अनुसन्धान योजनाएं

5426. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में उत्तर प्रदेश के लिये केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड ने कोई अनुसन्धान योजनाएं मंजूर की हैं अथवा मंजूर करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6318/66 ।]**

सिन्धु नदी जल आयोग

5427. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा सिन्धु नदी जल आयोग की 21 मई, 1965 को होने वाली 18वीं बैठक में भाग लेने के लिये भारतीय प्रतिनिधिमण्डल को सड़क द्वारा लाहौर जाने की अनुमति देने से इन्कार किये जाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) सिन्धु जल के पाकिस्तानी कमीशनर ने भारतीय कमीशनर तथा उसके सलाहकारों के साथ हुई दुर्घटना और उसके परिणामस्वरूप उनको हुई तकलीफ के लिये दिल से खेद प्रकट किया है ।

बम्बई में सोने की तस्करी

5428. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के समुद्री निवारक अनुभाग (मैरीन प्रीवेन्ट्रिव सैक्शन) ने 8 मार्च, 1966 को अल्ट्रामाउन्ट रोड़, बम्बई में एक कार से साढ़े छः लाख रुपये का विदेशी छाप वाला सोना पकड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता कार्यालय बम्बई, के समुद्री और निरोधक प्रभाग के अफसरों ने 8 मार्च, 1966 को बम्बई में अल्ट्रामाउन्ट रोड़ पर एक कार से 4000 तोले विदेशी मार्का सोना पकड़ा, जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दर से लगभग 2,50,000 रुपये आंका गया है । कार भी पकड़ ली गयी है ।

(ख) दो आदमियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

धार्मिक स्थानों के लिये वक्फ बोर्ड

5429. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक स्थानों की सम्पत्ति के लिये कोई वक्फ बोर्ड बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड की आय तथा खर्च का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) भारत में धार्मिक स्थानों की जायदाद की निगरानी के लिये सारे देश के लिये कोई एक वक्फ बोर्ड नहीं है। किन्तु वक्फ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में साधारणतः एक वक्फ बोर्ड है जो केवल धार्मिक स्थानों के लिये नहीं बल्कि खैराती तथा शिक्षा सम्बन्धी कामों के लिये भी सार्वजनिक वक्फों की निगरानी करता है । परन्तु, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में दो 'मजलिसे' अथवा 'केन्द्रीय बोर्ड' हैं—एक सुन्नी वक्फों की देखभाल करता है और दूसरा शिया वक्फों की। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में वक्फों पर स्थानीय प्राधिकार का नियंत्रण है और महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र, जो पहले पुराने हैदराबाद राज्य का अंग था, तथा गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र को छोड़ कर कोई वक्फ बोर्ड नहीं स्थापित किया गया है । इन दोनों में अलग अलग एक वक्फ बोर्ड है । जहां तक पश्चिम बंगाल राज्य का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल वक्फ अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत एक वक्फ बोर्ड स्थापित है । जम्मू व काश्मीर ने अभी तक कोई वक्फ बोर्ड स्थापित नहीं किया है क्योंकि यह अधिनियम उस राज्य पर लागू नहीं है ।

(ख) ऊपर भाग (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जहां तक सूचना उपलब्ध है, राज्य वक्फ बोर्डों के आय और व्यय का एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6319/66 ।]**

दिल्ली में सोने की तस्करी

5430. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 मार्च, 1966 को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दो यात्रियों के पास से 16,000 रुपये के मूल्य की सोने और चांदी की छड़ें पकड़ी गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :(क) और (ख) : 22 मार्च 1966 को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने एक यात्री के पास से अंतर्राष्ट्रीय दर पर लगभग 5,000 रुपये मूल्य का 80 तोला विदेशी मार्का सोना पकड़ा। उस व्यक्ति को गिरफतार कर लिया गया और बाद में जमायत पर छोड़ा दिया गया। आगे जांच के लिये मामला सीमा शुल्क अधिकारियों ने ले लिया है और जांचपड़ताल अभी जारी है।

उसी दिन एक दूसरे मामले में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने एक यात्री के पास से चांदी की 19 छड़े पकड़ीं जिन पर बिजली से सोने की पालिश की हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने यात्री के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 55/109 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया गया है।

पंजाब में कुष्ठ निवारण केन्द्र

5431. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय कितने कुष्ठ निवारण केन्द्र हैं;

(ख) इन केन्द्रों में कितने रोगियों के लिये इलाज की व्यवस्था की गई है; और

(ग) वर्ष 1965–66 में इन केन्द्रों की ऋण अथवा अनुदान के रूप में केन्द्र ने कुल कितनी धनराशि दी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, इस समय पंजाब में 2 कुष्ठ नियंत्रण एकक काम कर रहे हैं।

(ख) प्रत्येक केन्द्र में लगभग 250 रोगी प्रति वर्ष।

(ग) विभिन्न रोगों के नियंत्रण के लिये जिनमें कुष्ठ भी सम्मिलित है, पंजाब सरकार को 1965–66 में 30.31 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई। केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान पद्धति के अनुसार धन का नियतन योजना बार नहीं किया जाता अपितु स्वास्थ्य योजनाओं के व्यापक वर्गों अथवा समूहों के लिये जिनमें कुष्ठ नियंत्रण की योजना भी सम्मिलित है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में सहाय्यानुदान मंजूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त पंजाब की एक स्वेच्छिक एजेंसी द्वारा चलाने जाने वाले एक लेप्रसी होम को 1965-66 में 12,000 रुपये की राशि सहाय्यानुदान के रूप में दे दी गई।

पंजाब का विकास

5432. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में पंजाब सरकार को राज्य के विकास के लिए वास्तव में कितनी धनराशि नियत की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) 1966–67 में इस कार्य के लिये उस राज्य को कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 1965-66 के लिए स्वीकृत सालाना व्यय-व्यवस्था 61.53 करोड़ रुपये थी। वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1966-67 के लिए स्वीकृत सालाना योजना व्यय-व्यवस्था 59.93 करोड़ रुपये है।

पंजाब में गन्दी बस्तियों को हटाया जाना

5433. श्री दलजीत सिंह : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में पंजाब में गंदी बस्तियों को हटाने के लिये वस्तुतः कुल कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) 1966-67 में इस कार्य के लिये पंजाब सरकार को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 1965-66 के लिए 3.24 लाख रुपये नियत थे किन्तु वास्तव में 0.4 लाख रुपये की राशि दी गयी क्योंकि 1964-65 में 3.20 लाख रुपये अधिक दे लिये गये थे।

(ख) 3 लाख रुपये।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, उड़ीसा

5434. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मोहन नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों तथा कार्यालयों के लिये विभागीय रिहायशी क्वार्टर तथा स्थायी कार्यालय इमारतें बनाने के सम्बन्ध में सरकार के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :(क) और (ख) : राष्ट्रीय आपत्काल के कारण तथा असैनिक खर्च में बचत की सख्त जरूरत की वजह से राजस्व विभाग द्वारा गत 3-4 वर्षों में उड़ीसा में कोई निर्माण योजना नहीं शुरु की गई। सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर विभागों के लिये कार्यालय तथा रिहाइशी मकानों के निर्माण की स्थिति पर आजकल अखिल भारतीय आधार पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में गृह-निर्माण योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

5435. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मोहन नायक :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने 1964-65 और 1965-66 में क्रमशः उड़ीसा में अल्प तथा मध्यम आय गृह-निर्माण योजनाओं के लिये कितनी धनराशि दी; और

(ख) राज्य सरकार ने उक्त अवधि में इस कार्य के लिये कितनी धनराशि का उपयोग किया ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क)

निम्न आय वर्ग आवास योजना--

दोनों वर्षों में कुछ नहीं ।

मध्यम आय वर्ग आवास योजना--

1964-65 में 20 लाख रुपये, तथा

1965-66 में 13 लाख रुपये ।

कुल जोड़ 33 लाख रुपये ।

(ख) लगभग 31.45 लाख रुपये ।

गर्भ-निरोधक सामग्री

5436. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में लोगों में वितरित करने के हेतु गर्भ-निरोधक पदार्थ खरीदने के लिये हाल में कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : जी नहीं, गर्भ-रोधकों का सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है।

उड़ीसा में कमी वाले क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था

5437. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री मोहन नायक :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अभावग्रस्त क्षेत्रों में, जहां सूखा पड़ा है और फसल भारी गई है पेय जल की सप्लाई करने के लिये उड़ीसा सरकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) उक्त राज्य के अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने वित्त मंत्रालय (समन्वय विभाग) से 2 करोड़ रुपये के तदर्थ अनुदान तथा 1 करोड़ रुपये के एक तदर्थ ऋण के लिये अनुरोध किया था । उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से भी 50 लाख रुपये के एक तदर्थ अनुदान के लिये अनुरोध किया था।

(ग) सुखे से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता देने के खर्च की पूर्ति के लिये उड़ीसा सरकार को फरवरी 1966 में 45 लाख रुपये का एक ऋण मंजूर किया गया उनकी और प्रार्थनाओं पर भारत सरकार विचार कर रही है।

पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को औद्योगिक ऋण

5438. श्री दलजीत सिंह :

श्री दे० द० पुरी :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 और 1966-67 में अब तक पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कुल कितनी रकम के औद्योगिक ऋण दिये गये;

(ख) क्या इन ऋणों के दिये जाने के परिणामस्वरूप पंजाब में कोई उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या इन रकमों के प्रयोग पर नियन्त्रण रखने के लिये कोई व्यवस्था है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही यह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सोने का मूल्य

5439. श्री महेश्वर नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोने के मूल्य की अद्यतन प्रवृत्ति क्या है ; और

(ख) स्वर्ण बांड योजना के लागू होने से तुरन्त पहले सोने का जो मूल्य था उसकी तुलना में वर्तमान मूल्य कैसा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) हाल के महीनों में सोने का मूल्य बढ़ाव की ओर रहा है।

(ख) 2 मई, 1966 को बम्बई में बाजार बन्द होते समय 14 केरेट के प्रति दस ग्राम सोने का मूल्य 90.75 रुपया था जबकि 26 अक्टूबर, 1965 को, यानी राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बाण्ड, 1980 को जारी करने से कुछ ही समय पहले, प्रति दस ग्राम सोने का मूल्य 78.25 रुपये था।

आदिम जाति कल्याण

5440. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री सत्य नारायण :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री आदिम जाति क्षेत्रों के पिछड़ेपन के बारे में 7 अप्रैल, 1966 को योजना मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जातियों का सामान्य रूप से और आदिवासियों का विशेष कर शीघ्र विकास करने के लिये कौनसी विशेष योजनायें तैयार कर ली गई हैं अथवा विचाराधीन हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): "आदिवासी" तथा "आदिम जाति" शब्द समानार्थी हैं। आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी संयोजनाओं का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6320/66।]**

कलकत्ता के चारों ओर वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे

5441. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की यातायात की समस्या को हल करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने तथा वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किये गये महानगरी अध्ययन दल ने इस बीच कितनी प्रगति की है; और

(ख) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : योजना कार्य समिति द्वारा गठित महानगरीय परिवहन सम्बन्धी अध्ययन दल ने पूर्वी रेलवे से कहा है कि वे वृत्ताकार (सर्कुलर) रेलवे परियोजना की प्रारंभिक इंजीनियरिंग सम्भाव्यता का अध्ययन करें। कलकत्ता महानगरीय आयोजन संगठन के सहयोग से पूर्वी रेलवे यातायात मांग सर्वेक्षण भी करेगी।

Smuggling of Watches in Madras

5442. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Excise officials recovered watches and blades worth Rs. 30,000 in Madras on the 7th April, 1966;

(b) if so, the number of watches and blades, separately, as also the person from whom they were recovered; and

(c) the country or countries where they were manufactured and the action taken against the persons concerned?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) to (c). On 7th April, 1966 the Central Excise officers searched the premises of one Shri F. Bhawarlal in Madras and seized the following goods :

Description	Country of Manufacture	Value
		Rs.
333 Wrist Watches . . .	Switzerland	29,410·50
1900 7 O' Clock Blades . .	England	279·30
11 Dozen Cigarette Lighters .	Austria	277·20
	TOTAL .	29,967·00

Shri Bhawarlal was arrested and afterwards released on bail.

The case is under investigation.

Untouchability

5443. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have been making adequate efforts to eradicate untouchability in the country;

(b) if so, whether it is also a fact that Government have divided Scheduled Castes into two group , namely, Scheduled Tribes and Backward Classes with the result that progress of both these groups nas been retarded;

(c) whether Government propose to include both these classes in the term Backward Classes; and

(d) whether equal concessions are given to the members of Backward Classes and to the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar): (a) Yes, Government is making all possible efforts.

(b) (c) & (d). The term "Backward Classes' includes Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes. Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been specified under the provisions of Articles 341 and 342 of the Constitution. The Other Backward Classes include those who satisfy the prescribed economic criterion and the Nomadic, semi-Nomadic and Denotified Tribes. Separate schemes with allotment of funds for the welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes have been included in the Backward Classes Sector of the successive Five Year Plans.

Unaccounted Money

5444. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of the Income-Tax Department have recovered Rs. 20 crores in the Sates of Punjab, Himchal Pradesh and Jammu & Kashmir as reported in the 'Navbharat Times' dated the 11th April, 1966;

(b) if so, the amounts of coins of different metals found therein;

(c) whether some foreign currency has also been recovered and if so, the amount thereof; and

(d) whether some Government officials are also involved in this matter and if so, their names?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The ews. item refers to voluntary disclosures of income under section 24 of the Finance (No. 2) Act, 1965. Till 31-3-1966, 23,213 persons filed declaration disclosing concealed income of Rs. 19,42,44,067 in the States of Punjab, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir.

(b) & (c) · Do not arise.

(d) No, Sir.

देहातों में डाक्टरों की कमी

5445. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 10 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये चिकित्सा स्नातकों को देहाती क्षेत्रों में सेवा करने के लिये प्रोत्साहन देने वाले प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : यह विषय अभी विचाराधीन है।

सूरज कुण्ड का विकास

5446. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 10 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1862 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरजकुण्ड का एक स्वास्थ्यप्रद स्थान के रूप में विकास करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) : यह विषय अभी विचाराधीन है।

Raid on Export-Import Firm, Bombay

5447. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Bade :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officials of his Ministry recovered Rs. 50,000 in Indian currency from an export-import firm in Bombay on the 9th April, 1966;

(b) whether it is also a fact that a number of incriminating documents have also been seized;

(c) if so, the name of the firm and the details of the documents seized; and

(d) the action taken against the person concerned?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) On 7-4-1966 (not on 9-4-1966) a sum of Rs. 50,000 in Indian currency was recovered from a partner of an import-export firm in Bombay, by the officials of the Enforcement Directorate.

(b) No, Sir.

(c) No firm as such is involved but only an individual.

(d) The matter is under adjudication.

बीमा सम्बन्धी समस्याएं

5448. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री 10 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 455 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन तथा सामान्य बीमा सम्बन्धी कुछ समस्याओं के बारे में भूतपूर्व मंत्रिमंडलीय सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : ये अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र दल का प्रतिवेदन

5449. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री 10 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 472 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परिवार नियोजन संबंधी संयुक्त राष्ट्र दल से अन्तिम प्रतिवेदन मिल चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किये हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : दल की मुख्य सिफारिशों का एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6321/66**] कुछ मुद्दों पर सुझाव अन्य स्त्रोतों से भी प्राप्त हुए थे और कुछ मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र दल की रिपोर्ट मिलने से पूर्व भी छचु कार्यवाही कर ली गई थी। संयुक्त राष्ट्र दल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है किन्तु संलग्न विवरण में इस रिपोर्ट के प्राप्त होने से पहले की गई कार्यवाही बतलाई गई है।

Parliamentary Cricket Match

5450. **Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bade :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shrimati Johraben Chavda

Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Members of Parliament played a Cricket match recently;

(b) if so, the funds collected thereby; and

(c) the purpose for which the funds have been raised?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) Yes Sir.

(b) Rs. 1,25,596.12 so far.

(c) In aid of the Jawaharlal Nehru Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, New Delhi.

Hospital in Lajpat Nagar, New Delhi

5451. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a hospital would be constructed in Lajpat Nagar, New Delhi by the International Society of Sophrology and Psychosomatic Medicine;

(b) if so, the extent of Government's contribution therein; and

(c) the capacity of the hospital?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murty) : (a) to (c). We have no official information about the construction or proposal to construct such a hospital. The Government of India have not given any contribution in this regard.

त्रिवेन्द्रम में गर्भ निरोधक पदार्थ बनाने का कारखाना

5452. श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार त्रिवेन्द्रम (केरल) में गर्भ निरोधक पदार्थ बनाने का एक कारखाना लगाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा उस पर कुल कितना खर्च होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) एक कम्पनी (हिन्दुस्तान लैटैक्स लिमिटेड) 1 मार्च 1966 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत की जा चुकी है। यह कम्पनी 1 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी से बनाई गई है। अमेरिका, हंगरी और जापान से प्राप्त सहकार्यता प्रस्तावों की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच कर ली गई है और जैसा कि इस समिति ने सुझाया है, विदेशी सहयोगियों से और आगे सूचना मंगाई जा रही है और विस्तृत बातचीत चल रही है। उत्पादन सहकार्यता समझौता पूर्ण होने के 18 महीने बाद प्रारम्भ होगा।

बम्बई तथा राजस्थान में छापे

5453. श्री स० मो० बनर्जी :

श्री रा० सं० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री बम्बई तथा राजस्थान में मारे गये छापों के बारे में 24 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 750 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय तक इस आशय की उचित जांच कर ली है कि यह झुनझुनवाला तथा गोइन्का लोगों के बीच आपसी झगड़ा नहीं है; और

(ख) वर्तमान सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारियों को सन्देह से परे रखने तथा करदाताओं के प्रति न्यायपूर्ण तथा औचित्य व्यवहार प्रदर्शित करने की दृष्टि से क्या सरकार ने दोनों पक्षों तथा उनके सहयोगियों के प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित सभी अनिर्णीत फाइलों को आयकर विभाग, बम्बई से केन्द्र को सौंपने का निश्चय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जो जांच की गयी है उससे पता चलता है कि श्री चिरंजी लाल गोइन्का के मामले में तलाशियां, गोइन्का तथा झुंझनूवालों के बीच किसी आपसी झगड़े के कारण नहीं ली गयी थीं, बल्कि आयकर आयुक्त को मिली सूचना के आधार पर ली गयी थीं।

(ख) इन मामलों पर कार्यवाही सीधी निरीक्षण निदेशक (जांच-पड़ताल) की निगरानी में आयकर आयुक्त (केन्द्रीय), बम्बई के कार्य-क्षेत्र में की जा रही है। इसलिए इन मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का सवाल ही नहीं उठता।

व्यापारी माल सम्बन्धी तकनीकी समिति

5454. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री 17 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 599 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारी माल सम्बन्धी तकनीकी समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय दिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Production of Wheat

5455. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the crop sown at the residence of the late Prime Minister Lal Bahadur Shastri has yielded about 80 maunds of wheat;

(b) if so, the quality of this wheat;

(c) the purpose for which it would be utilized;

(d) the names of Ministers who have sown wheat in their bungalows; and

(e) the estimated quantity of wheat to be obtained from crops sown in their residences?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) No, the yield is expected to be about 10 maunds.

(b) The varieties of wheat sown at the residence are New Pusa 718 and New Pusa 824.

(c) It is proposed by Shrimati Shastri to distribute this wheat to villagers for being utitised as seed for growing more wheat.

(d) A list showing the names of the Ministers in whose residences wheat has been sown is attached./Placed in Library See No. LT (6322/66).

(e) Approximately 150 maunds.

आदिम जातियों वाले क्षेत्रों को आयकर से छूट

5456. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातियों वाले क्षेत्रों में आयकर की वसूली में छूट की सीमा निर्धारित करने के लिये आयकर अधिनियम में कोई संशोधन करने का सरकार का विचार है;

(ख) शिलांग और खासी तथा जयन्तिया पहाड़ियों एवं आसाम के अन्य ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों से प्रति वर्ष आयकर की कितनी राशि वसूल की जाती है; और

(ग) क्या सरकार को कोई ऐसी जानकारी है कि अनेक आदिम जातीय लोग आदिम जातियों के नाम पर बहुत धन कमा रहे हैं और भारी मात्रा में करापवंचन कर रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) कुछ छूट की व्यवस्था आयकर अधिनियम, 1961 में पहले से ही है। इस सम्बन्ध में अधिनियम में और कोई संशोधन करने का विचार नहीं है।

(ख) सूचना मंगवाई गई है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) जी नहीं।

Licences for Hawkers in New Delhi

5457. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that licences were given to pavement hawkers in New Delhi area by the New Delhi Municipal Committee in 1964;

(b) whether it is also a fact that they were challaned even after issue of licences to them;

(c) whether it is also a fact that space was allotted to them towards the end of 1965 by erecting platforms in Ramakrishnapuram, New Delhi;

(d) whether it is also a fact that allottees of these platforms are being served with Challans this year while these challans pertain to the years 1963, 1964 and 1965, as a result of which they are being fined heavily and are also being sentenced;

(e) whether Government have received any compalints in this regard; and

(f) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) In the year 1964, 138 vendors were issued temporary tehbazari permits to sell tea, biscuits, alu-tikkia, chholey-kulche on certain terms and conditions. No licence under the Prevention of Food Adulteration Act was, however, given to them because they failed to comply with the conditions laid down in the permits.

(b) They were challaned for violating the rules of health and sanitation under the Prevention of Food Adulteration Act.

(c) The New Delhi Municipal Committee did not erect any platform for them in Ramakrishnapuram. However, on compassionate grounds, the ex-Senior Vice-President, New Delhi Municipal Committee requested the Ministry of Works, Housing and Urban Development to allot space to such of the squatters as were willing to go to Ramakirshnapuram instead of squatting in the New Delhi Municipal Committee areas. That Ministry allotted 99 platforms at sites 'D' and 'E' in Ramakrishnapuram to such of the squatters as were considered eligible by the New Delhi Municipal Committee.

(d) The cases of prosecutions launched in the years 1963, 1964 and 1965, which could not be taken up by the courts due to shortage of magistrates, are now being taken up after the additional courts have been established for the New Delhi Municipal Committee's cases.

(e) No such complaint seems to have been received in the Ministry of Health and Family Planning in the near past.

(f) Does not arise.

Sunlight Colony and Ambedkar Nagar, Delhi

5458. Shri Prakash Vir Shastri : Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :

Will the **Minister of Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 1,100 families settled by Jhuggi, Jhompri Department of Delhi Municipal Corporation are residing in J.J. Sunlight Colory and Ambedkar Nagar in Delhi;

(b) whetner it is also a fact that on 31st March, 1966, the Slum Department had separated the scavenging staff in the colony as a result of which rubbish has piled up in both the colonies;

(c) whether Government have also received any complaints in this regard;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the action Government propose to take in the matter?

The Minister of Works Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes.

(b) Yes; but alternative arrangements were made by the Corporation to maintain proper sanitary conditions.

(c) to (e). Towards the end of April, 1966, the residents of the Sunlight colony complained to the Corporation about insanitary conditions in the colony. The Corporation, who are rsporsible for maintenance of these colonies, has already engaged additional staff to clear the garbage.

Cultivable Lands in Delhi

5459. Shri Onkar Lal Berwa : Dr. L. M. Singhvi :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Vice President of Delhi Development Authority has disclosed that the cultivable land acquired by Government in the villages of Delhi will be given to farmers; and

(b) if so, the rumber of bighas of such lands acquired by Goverrment?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). The Vice-President, Delhi Development Authority did not ma ke any such statement. However, about 5,000 acres of land which was not required for immediate use was made available by the Delhi Administration for Rabi Cultivation on license basis, to those who were cultivating the same prior to acquisition. Out of this, only 754 acres of land was brought under cultivation.

Artificial asfoetida recovered in Hathras

5460. Dr. L. M. Singhvi : Shri Yudhvir Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is afact that a Central Excise Inspector has recovered 50 maunds of artificial asfoetida in Hathras city in Uttar Pradesh on or about the 12th April, 1966;

(b) whether it is also a fact that this asfoetida was made by a Hathras firm whose proprietor has been reported missing; and

(c) if so, the action taken against the proprietor of that firm?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b). No such seizure was made by the Central Excise or Customs Department. It is, however, understood that a seizure of 50 maunds of 'hing' was effected from the premises of a commercial firm by the Sanitary Inspector of Hathras Municipality. The seizure was effected on 7th April, 1966. The seizure was for purposes of investigation into an offence under the Prevention of Food Adulteration Act and Rules made thereunder as also under the Municipal Health Rules. The matterlies entirely within the jurisdiction of State Government.

(c) No offence under the Customs Act 1962, the Central Excises and Salt Act, 1944, or urder other laws administered by the Ministry of Finance is involved. As such the question of action being taker against the proprietor by the Central Government does not arise.

T. B. Clinics in Delhi

5461. Shri Yudhvir Singh : Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Dr. L. M. Singhvi :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up two more T. B. Clinics in Delhi;

(b) if so, the places where these clinics would be located and when they would start working;

(c) the expenditure likely to be incurred by Government thereon;

(d) whether Government propose to set up more T. B. Clinics elsewhere in the country also; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The clinics are proposed to be set up at Narela and Kilokari. These are expected to start functioning by the end of the current financial year.

(c) About Rs. 3 lakhs.

(d) Yes.

(e) The target is to establish and upgrade 200 T.B. clinics in the country during the 4th Five Year Plan so that there is at least one T. B. Clinic in each of the districts that could function as the District T. B. Control Centre for organising the District T. B. Control Programme in the entire district.

S. J. T. B. Hospital Delhi

5462. Shri Yudhvir Singh : **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Dr. L. M. Singhvi :**

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that corruption is continuously on the increase in the S. J. T. B. Hospital of the Delhi Municipal Corporation;

(b) whether it is also a fact that hospital staff treats the patients in an unbecoming manner;

(c) whether patients are made to stand in queue to get their meals and that butter, bread and eggs are not given for weeks together; and

(d) the steps taken by Government to provide proper amenities to the patients?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) No.

(c) Since a certain amount of exercise in the form of normal day to day requirements is an essential part of treatment of tuberculosis, patients are asked to collect at a central point for their meals. Seriously ill patients are, however, served food at their bedside. Certain food commodities like bread, butter and eggs are not sometimes supplied by the contractors due to various difficulties but on such occasions patients are given extra dal and vegetables.

(d) There is a Medico-Social Worker and an Occupational Therapist who look after the social amenities of the patients.

ग्राम-शहर सम्पर्क समिति

5463. श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई ग्राम-शहर सम्पर्क समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति प्रतिवदन कब तक प्रस्तुत करेगी तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समिति को आशा है कि वह कुछ सप्ताहों में अपनी रिपोर्ट दे देगी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण छानबीन का बहुत व्यापक क्षेत्र होना है जिसके लिये काफी अध्ययन और सूचना एकत्र करने की आवश्यकता है।

सिंचाई परियोजनाएं

5464. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) पहली, (2) दूसरी तथा (3) तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की गई, तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूरी की गईं ;

(ख) विभिन्न योजनाओं में आरम्भ की गई परियोजनाओं के पूरा हो जाने के परिणाम-स्वरूप सिंचाई सम्बन्धी कितनी क्षमता उत्पन्न हुई ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कितनी सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया तथा कितनी क्षमता काम में नहीं लाई गई, और

(घ) सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करने अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) पंचवर्षीय योजनाओं में आरम्भ की गई सिंचाई परियोजनाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

(1) पहली पंचवर्षीय योजना में 229

(2) दूसरी पंचवर्षीय योजना में 178

(3) तीसरी पंचवर्षीय योजना में 93

दूसरी योजना के अन्त तक 134 स्कीमें पूरी की गई थीं और तीसरी योजना के दौरान 161 स्कीमें पूरी की गई थी जिस से मार्च, 1966 तक कुल 295 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं।

(ख) जून, 1966 तक 190 लाख एकड़ की सिंचाई शक्यता के उत्पन्न होने की संभावना है, जिस में से 111 लाख एकड़ की सिंचाई शक्यता पूर्ण हुई स्कीमों का अंशदान है।

(ग) मार्च, 1965 तक उत्पन्न हुई 158 लाख एकड़ की सिंचाई शक्यता में से मार्च, 1966 तक 138 लाख एकड़ सिंचाई शक्यता का उपयोग किया गया था। मार्च, 1965 तक उत्पन्न हुई शक्यता का अप्रयुक्त भाग 20 लाख एकड़ है।

(घ) साधारणतः परियोजना के पूर्ण होने के बाद दो से तीन वर्षों के भीतर।

अपूर्ण आयोजन योजनाएं और परियोजना

5465. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) पहली पंचवर्षीय योजना में (दो) दूसरी पंचवर्षीय योजना में (तीन) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई तथा उद्योग के क्षेत्रों में आरम्भ की गई अपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न योजनाओं में तथा विभिन्न क्षेत्रों में आरम्भ की गई अपूर्ण योजनाओं तथा परियोजनाओं की लागत कितनी है;

(ग) विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में आरम्भ की गई योजनाओं तथा परियोजनाओं में कितनी विदेशी मुद्रा तथा धन खर्च होगा ;

(घ) क्या खाद्य स्थिति को देखते हुए सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई विशेष उपाय किये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

(घ) और (ङ) : चौथी योजना में, पूर्व निर्मित क्षमता के उपयोग में तीव्रता लाने के लिए पहले से पूरी हुई सिंचाई योजनाओं के समेकन पर बल दिया जा रहा है। कास्तकार के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने यानी खेतों की नालियों का निर्माण जो कि हिताधिकारियों की जिम्मेदारी है, सहित पहले से चली आ रही योजनाओं को पूरा करने के काम को उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है।

Government offices in Exhibition Grounds

5466. Shri Prakash Vir Shastri : Shri S. M. Banerjee :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Daji :
Dr. L. M. Singhvi : Shri Priya Gupta:

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state whether necessary measures have been taken for the safety of the low paid employees working in the various Central Government Offices located in the Exhibition Grounds, New Delhi since the area is infested with deadly snakes?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): The area is kept clean by periodically weeding out vegetation and bushes specially during the rains.

No cases of snakebite have been reported.

महानदी नदी की नौगम्यता

5467. श्री गोकुलानन्द महन्ती : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड बांध परियोजना की योजना के अनुसार महानदी नदी की नौगम्यता में सुधार करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रयत्न कहां तक सफल हुए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) महानदी नदी की नौगम्यता में सुधार लाने के लिये स्वीकृत हीराकुड परियोजना में विशेष रुप से कोई प्रबन्ध नहीं था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Overtime allowance to staff working in the Health Ministry

5468. Shri Kishen Pattnayak : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the peons, clerks, stenographers etc., working in her Ministry have not received their overtime allowance for the period from November, '65 to April, '66 so far while the high officials have got all sorts of their allowances after three days; and

(b) the steps being taken by the Ministry for making payment of overtime allowance to these employees ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murhty) : (a) and (b). The payment of overtime allowance to the peons, clerks, stenographers etc., working in the Ministry has been made upto February, 1966. This allowance is not of a fixed nature and its amount depends on the amount of overtime duty performed by an individual during the course of a month. The payment is, therefore, always made in arrears *i. e.* the claims for the month of March, 1966, which were submitted during April, 1966, will actualy be paid in May, 1966, after all the claims have been received and verified. The claims for the month of March and April, 1966 will accordingly be paid in May and June, 1966, respectively.

Some delay occurred in the payment of these claims for the earlier months because of the fact that when the Indo-Pakistan conflict took place in September, 1965, the Minister for Health made an appeal to the members of the staff to forego overtime allowance voluntarily in the national interest. No claims were accordingly received for the months of September, and October, 1965, but in the month of December, 1965 the claims for these months also were submitted by the staff.

The allowances admissible to officers except their T. A. claims are all of a fixed nature and are drawn by them along with their monthly paybills.

The members of the non-gazetted staff have also been regularly paid every month, their pay and all fixed allowances admissible to them.

Harijan Welfare Centre, Karnal

5470. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Planning** and **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the reasons for which assistance has not been given by the Harijan Welfare Centre, Karnal (Punjab) for several years for the wells for Harijans; and

(b) the reasons for which they have been experiencing great difficulty in getting loans for industries?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) and (b) . The information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House as soon as it is received from them.

अमरीका के साथ किया गया ऋण करार

5471. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच में हाल में एक करार किया गया है, जिस के अन्तर्गत अमरीका भारत को 77 करोड़ 90 लाख रुपये के अनुदान तथा ऋण देगा;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस राशि से कौनसी परियोजनाएं चलाई जायेंगी अथवा उससे क्या क्या वस्तुएं आयात की जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) ये ऋण और अनुदान पी०एल० 480 के अनुसार भारत के हाथ बेचे गये कृषि-पदार्थों की बिक्री से संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को प्राप्त होने वाली रुपया निधियों से उपलब्ध किये गये हैं। जो कुल रकम उपलब्ध की गयी है, उसमें से 60.2 करोड़ रुपया अनुदानों के रूप में प्राप्त होगा। बाकी रकम ऋणों के रूप में होगी, जिनकी वापसी 40 वर्ष की अवधि में की जानी है। 1 3 करोड़ रुपये के ऋणों पर 4 प्रतिशत की दर से और 6.4 करोड़ रुपये की बाकी रकम पर $\frac{3}{4}$ प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जायगा।

(ग) ये रकमें नीचे लिखी प्रायोजनाओं पर रुपयों में किये जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए दी गई है :—

प्रायोजना का नाम	रकम रुपये	ऋण या अनुदान
1. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम .	9,00,00,000	अनुदान
2. भारतीय प्राद्यौगिकी शाला, कानपुर	1,62,00,000	अनुदान
3. भूमि और सजल संरक्षण	4,56,50,000	अनुदान
4. शिल्पियों का प्रशिक्षण .	15,79,00,000	अनुदान
5. उच्चतर तकनीकी शिक्षा	9,11,00,000	अनुदान
6. प्रारम्भिक शिक्षा .	14,92,00,000	अनुदान
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र .	3,62,00,000	अनुदान
8. चेचक उन्मूलन . . .	1,55,00,000	अनुदान
9. खम्बात (ध्रुवरण) तापीय बिजली प्रायोजना .	3,70,00,000	ऋण
10. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक . . .	14,00,00,000	ऋण
जोड़	77,86,50,000	

Life Insurance Corporation Employees

5472. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have taken over all the work relating to Life Insurance;

(b) whether it is also a fact that there are a large number of insurance employees, who have been serving since 1956 in Delhi and if so, their number;

(c) whether it is also a fact that they are being deprived of their rights since the take-over of all work relating to insurance despite the fact that their reports are not bad; and

(d) if so, the action taken to protect their rights regarding service and promotion?

The Minister of Finance Shri (Sachindra Chaudhuri) : (a) All work relating to life insurance was taken over by the Life Insurance Corporation in 1956.

(b) The total number of employees in Delhi at the time of take-over on the 1st September 1956 was 1,662 and it has since increased to 2,871 as on the 1st January 1966.

(c) & (d). No, Sir. Their rights are well protected by the Staff Regulations framed by the Life Insurance Corporation and duly approved by Central Government, which, inter alia, also give the right to appeal, to any employee, who feel aggrieved in respect of any administrative decision taken by the Corporation in regard to his service conditions and promotion.

कुट्टीयाडी सिंचाई योजना

5473. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कुट्टीयाडी सिंचाई योजना को बहुत निम्न प्राथमिकता दी गई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किन क्षेत्रों में सिंचाई की जायेगी; और

(ग) योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) कोजिकोडे जिले में 77,000 एकड़ (कुल) अथवा 36,000 एकड़ (शुद्ध)।

(ग) 496.04 लाख रुपये।

पजहास्सी सिंचाई योजना

5474. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पजहास्सी सिंचाई योजना को बहुत निम्न प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किन क्षेत्रों में सिंचाई की जायेगी; और

(ग) वर्ष 1966–67 में कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) कन्नानोर जिले में 70,000 एकड़ (कुल) अथवा 40,000 एकड़ (शुद्ध)।

(ग) 1 लाख रुपये।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

5475. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री 17 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2312 तथा 14 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1104 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 39,000 क्वार्टरों में वर्तमान आठ श्रेणियों के कितने-कितने क्वार्टर हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक श्रेणी में क्वार्टरों की कितनी मांग है ;

(ग) 1960 से 1965 तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारियों को क्वार्टर मिले हुए थे; और

(घ) 6,439 कर्मचारियो में से, जिन्हें 14 वर्ष से भी अधिक समय से सरकारी क्वार्टर नहीं मिले हैं, प्रत्येक श्रेणी में कितने कर्मचारी हैं ?

निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जनरल पूल के विभिन्न प्रकार के टाईप के क्वार्टरों की उपलब्धता तथा मांग की स्थिति निम्न प्रकार है :—

वास का प्रकार	उपलब्धता*	मांग
टाईप I	12,965	27,526
टाईप II	13,922	44,656
टाईप III	4,394	12,898
टाईप IV . .	4,528	8,951
टाईप V . .	2,289	4,222
टाईप VI . .	646	1,274
टाईप VII, टाईप VIII . . .	301	354
	39,045	99,881
	या (39,000)	(या एक लाख)

*इन संख्याओं में, हस्पतालों, दिल्ली प्रशासन आदि को सौंपे गये निवास स्थानों की संख्या शामिल है।

(ग) 1960 से 1962 के दौरान वास के यूनिटो की निम्नांकित संख्या उपलब्ध थी:—

	1960	1961	1932
500 रुपये तथा इससे अधिक प्रति माह वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए वास।	2,825	2,823	2,818
500 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए वास	17,210	17,891	10,825
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये वास	8,382	8,367	9,265
	28,417	29,081	31,908

आजकल चल रहे टाईपों के अनुसार 1963 के मध्य में निवास स्थानों को पुन: वर्गीकृत किया गया था। 1963, 1964 तथा 1965 में स्थिति निम्न प्रकार थी :—

	1963	1964	1965
टाईप I .	11,807	12,682	12,965
टाईप II .	11,979	12,242	13,922
टाईप III	4,324	4,466	4,394
टाईप IV	4,855	4,829	4,528
टाईप V .	2,089	2,335	2,289
टाईप VI .	651	716	646
टाईप VII, टाईप VIII	255	410	333
	35,960	37,680	39,077

(घ) विघटन निम्न प्रकार है :—

वास का टाईप	सरकारी वास के लिए 14 वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षा करने वाले अधिकारी
टाईप I . . .	95
टाईप II	558
टाईप III	1,653
टाईप IV	1,210
टाईप V	2,151*
टाईप VI	657*
टाईप VII	74*
टाईप VIII	41*
	6,439

*इन संख्याओं में वे अधिकारी शामिल हैं जो कि नीचे के टाईप के वास में रह रहे हैं।

दिल्ली और शिमला में अधिकारियों के लिये सरकारी मकान

5476. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने जनवरी 1958 में एक ज्ञापन जारी किया था जिसमें, विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से दिल्ली/नई दिल्ली/शिमला में 10 वर्ष अथवा उससे अधिक अर्हता वाली सेवा वाले उन अधिकारियों के नाम तथा पूर्वता तिथियां मांगी गई थीं जिनको सरकारी मकान चाहियें थे;

(ख) क्या ऐसे सभी अधिकारियों को बाद में सरकारी मकान दिये गये थे ;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर नहीं मिले हैं, अब फिर ऐसी कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) क्योंकि आवंटन प्राथमिकता तारीख के आधार पर तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची के अनुसार किये जाते हैं । प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी बारी आने पर मकान का आवंटन मिल जाता है ।

केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारी

5477. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारियों को नियमित संस्थापनाओं में स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : कार्य प्रभारित से नियमित स्थापना में 1 अप्रैल, 1958 से पदों की 35 श्रेणियां स्थानान्तरित हुई थीं । बाद में 9 और श्रेणियां इसी प्रकार स्थानान्तरित हुई । कार्य प्रभारित से नियमित स्थापना में स्थानान्तरण से संबंधित सिद्धांत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 8(1)—एस्ट (स्पैल)/60, तारीख 12 अगस्त, 1960 के सामान्य आदेशों में दिये गये हैं । नियमित स्थापना को स्थानान्तरित हुई श्रेणियों की सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6323/66 ।]** निर्णायक तारीख को जो कार्य प्रभारित कर्मचारी स्थानान्तरित श्रेणियों में नौकरी पर थे उन्हें कार्यप्रभारित स्थापना में बने रहने अथवा नियमित स्थापना में स्थानान्तरित होने का विकल्प दिया गया था । कार्य प्रभारित कर्मचारियों का नियमित स्थापना में स्थानान्तरण व्यवहारिक रूप से पूरा हो गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Surplus Section Officers of C. P. W. D.

5478. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the Section Officers of Section 'F' of the Central Public Works Department, New Delhi have been transferred as they were surplus.

(b) whether it is also a fact that under the rules, the Senior Section Officers should have been transferred but actually the Junior Section Officers have been transferred; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The normal strength of 'F' Division C. P. W. D., New Delhi, is 18 Section Officers. In connection with the arrangements for the Republic Day celebrations a Sub-Division with one Assistant Engineer and four Section Officers is created every year for a period of six months from October to March. On completion of the work and abolition of the temporary Sub-division on the 31st March, 1966, four Section Officers out of 22, had to be transferred by the 'F' Division.

(b) and (c). The transfer rules do not restrict the transfer of any Section Officers from one Division to another, provided it does not result in their retention for more than 4 years at a time either on the "Maintenance" or on the "Construction' side. Thus there is no contravention of the Transfer Rules.

कम्पनियों पर प्रत्यक्ष कर

5479. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों तक सीमित घरेलू कम्पनियों (क्लोजली हेल्ड डोमेस्टिक कम्पनीज) पर प्रत्यक्ष करों की ऊंची दरों के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य पहलुओं का अध्ययन किया गया है तथा अध्ययन के क्या परिणाम निकले है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

गया में सोने की तस्करी

5480. **श्री पन्ना लाल** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 21 अप्रैल, 1966 को गया (बिहार) में एक पण्डे के घर से एक लाख रुपये के मूल्य का सोना और एक लाख पचास हजार रुपये के एक रुपये वाले पुराने सिक्के पकड़े थे; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) केन्द्रीय सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 21 अप्रैल 1966 को, स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अधीन एक अपराध के आरोप पर, गया शहर में एक पण्डे के घर से अन्तर्राष्ट्रीय दर से 32,000 रुपये मूल्य का लगभग 6 किलोग्राम सोना पकड़ा। एक रुपये के कोई सिक्के नहीं पकड़े गये।

(ख) न्याय-निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही शुरु की जा रही है।

बी० सी० जी० का टीका

5481. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि 20 वर्ष से कम आयु वाले सभी व्यक्तियों को बी०सी०जी० का टीका अनिवार्य रूप से लगाया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो इस आयु-वर्ग से अधिक आयु वाले व्यक्ति किस सीमा तक तपेदिक से मुक्त हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) चूंकि 20 वर्ष की आयु से अधिक अधिकांश व्यक्ति क्षय रोग के कीटाणुओं से पहले ही संक्रान्त हैं और बी०सी०जी० का टीका केवल असंक्रान्त व्यक्तियों की ही रक्षा कर सकता है अतः बी०सी०जी० के टीके से ऐसे संक्रान्त व्यक्तियों के प्रतिरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मूल्यों में वृद्धि

5482. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1966 तक के थोक विक्रय मूल्यों के सरकारी देशनांकों के विश्लेषण से इस बात का पता चला है कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में गत दशाब्दि में भारत में सामान्य मूल्य स्तर में 80 प्रतिशत की वृद्धी हुई है; और

(ख) सामान्य मूल्य स्तर को कम करने के लिये सरकार क्या कारगर और उपचारी उपाय करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) थोक मूल्यों के सामान्य स्तर में, जिसे थोक-मूल्यों के सामान्य सूचक अंक (1952–53-100) के अनुसार आंका जाता है, दूसरी और तीसरी आयोजनाओं के पिछले दस वर्षों की अवधि में, लगभग 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) मूल्यों के सामान्य स्तर को स्थिर रखने के उद्देश्य से, सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता देने, राजकोषीय और मुद्रा-सम्बन्धी उचित नीतियों द्वारा मांग पर नियंत्रण रखने और कमी के समय सार्वजनिक उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण और मूल्यों के विनियमन का कार्य जारी रखेगी।

अशोक होटल में हड़ताल

5483. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रा० बरुआ : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल में कर्मचारियों ने हाल ही में एकदम हड़ताल कर दी थी जिसके कारण होटल की सामान्य सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) इस हड़ताल के कारण होटल को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) कुछ कर्मचारियोंने 22 अप्रैल, 1966 को कुछ समय के लिए कार्य करना बंद कर दिया था। मंज़िलों (फ्लोर्स) तथा खाने के कमरों की सामान्य सेवा पर कुछ घंटों के लिए असर पड़ा था।

(ख) सामान्य ड्यूटी न करने की कर्मचारियों की इस अस्वीकृति का कारण यह आरोप था कि होटल के एक अधिकारी (एक्जीक्यूटिव) ने एक कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया।

(ग) इस घटना के कारण होटल को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा।

सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण के लिये क्षेत्रीय योजनायें

5484. श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री रा० बरुआ :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण के लिये कुछ क्षेत्रीय योजनायें बनाई जा रही हैं जो चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं होंगी;

(ख) यदि हां, तो इस योजनाबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

5485. श्री कृ० ल० मोरे :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के आदिम जातीय तथा ग्राम कल्याण विभाग ने 1965-66 और 1966-67 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये उड़ीसा में केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत छः विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : पिछड़े वर्ग क्षेत्र के केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में ऊंची प्राथमिकता वाली केवल कुछ चुनी हुई स्कीमें शामिल की जाती है। चूंकि यह स्कीम उस सूची में शामिल नहीं की गई है, इस लिये इसे केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लेना सम्भव नहीं है।

उड़ीसा के आदिम जातीय क्षेत्रों में अस्पताल

5486. श्री कृ० ल० मोरे :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के ऐसे आदिम जातीय क्षेत्रों में जहां आदिम जाति के लोग सुविधापूर्वक आ-जा सके छः रोगी-शय्याओं वाले कुछ और अस्पताल खोलने के लिये उड़ीसा सरकार के आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी;

(ग) क्या राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि बारबिल स्थित छः रोगी-शय्याओं वाले अस्पताल को वर्ष 1966-67 में बारह रोगी-शय्याओं वाले अस्पताल के रूप में बदल दिया जाय; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) पिछड़े वर्ग क्षेत्र में जिन स्वास्थ्य योजनाओं की व्यवस्था की गई है, साधारण क्षेत्र के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सविधायें बढ़ाने के लिये की गई कारवाईयों की अनुपूर्ति के लिये है। उड़ीसा प्रदेश के जिलों में नये अस्पताल खोलने के लिये पहले ही बहुत व्यवस्था कर दी गई थी। इसलिये राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह इस सम्बन्ध में अपने स्वास्थ्य विभाग से सलाह करे ताकि नये अस्पताल ऐसे स्थानों पर खोले जाये जिससे आदिवासी क्षेत्रों के भीतर रहने वाले आदिवासियों को भी लाभ पहुंचे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिम जातीय तथा ग्राम कल्याण विभाग, उड़ीसा

5487. श्री कृ० ल० मोरे :

श्री रामचन्द्र उलाका:

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1966–67 में कोरापुट जिले के लिये एक विशेष प्रचार एकक स्थापित करने के हेतु पिछड़े वर्ग सैक्टर के अन्तर्गत आदिम जातीय तथा ग्राम कल्याण विभाग को राज्य सैक्टर के अन्तर्गत सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां। परन्तु यह अनुरोध 1966-67 में नहीं, 1965-66 में किया गया था।

(ख) और (ग) : राज्य प्रचार विभाग का एक काम लोगों में, जिनमें आदिवासी शामिल हैं, सरकार की विभिन्न कार्रवाइयों के बारे में प्रचार करना है। इसलिये पिछड़े वर्ग क्षेत्र से इस प्रयोजन के लिये कोई सहायता नहीं दी गई थी।

सशस्त्र सेनाओं के वित्त पर समेकित नियंत्रण

5488. श्री श्रीनारायण दास : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के वित्त पर समेकित नियंत्रण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

यमुना नदी पर जलाशय

5489. श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री बृजबासी लाल :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा प्राप्त (पंजाब) के लिये जल की व्यवस्था करने के हेतु यमुना नदी पर एक जलाशय का निर्माण करने की एक योजना पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इसके लिये कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार यमुना की उप नदी टांस नदी पर किशाऊ में एक बांध के सम्बन्ध में जांच कर रही है । जब इस बांध का निर्माण हो जाएगा, इससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में लगभग 15 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी । इस के अतिरिक्त कुछ पानी दिल्ली में पीने के लिये प्रयोग में लाया जाना है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

5490. श्री रतन लाल :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 और 1965-66 में उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को तथा कुल कितनी राशि दी गई; और

(ग) इनमें से कोरापुट और गंजम जिलों (उड़ीसा) के कितने व्यक्ति थे ?

समाज कल्याण-विभाग तथा उप-मंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना उड़ीसा सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर यह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में आदिम जातीय प्रधान प्रशिक्षण संस्थाएं

5491. श्री रतन लाल :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** तथा **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग ने फरवरी, 1965 से आदिम जाती जीवन तथा संस्कृति के बारे में आदिम जाति विकास खण्डों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के हेतु आदिम जातीय प्रधान प्रशिक्षण सस्थाओं की स्थापना के लिये कोई योजना केन्द्र को प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने 4 लाख 17 हजार रुपये की राशि मंजूर करने के लिये भी केन्द्र से प्रार्थना की है जो राशि 1966-67 से आरम्भ में होने वाली छः वर्षों की अवधि में क्रमबद्ध कार्यक्रम पर खर्च की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो 1966-67 में आदिम जातीय-प्रधान प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिये कुल कितनी राशि दिये जाने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण संस्थान में खण्ड विकास अधिकारियों को छोड़ कर आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न कार्यकर्ताओं को आदिम जातीय अभिस्थापन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारियों तथा विस्तार अधिकारियों को वर्तमान आदिम जातीय अभिस्थापन तथा अध्ययन केन्द्र भुवनेश्वर में अभिस्थापन का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ग) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 6 साल के लिये क्रमीक कर्यक्रम जिस पर 4.17 लाख रूपये खर्च होंगे 1966-67 से नहीं बल्कि 1965-66 प्रारम्भ होना था ।

(घ) राज्य सरकार ने 1966-67 के लिये 0.92 लाख रुपये के खर्च का प्रस्ताव किया है ।

उड़ीसा में औद्योगिक मकान निर्माण योजना

5492. श्री रतन लाल :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक मकान निर्माण योजना के अन्तर्गत जनवरी, 1966 के अन्त तक उड़ीसा राज्य में कितने मजदूरों ने मकान बनाय हैं;

(ख) 1965-66 में सरकार ने कितना ऋण मंजूर किया था; और

(ग) उड़ीसा से ऐसे ऋणों के बारे में प्राप्त कितने आवेदन-पत्र इस समय विचाराधीन हैं ?

निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत कर्म चारियों को मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता नहीं दी जाती । उड़ीसा में इस योजना के अंतर्गत जनवरी 1966 के अन्त तक 3571 मकानों (1392 राज्य सरकार के द्वारा बनाये जायेंगे तथा 2179 मालिकों द्वारा) के बनाने की स्वीकृति दे दी गयी थी । मार्च, 1965 के अन्त तक 2922 मकान तैयार हो गये थे (1174 राज्य सरकार के द्वारा तथा 1748 मालिकों के द्वारा) ।

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के प्रति 1.92 लाख रुपयों का ऋण था किन्तु इस राशि को 1964–65 के दौरान किये गये अधिक भुगतान में समायोजित कर दिया गया ।

(ग) उड़ीसा सरकार से सूचना मांगी गयी है ।

उड़ीसा में चेचक

5493. श्री रतन लाल :

श्री रामचन्द्र उलका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उडीसा में बड़ी चेचक और छोटी चेचक बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पिछले तीन महीनों में उड़ीसा में इन रोगों से अनेक व्यक्तियों की मत्यु हुई ह; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मर्ति) : (क) उड़ीसा में छोटी चेचक के प्रकोप तथा इस के कारण होने वाली मौतों में कमी आई है । बड़ी चेचक के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) से (ग) : उड़ीसा में पिछले तीन महीनों में फरवरी से अप्रैल तक छोटी चेचक की बिमारी तथा इसके कारण होने वाली मौतों के मामले अधिक नहीं हुये है, जो कि नीचे दिये जाते हैं :

मास	बिमारी के मामलों की संख्या	मो ों की संख्या
फरवरी, 1966 . .	25	5
मार्च, 1966 . . .	23	7
अप्रैल, 1966 . . .	50	7

2. रोग के फैलाव को रोकने के लिये निम्नलिखित सामान्य उपाय किये जा रहे हैं :

(i) प्रभावित क्षत्र में टीका लगाने के अभियान को और तेज कर दिया गया है ।

(ii) प्रभावित क्षेत्रों की देख रेख की जा रही है ।

(iii) स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार के उपायों को और तेज कर दिया गया है ।

मोनीभद्रा बांध परियोजना

5494. श्री रतन लाल :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 24 मार्च 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2717 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से इस बीच मोनीभद्रा बांध परियोजना के बारे में प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैट्रिक से पूर्व तथा मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां

5495. श्रीमती अकम्मा देवी : **श्री रतन लाल :**

श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **योजन** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 1966-67 में उड़ीसा में मैट्रिक से पूर्व तथा मैट्रिक से बाद की छात्रवृत्तियों सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिय उड़ीसा सरकार के आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सरकार से राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों के अधीन अधिक राशि नियत करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) उड़ीसा सरकार ने मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों के लिये अतिरिक्त राशि का अनुरोध 1966-67 के लिये नहीं, बल्कि चतुर्थ योजना के लिये किया था। 1966-67 में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिये अधिक राशियां नहीं मांगी गई हैं।

(ख) 1966–67 के लिये मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियो के वास्ते राज्य की वार्षिक योजना में जो व्यवस्था की गई है, उसे स्वीकार कर लिया गया है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियो पर खर्च की कोई सीमा नहीं है और राज्य सरकार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियो पर जो राशि खर्च करती है उसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

उड़ीसा में प्रायोगिक परियोजनाएं

5496. श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रतन लाल :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग ने गंजम जिला (उड़ीसा) में गुमा ब्लाक के लांगिया मुरास के विकास के लिय एक प्रायोगिक परियोजना के लिय 17,32,000 रुपये मंजूर करने के लिये और जो एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पांच वर्षों में खर्च किया जाना था 1965–66 में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी;

(ख) यदि हा, तो उस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने 1966-67 के केन्द्रीय सैक्टर के अधीन उक्त योजना के लिये 1 लाख 80 हजार रुपये मंरजू करने के लिये भी केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकार ने 1966-67 के लिये 4 लाख रुपये की धन-राशी का प्रस्ताव किया है।

(घ) राज्य सरकार ने 1966-67 के लिये जिस 4 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव किया था, उसकी परीक्षण के रुप में व्यवस्था कर दी गई है।

उड़ीसा की अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्राथमिक शिक्षा

5497. श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री रतन लाल :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** तथा **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग ने 1965-66 में पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित आदिम जातियों में प्राथमिक शिक्षा का विकास करने की कोई योजना, जिसे शत प्रतिशत सहायक अनुदान द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाना था, केन्द्रीय सरकार को भेजी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) यह स्कीम मंजूर कर दी गई है । उड़ीसा सरकार से इस स्कीम को 1966–67 में क्रियान्वित करने तथा इसे राज्य योजना में शामिल करने के लिय कहा गया है । उससे यह भी कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के हेतु राज्य योजना स्कीमों के लिय 1966–67 के वास्ते मंजूर की गई व्यवस्था में से उस पर खर्च किया जाये ।

उड़ीसा के आदिवासी जीवन का चित्रण करने वाले रूपक चलचित्र

5498. **श्रीमती अकम्मा देवी :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रतन लाल :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66 में उड़ीसा सरकार के आदिम जाति तथा ग्राम्य कल्याण विभाग ने उड़ीसा राज्य के आदिवासी जीवन का चित्रण करने वाले रूपक चलचित्र तैयार करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित रूपक चलचित्र के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कुछ सामग्री मांगी गई है । वह प्राप्त होते ही, राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

तूतीकोरिन में तापीय विद्युत् संयंत्र

5499. **श्री मुथिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 7 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3485 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी सलाहकार समिति द्वारा स्थापित की गई तकनीकी समिति ने 100 मेगावाट के तूतीकोरिन तापीय विद्युत संयंत्र के परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर के उसे स्वीकार कर लिया है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को लागू करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : समिति इस प्रस्ताव के अभी जांच कर रही है । जांच के पूरा होने और स्कीम के सम्बन्ध में निर्णय लेने के पश्चात् ही इस परियोजना क कार्यान्वित के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री राम रतन गुप्त के विरुद्ध जीवन बीमा निगम की डिक्री

5500. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस सभा के भूतपूर्व सदस्य कानपुर के श्री राम रतन गुप्त के विरुद्ध जीवन बीमा निगम द्वारा प्राप्त की गई लगभग 17 लाख रुपये की डिक्री की तामील हो चुकी है और पूरी राशि वसूल कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कानपूर और नैनीताल की अदालतों में चल रही डिक्री की वसूली की कार्यवाही के विरुद्ध श्री राम रतन गुप्ता, उनके परिवार के सदस्यों और उनके ग्रुप की एक कम्पनी, लक्ष्मी रतन काटन मिल लिमिटड ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में लेख-याचिकाएं दायर की थीं । अब उन्हों ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है, जो वहां अभी विचाराधीन है ।

इस बीच, जीवन बीमा निगम ने श्री राम रतन गुप्ता द्वारा पेश की गई कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया है जिनके अनुसार उन्होंने बकाया रकम में से एक लाख रूपये की अदायगी नवम्बर 1965 में की थी और जनवरी 1966 से लेकर जब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील पर फैसला नहीं हो जाय तब तक प्रतिमास 25,000 रुपये अदा करना मंजूर किया है । तदनुसार अब तक एक लाख रुपये की एक और रकम अदा की जा चूकी है । जीवन बीमा निगम ने यह बात मान ली है कि जब तक श्री गुप्ता दो किस्तों का भूगतान करने में चूक नहीं करेंगे तक तब डिग्री की वसूली की कार्यवाही फिरसे शुरू नहीं की जायगी । अब इस बात की सम्भावना है कि दोनों पार्टियों द्वारा मंजूर की गयी ये शर्तें श्री गुप्ता द्वारा सर्वोच्च यायालय में पेश कर दी जाएगी ।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

5501. श्री हरि विष्णु कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशक ने लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के चेयरमैन तथा अन्य निदेशकों के विरुद्ध 1964 में आपराधिक अभ्यारोपण किया था;

(ख) क्या बाद में उक्त मुकदमा वापिस ले लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(घ) प्रवर्तन निदेशक ने चैयरमैन पर 1959 से 1966 तक विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के कारण कितना जुर्माना किया; और

(ङ) उन्हें 1959 से 1966 तक विदेश यात्रा के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजर की गई ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) निर्यात से प्राप्त होने वाली पूरी रकम की गैर-वसूली के कारण विदेशी मद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 12(2) के उल्लंघन का मुकदमा चलाया गया था । चूंकि माल पाने वाली, विदेश में स्थित कम्पनी दिवालिया हो गयी थी इसलिए कानूनी राय लेने के बाद मामले को अदालत से वापस ले लिया गया और उस का विभागीय न्याय निर्णय कर दिया गया ।

(घ) कम्पनी के अध्यक्ष पर उसकी निजी हैसियत में कोई जुर्माना नहीं किया गया । लेकिन 18-5-1965 को प्रवर्तन निदेशक द्वारा लक्ष्मी रतन काटन मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर, पर 15,000 रूपये का दण्ड लगाया गया ।

(ङ) लक्ष्मी रतन काटन मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर, के अध्यक्ष की हैसियत में राम रतन गुप्ता को विदेशी मुद्रा की निम्नलिखित रकमें स्वीकृत की गयी थी :—

वर्ष	रकम (रुपये)
1959	4,875
1960	4,725
1961	8,250
1962	कुछ नहीं
1963	5,625
1964–1966	कुछ नहीं

लेकिन 1965 और 1966 में क्रमश: 7,865 रुपये और 4,000 रुपये की विदेशी मुद्रा उसी व्यक्ति को एक दूसरे औद्योगिक समूह के प्रतिनिधि की हैसियत में मंजूर की गयी थी । 1959 से 1966 तक लक्ष्मी रतन काटन मिल कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के किसी निदेशक को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी है ।

आन्ध्र प्रदेश में जल संभरण योजनाएं

5502. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1965-66 में स्थानीक विकास कार्यक्रम, अनसुचित जाती तथा अनुसूचित आदिम जाति कल्याण कार्यक्रम और अभावग्रस्त क्षेत्रों के सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत पृथक पृथक केन्द्रीय सरकार को भेजी गई जल सम्भरण योजनाओं की मुख्य बातें तथा प्राक्कलन क्या हैं;

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये राज्य को क्या तथा कितनी वित्तीय सहायता दी गई या देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश की जल संभरण योजनायें

5503. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम, 1966-67 के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अब तक भेजी गई संरक्षित जल संभरण योजनाओं की मुख्य बातें तथा प्राक्कलन क्या हैं;

(ख) उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार को क्या तथा कितनी वित्तीय सहायता किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय जल पुर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 1966-67 में अभी तक कोई सुरक्षित जल पूर्ति योजना नहीं भेजी है ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कार्य

5504. श्री महेश्वर नायक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष जीवन बीमा निगम ने जीवन तथा सामान्य बीमे का कितना कार्य किया तथा यह कार्य उस से पहले वर्ष के कार्य की तुलना में कैसा है; और

(ख) निगम की पूंजी का विनियोजन किस प्रकार किया जा रहा है तथा उसकी पूंजी किन अनुपात में विनियोजित है और किस अनुपात में अविनियोजित ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख): सदन की भेज पर विवरण पत्र रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6324/66 ।]**

Rare-Disease in Ujjain

5505. Shri Brij Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a result of the use of red wheat, a disease which makes facial complexion black is spreading in Ujjain, Madhya Pradesh;

(b) whether it is also a fact that it has been examined by health experts of the Central Government also;

(c) if so, the results thereof; and

(d) the steps taken by Government to eradicate it?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

केन्द्रीय सरकार के लेखन सामग्री कार्यालय की पुनर्गठन योजना

5506. श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के लेखन सामग्री कार्यालय पुनर्गठन योजना के अंतर्गत स्वयं अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने वाले 7000 अधिकारी/इंडेंट भेजने वाले व्यक्ति स्वयं खरीदारी करने से पहले प्रतियोगितात्मक टेंडर मंगवाते हैं, जैसा कि भारत सरकार के लेखन सामग्री कार्यालय द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने स्थानीय बाजार के क्रय मूल्य की लेखन सामग्री कार्यालय की दर से, सभी विभागीय व्यय शामिल करके, कोई तुलना की है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग): वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत मांगकर्ता केन्द्रीय लेखन सामग्री कार्यालय को जब चाहे तब तथा किसी भी मूल्य की मदों के लिए आर्डर कर सकते हैं। इसका परिणाम यह है कि वार्षिक, अर्ध-वार्षिक तथा त्रैमासिक मांगों को पूरा करने के लिए 1, 2 अथवा 4 मांगपत्र प्रति वर्ष के स्थान पर प्रत्येक मांगकर्त्ता के द्वारा बहुत अधिक मांगपत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तथा उनमें से कुछ इतनी कम संख्या तथा इतने कम मूल्य की मदों के लिए होते हैं कि केन्द्रीय अध्याप्ति के स्थान पर इन छोटी मोटी खरीदों को मांगकर्त्ता यदि स्थानीय तौर पर कर लें तो वह अधिक सस्ती तथा शीघ्रता से हो जायगी। व्यवस्था का प्रस्तावित पुनर्गठन यह है कि जबकि केन्द्रीय सरकार का लेखन सामग्री कार्यालय सभी मांगकर्त्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता रहेगा, 100 रुपये से कम मूल्य की प्रत्येक मद तथा वह मद जिसका कुल मूल्य 1,000 रुपये प्रति मद से अधिक नहीं है, की मांग लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता को न भेजी जाय। वार्षिक, अर्ध-वार्षिक अथवा त्रैमासिक आधार पर समुचित अग्रिम योजना बनाने से प्रत्येक मांगकर्ता लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता से अपनी आवश्यकतायें प्राप्त कर सकेगा तथा स्थानीय खरीद के बहुत ही कम अवसर आयेंगे। यह अवसर केवल तभी आयेगा जब किन्हीं अनवेक्षित कारणों से कुछ कमी जा

जाये। ऐसे मामलों में क्योंकि स्थानीय खरीद बहुत छोटी होती है अतएव यह विचार नहीं है कि प्रतियोगितात्मक संविदा के आधार पर खरीद की जाये। यदि आवश्यकता अत्यावश्यक है तो मांगकर्ता सामान्य सावधानी लेने के बाद बाज़ार से स्थानीय खरीद कर लेगा। अन्य मामलों में मांग लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता की अगली आवधिक मांग में शामिल कर ली जायेगी। मद्रास, बम्बई और नई दिल्ली में भी लेखन सामग्री कार्यालय की स्थानीय डिपों से जो कि इन स्थानों पर हैं, स्थानीय खरीद संभव हो सकेगी।

2. लेखन सामग्री की मदों के स्थानीय मूल्य की तुलना लेखन सामग्री कार्यालय के मूल्य से करना संभव नहीं है क्योंकि स्थानीय मूल्य स्थान स्थान पर भिन्न होते हैं तथा लेखन सामग्री से की गयी सप्लाई के मूल्य में भी अंतर होता है यह वितरणस्थान (प्लेस आफ डिलीवरी), पैकिंग, भाड़ाप्रभार (फ्रेट चार्जेस), गुण (क्वालिटी) तथा ख़रीद के परिमाण (क्वान्टिटी) आदि पर निर्भर करता है।

स्वर्ण बाण्ड योजना

5507. **श्री उटिया :**

श्री किशन पटनायक :

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र की स्वर्ण बाण्ड योजना को पंजाब तथा अन्य राज्यों में चलाने के मामले में कोई दबाव डाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दबाव को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) दबाव डालने का कोई मामला सरकार की नजर में नहीं आया।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारत सरकार का लेखन सामग्री कार्यालय

5508. **श्री उटिया :**

श्री मधु लिमये :

क्या **निर्माण आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के लेखन सामग्री कार्यालय के पुनर्गठन के रूप में, यह भी विचार किया गया है कि लेखन सामुग्री नियंत्रक को 100 रुपये से कम मूल्य वाली किसी एक मद का कोई क्रयादेश (इंडेन्ट) तथा कोई मांग स्वीकार नहीं करनी चाहिये; और

(ख) क्या 1,000 रुपये की ऊपरी सीमा कुल वार्षिक क्रयादेश के मल्य के सम्बन्ध में है, जिसमें सभी मदें शामिल हैं, चाहे किसी एक मद का मूल्य 100 रुपये है अथवा कम ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) दोनों सीमायें आवश्यक हैं, अर्थात् प्रत्येक मद का मूल्य 100 रुपये अथवा अधिक होना चाहिए तथा इस प्रकार की मदों के लिये किसी भी व्यक्तिगत मांगपत्र (इन्डेन्ट) का कुल मूल्य 1,000 रुपये अथवा अधिक वार्षिक अथवा अन्य प्रकार होना चाहिए।

छापों के दौरान पकड़ी गई हुंडियां

5509. श्री किशन पटनायक :

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर की चोरी को रोकने के लिये मारे गये छापों के दौरान पकड़ी गई हुंडियों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप हुंडियों का अनुचित प्रयोग कहां तक रोका गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जब पकड़ी गयी हुण्डियां नकली पायी गई तो बहुत सारे निर्धारितियों ने, जिन्होंने इन हुण्डियों के आधार पर ऋण लेने का दावा किया था, वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 68 या वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1965 की धारा 24 के अधीन अपनी छिपी आय को प्रकट किया या आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (4क) के अन्तर्गत उसे कर निर्धारण के लिये स्वेच्छा से प्रस्तुत कर दिया। ऐसे मामलों में उल्लिखित धाराओं के अनुसार कार्यवाही की गयी। अन्य मामलों में, जिनमें इस प्रकार की छिपी आय स्वेच्छा से प्रकट नहीं की गयी थी, नकली हुंडियों द्वारा प्रकट होने वाली छिपी आय का कर-निर्धारण किया गया और तदनुसार निर्धारितियों को आयकर अदा करने के लिये कहा गया ।

(ख) इन छापों और अधिगृहणों के कारण बहुत से यही धंधा करने वाले हुंडी बैंकरों और दलाकों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे इस 'हुंडी-जाल' में शामिल थे । हुंडी का धंधा करने वाले बैंकरों / दलालों द्वारा अपना साख का उपयोग करने देने की प्रथा काफी कम हो गयी है ।

धन संचय और शहरी सम्पत्ति में सट्टेबाजी

5510. श्री किशन पटनायक :

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी सम्पत्ति के अधिकारों पर नियंत्रण करने के लिये राजकोषीय उपायों और व्यवस्था के द्वारा धन संचय और शहरी सम्पत्ति की सट्टेबाजी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) ये उपाय कब से लागू किये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : हमारी आयोजनाओं का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि सम्पत्ति और आर्थिक सत्ता को कुछ हाथों में केन्त्रित होने से रोका जाय । धन को कुछ हाथों में इकट्ठा होने से रोकने के लिए अब तक किये गये वित्तीय उपाय ये हैं: अत्यधिक संवर्धनशील (प्रोग्रेसव) आय-कर, सम्पत्ति-कर, शहरी सम्पत्ति पर अतिरिक्त सम्पत्ति-कर, मृत-सम्पत्ति-शुल्क, दानकर और पूंजीगत लाभ-कर । इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र का प्रसार और भूमि-सुधार आदि ऐसे महत्वपूर्ण संस्थागत उपाय (इंस्टिट्यूशनल डिवाइसेस) हैं जिनसे आय और सम्पत्ति का कुछ हाथों में केन्द्रित होना कम किया जा सकता है ।

शहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सट्टेबाजी को रोकने के सवाल का सम्बन्ध शहरी भूमि सम्बन्धी नीति से है जो राज्यों का विषय है । लेकिन भारत सरकार ने शहरी भूमि सम्बन्धी नीति के बारे में एक अन्तर्राज्यीय समिति नियुक्त की थी और इस समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 8 सितम्बर, 1965 को सभा की मेंज पर रखा दी गयी थीं । अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने शहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सट्टेबाजी को रोकने के उपायों की सिफारिश की है । राज्य सरकार समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही हैं । शहरी सम्पत्ति पर अतिरिक्त कर लगाये जाने का उद्देश्य भी शहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सट्टेबाजी को रोकना है ।

दिल्ली आय-कर कार्यालय के एक कर्मचारी द्वारा आत्म हत्या

5511. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली आयकर कार्यालय के एक अपर डिवीजन क्लर्क, श्री अनिल चन्द्र घोष द्वारा 12 मार्च, 1966 को की गई आत्महत्या की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उनको ऐसे समाचारों की जानकारी है कि उस ने मानसिक पीड़ा के कारण आत्म हत्या की थी, जो उसे अपने अविलम्बनीय व्यक्तिगत काम के लिये मांगी गई छुट्टी न मिलने के कारण हुई थी; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली के आयकर विभाग, के कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाये गये थे ।

(ग) आयकर आयुक्त द्वारा की गयी सरकारी पूछ-ताछ से निम्नलिखित बातों का पता चला है :

स्वर्गीय श्री अनिल चन्द्र घोष ने सम्बन्धित आयकर अधिकारी से छुट्टी की मंजूरी के लिए मौखिक प्रार्थना की थी । उसे यह कहा गया था कि यदि हो सके तो वह अपनी छुट्टी स्थगित कर दे । श्री घोष ने इस मामले को आगे नहीं उठाया और उससे छुट्टी की कोई अर्जी भी नहीं प्राप्त हुई । विभाग ने कर्मचारियों से कहा है कि उनके पास जो भी सूचना उपलब्ध हो वे उसे प्रस्तुत कर दें जिससे औपचारिक पूछताछ की आवश्यकता के बारे में निश्चय किया जा सके । अभी तक ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

कालीकट में अराजपत्रित अधिकारियों के लिये क्वार्टर

5512. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट में अराजपत्रित अधिकारियों के लिये क्वार्टर बनाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) निर्माण कार्य अनुमानतः कितने समय में पूरा हो जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना के अंतर्गत कालीकट में मंजूर किये गये 101 अ-राजपत्रित अधिकारियों के सभी क्वार्टर तैयार हो चुके हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में होस्टल

5513. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट नगर (केरल) में काम करने वाले पुरुष तथा महिला अराजपत्रित अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) नौकरी करने वाले पुरुषों तथा महिलाओं के लिये केरल सरकार ने कितने होस्टल बनाए हैं; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर 'नहीं' हो, तो वहां पर एक भी होस्टल न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क)

पुरुष	2,161
महिलाएं	630

(ख) और (ग) : केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए कालीकट में कोई होस्टल नहीं बनाया है, इसका मुख्य कारण निधियों का अभाव है तथा एक यह भी कारण है कि निजी अधिकरण कार्यकारी महिलाओं के लिये होस्टल चला रहे हैं जैसे कि आल इन्डिया वोमेन्स कन्फरेन्स एसोसियेशन, दी यन्ग बीमेन क्रिश्चीयन्स एसोसियेशन आदि।

अफ्रीका तथा एशियाई देशों को भारतीय ऋण

5514. **श्री फिरोडिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहकारिता के रूप में कुछ अफ्रीकी तथा एशियाई देशों को सरकारी स्तर पर ऋण देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) श्रीलंका, सूडान, तंजानिया और यूगांडा ।

श्रीलंका को ऋण

5515. **श्री फिरोडिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार को पहले दिये गये 2 करोड़ रुपयों के ऋण के अतिरिक्त और ऋण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त राशि का ऋण दिये जाने की सम्भावना है;

(ग) ऋण किन शर्तों पर दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) किन परियोजनाओं और उद्योगों के लिये ऋण दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) 5 करोड़ रुपये ।

(ग) ऋण की शर्तों के बारे में बातचीत चल रही है ।

(घ) इस ऋण का सम्बन्ध किसी विशष प्रायोजना या उद्योग से नहीं है । यह ऋण इसलिये दिया जायगा ताकि श्रीलंका की सरकार भारत से इमारती और निर्माण-सम्बन्धी सामान, रेलवे और टेलीफोन सम्बन्धी साजसामान तथा अन्य स्वीकृत पुंजीगत वस्तुएं खरीद सके ।

लेखाबाह्य धन

5516. **श्री फिरोडिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1966 में कितना लेखा-बाह्य धन पकड़ा गया; और

(ख) कितने व्यक्ति इससे सम्बन्धित थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) अब तक मिली सूचनाओं के अनुसार 40,000 रुपये नकदी पकड़े गये हैं ।

(ख) एक ।

विकलांग व्यक्तियों को व्यवसायों में लगाने के सम्बन्ध म गोष्ठी

5517. **श्री राम हरख यादव** : क्या **योजना** तथा **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक कार्य सम्बन्धी भारतीय सम्मेलन के तत्वावधान में हालही में पूना में विकलांग तथा नेत्रहीन व्यक्तियों को व्यवसायों में लगाने के सम्बन्ध में की गई कोष्ठी की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

झुग्गियों का किराया

5518. **श्री गुलशन** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नरैना आवाजाही शिविर में 25 वर्ग गज बाले प्लाटों में रहने वाले लोगों से, जिनके नाम उनकी पुरानी झुग्गियों में 1961 की मतदाता सूची में शामिल हैं, उन प्लाटों का किराया 4 रुपये प्रति मास के हिसाब से लिया जा रहा है;

(ख) क्या मदनगीर आवाजाही शिविर के प्लाटों वाले लोगों से, जिनके नाम भी उनकी अपनी पुरानी झुग्गियों में 1961 की मतदाता सूची में शामिल हैं, उन प्लाटों का किराया 6 रुपय प्रति मास के हिसाब से लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो एक ही योजना के अन्तर्गत यह भदभाव करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके संम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) से (घ) : यह सही नहीं है कि जिन स्क्वैटर्स का नाम जनवरी, 1961 की मतदाताओं की सूची में है तथा जिन्हें 25 वर्गगज के प्लाट आवंटित किये गये हैं उनसे नरायना तथा मदनगिर बस्तियों में विभिन्न विभिन्न किराया वसूल किया जा रहा है । इससे पूर्व इन स्क्वैटरों को अन्य स्क्वैटरों की भान्ति, जिन्होंने जलाई 1960 के बाद से ग़ैर-कानूनी तौर पर बैठना शुरू किया, अपात्र स्क्वैटर्स समझा जाता था तथा इनसे पात्र स्क्वैटर्स से वसूल किये जाने वाले 3.50 रुपये प्रति मास के इमदादी किराये के स्थान पर 5.00 रुपये प्रति मास का बचत किराया (एकोनोमिक रेन्ट) वसूल किया जाता था । फ़रवरी 1965 में यह निर्णय किया गया कि जिन स्क्वैटर्स का नाम जनवरी 1961 की मतदाताओं की सूची में शामिल है उनसे भी 3.50 रुपये प्रति माह का इमदादी किराया वसूल किया जाये । यह निर्णय नरायना तथा मदनगिर दोनों बस्तियों में शीघ्र कार्यान्वित होगा ।

दक्षिणी ग्रिड

5519. **श्री बृजवासी लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण के चार राज्यों के राज्य बिजली बोर्डों के प्रधानों तथा चीफ इंजीनियरों के सम्मेलन में 25 अप्रैल, 1966 को हैदराबाद में यह निश्चय किया गया कि दक्षिणी ग्रिड स्थापित करने के लिये छः बिजली लाइनों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार सम्मेलन में किये गये फैसलों के साथ सहमत है ।

(ग) लगभग 23.34 करोड़ रुपये ।

Customs duty charged on articles required by hapless patients

5520. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that heavy customs duty is charged on articles like 'colostomy outfit' required by hapless patients;

(b) whetner it is also a fact that Government's attention has been drawn towards this difficulty; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) As against the statutory rate of 60% *ad valorem*, the rate of customs duty leviable on such goods has already been reduced to 25 per cent. *ad valorem* plus regulatory duty of customs at 10 per cent. *ad valorem;*

(b) recently one individual request for the waiver of even this duty has been received by the Government of India;

(c) Government would be prepared to totally exempt it from duty on an *ad hoc* basis, provided it is satisfied that this is in fact a free gift to a poor and needy person. This information is awaited.

लक्ष्मी बैंक आफ अकोला

5521. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्ष्मी बैंक आफ अकोला के, जिसका हाल में दिवाला निकल गया है, प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ख) क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाने के लिये जांच की है जिनके कारण उक्त बैंक का दिवाला निकल गया था ?

7—74 L. S./66

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : अकोला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडिशनल सेशन्स जज) द्वारा बैंक के अध्यक्ष और कुछ दूसरे अधिकारियों के विरुद्ध दंडनीय विश्वास भंग (क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट), षड्यंत्र, हिसाब-किताब की गड़बड़ी, अवप्रेरण (अबेटमेंट) और दूसरे अपराधों के आरोपों की जांच की गयी है और उन्हें इनके लिए दोषी पाया गया है । उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार, सरकारी परिसमापक ने चार्टर्ड लेखाकारों की एक फर्म द्वारा बैंक के कार्यों की जांच भी करायी है । जांच के परिणामस्वरूप समवाय अधिनियम की धारा 543 और 542(1) के अधीन कई व्यक्तियों के विरुद्ध, अधिकारों का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू की गयी है ।

Government Medical Store, Karnal

5522. Shri Rameshwaranand :
Shri Y. D. Singh ;
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Himmatsinghji :

Will the Ministre of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under Home Ministry's Order No. 9-11/55-R.P.S. dated the 22nd December, 1959 the length of service put in by the employees of Government Medical Store, Karnal under the Central Ministry of Health is not given any consideration and employees with lesser period service are being promoted?

(b) whether there is much discontentment amongst other employees as a result thereof; and

(c) if so the steps being taken by Government to remove the discontentment?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy) : (a) No Sir. It is not a fact that under the orders referred to, the length of service put in by the employees of the Medical Store Depot, Karnal is not given any consideration. These orders prescribe general principles for determining seniority of various categories of persons employed in Central Services. The seniority of the depot employees is fixed accordingly and in making promotions, seniority is given due consideration.

(b) & (c). As the said orders are applicable to all persons employed in Central Services and take into account the interests of the various categories of such personnel, there should not be any cause for discontentment among the employees of the Medical Store Depot, Karnal.

एयर इंडिया के महाप्रबन्धक द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन

5524. श्री गुलशन ।
श्री प० ह० भील :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय को एयर इंडिया के महाप्रबन्धक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कुछ काफी गंभीर आरोपों की शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त अधिकारी द्वारा 'पी' प्रपत्रों के अवैध प्रयोग के फलस्वरूप बहुत अधिक राष्ट्रीय हानि हुई है; और

(ग) इस मामले में कितनी प्रगति हुई तथा इसके तथ्यों और आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख) : एयर इंडिया के जनरल मेनेजर के लड़कों द्वारा 'पी' फार्म के लिये दी गयी दरख्वास्तों में गलत सूचना देने के बारे में कुछ आरोप सरकार के ध्यान में लाये गए हैं। उनके एक लड़के द्वारा 'पी' फार्म के दुरुपयोग करने के बारे में भी एक आरोप है । जनरल मेनेजर के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है और इस मामले में कोई बड़ी राष्ट्रीय हानि हुई होने की बात भी नहीं है ।

(ग) इन आरोपों के बारे में पूछ-ताछ की जा रही है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिय ऋण संस्थाएं

5525. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री 15 दिसम्बर, 1964 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के 12 वें प्रतिवेदन पर बहस के उत्तर में भूतपूर्व विधि तथा समाज सुरक्षा मंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये वक्तव्य की सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों के लिये भिन्न प्रकार की ऋण संस्थाएं उत्पन्न करने सम्बन्धी सरकारी आश्वासन पर अब तक अंमल किया जा चुका हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में से प्रत्येक राज्य में इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) नई प्रणाली के अधीन पूरी सुविधाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से इन लोगों को अपने सहकारी फार्म स्थापित करने में प्रोत्साहन देने तथा सहायता करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर):(क) जनवरी, 1966 में विभिन्न राज्य सरकारों को अनुसूचित आदिम जातियों के सहकारी कार्यक्रमों को पुनरीक्षित तौर पर क्रियान्वित करने के लिये अनुदेश भेज दिये गये थे। अनुसूचित जातियों के बारे में ऐसे ही अनुदेशों पर विचार किया जा रहा है तथा अन्तिम रूप देने के पश्चात उन्हें यथाशीघ्र राज्य सरकारों को भेज दिया जायेगा ।

(ख) अनुसूचित आदिम जातियों के सहकारी कार्यक्रमों की त्रियान्विति में हुई प्रगति के बारे में कोई अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है, क्यों कि राज्य सरकारें उन्हें वर्ष 1966–67 में क्रियान्वित करना आरम्भ करेंगी । इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का अनुमान केवल वर्ष 1966–67 के अन्त तक ही लगाया जा सकेगा ।

(ग) पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी फार्म स्थापित करने के लिये कोई धन राशि निर्धारित नहीं की गई है ।

आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

5526. **श्री रा० बरुआ** : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी तरलोक सिंह दल की सिफारिशें क्रियान्वित की जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर कितना खर्च होगा और उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ।

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख): संयुक्त राज्य केन्द्र अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार, असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए व्यय-व्यवस्था और कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और निकट भविष्य में योजना आयोग तथा भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ।

गर्भनिरोधक गोलियां

5527. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि सरकार ने खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों को जनसाधारण द्वारा उपयोग किये जाने के लिये स्वीकार नहीं किया है, किन्तु डाक्टरों के नुस्ख पर ये गोलियां मिल जाती हैं; और

(ख) कितने निर्माताओं की खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां भारतीय बाजारों में उपलब्ध हैं और उनकी वर्तमान थोक कीमतें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख): क्लीनिकी परीक्षणों के किये जाने तक खायी जाने वाली गर्भरोधक औषधि के रूप में अभी तक सरकार ने किसी औषधि के प्रयोग की अनुमति नहीं दी है । ब्रिटेन, अमरिका, कनाडा आदि जैसे देशों में खायी जाने वाली गर्भरोधक औषधि के रूप में प्रयुक्त कुछ औषधियों को कष्टार्तव (डिस्मेनोरिया) इंडोमिट्रियोसिस आदि जसे स्त्रीरोगों तथा क्रियागत अनुर्वरता के उपचार के लिये न कि खायी जाने वाली गर्भरोधक औषधि के रूप में बाजार में बिकने दिया जाता है । ये औषधियां रजिस्टर्ड चिकित्सक के लिखने पर ही मिल सकती हैं ।

इन औषधियों, निर्माताओं के नामों और औषधों के थोक मूल्यों का एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6325/66 ।**]

अखिल भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा पालन संस्था

5528. **श्री नारायण दांडेकर :**

श्री गुलशन :

श्री प० ह० भील :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखापालन संस्था ने अपने पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया है और उस की सूचना सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस संस्था को मान्यता प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां । संस्था के 27 मार्च, 1966 से 1 अप्रैल, 1966 तक हुए सम्मेलन में पदाधिकारी चुने जा चुके हैं और उनके नामों की सूचना 8 अप्रैल, 1966 के पत्र द्वारा सरकार को दे दी गयी है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप केन्द्रीय असैनिक सेवा (सेवा संस्थाओं को मान्यता) नियमावली, 1959, जिसके अनुसार कर्मचारियों की संस्थाओं को मान्यता दी जा सकती थी, प्रभावहीन हो गयी है । इसलिए अब सरकार के पास इस संस्था को तब तक मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं रह गया है, जब तक नये नियमों को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता । फिर भी संस्था को तथ्येन मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

एडामूलायार योजना

5529. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडिक्की योजना के चालू हो जाने के पश्चात पेरियार नदी में लगातार तथा बराबर जल का प्रवाह बनाये रखने के लिये प्रस्तावित एडामूलायार योजना के सम्बन्ध में केरल सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) केरल राज्य बिजली बोर्ड परियोजना रिपोर्ट का पुनरीक्षण कर रहा है ।

इडिक्की जल-विद्युत् परियोजना

5530. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में इडिक्की जल-विद्युत योजना के लिये एक नियंत्रण बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) इडिक्की पन-बिजली परियोजना के लिये नियंत्रण बोर्ड को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य ये हैं :

(1) परियोजना के सुदक्ष, किफायती और शीघ्र कार्यान्वन को सुनिश्चित करना ।

(2) परियोजना के कार्यान्वन के लिये बेहतर व्याप्त निदेशन तथा नियंत्रण का प्रबन्ध करना ।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का उत्पादन

5531. **श्री कोल्ला वैकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961-62, 1962-63 तथा 1963-64 में आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में देसी (नाटू) तम्बाकू का अनुमानत: कितना उत्पादन हुआ;

(ख) 1961-62, 1962-63 और 1963-64 के लिये उत्पादकों से देसी तम्बाकू पर कितना बकाया उत्पादन-शुल्क वसूल करना है;

(ग) क्या उत्पादन-शुल्क अधिकारियों द्वारा अनुमानित उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया गया था अथवा उत्पादकों द्वारा वास्तव में पैदा की गई मात्रा पर;

(घ) क्या अधिकारियों ने वसूली की राशि का (डिमाण्ड) नोटिस देने से पहले 1961-62, 1962-63 और 1963-64 में अनुमानित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के बारे में जांच करने का कोई प्रयास किया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे; और

(च) यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (च) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

हथकरघा उद्योग द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सूत पर उत्पादन शुल्क

5532. **श्री कोल्ला वैंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मन्त्रालय ने देश में हथकरघा उद्योग द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सूत पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने के हानिकारक परिणामों के बारे में उसे प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की ओर उनके मंत्रालय का का ध्यान दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है । 22-29 एन० एफ० काउण्ट वर्ग के अंटी के धागे को शुल्क से छूट देदी गयी है तथा 29 एन० एफ० से अधिक परन्तु 34 एन० एफ० से कम काउण्ट वर्ग के अंटी के धागे पर शुल्क घटा कर 5 पैसे प्रति किलोग्राम अर्थात 1965 के स्तर पर किया जा रहा है ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

5533. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने निगम द्वारा जीवन बीमा निगम प्रशासन में स्वचालित मशीनों के प्रयोग में लाये जाने की अवस्था में राष्ट्रव्यापी आन्दोलन करने की धमकी दी है;

(ख) क्या यह सच है कि निगम ने जनता को मकान बनाने के लिये ऋण दिये परन्तु अपने कर्मचारियों की मकान सम्बन्धी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया;

(ग) क्या यह भी सच है कि वरिष्ठ कर्मचारियों को नगर भत्ता दिया गया जबकि अन्य कर्मचारियों की उपेक्षा की गई थी;

(घ) क्या कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को कोई चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) निगम द्वारा यह स्पष्ट आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी कि बिजली के कम्प्यूटर लगाये और चालू किये जाने के कारण कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की जायेगी, निगम के तीसरी और चौथी श्रणी के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संघों में से एक ने इन कम्प्यूटरों के लगाये तथा चालू किये जाने के विरुद्ध आन्दोलन करने की धमकी दी है ।

(ख) जीवन बीमा निगम अपने पालिसी धारकों के अलावा अन्य व्यक्तियों को ऋण तो नहीं देता लेकिन इसकी "अपना घर बनाओ" नाम से प्रचलित योजना के अधीन यह अपने पालिसीधारकों को कुछ परिस्थितियों में मकान बनाने के लिए रकमें पेशगी देता है । निगम के जो कर्मचारी पालिसीधारक हैं वे "अपना घर बनाओ" योजना का लाभ उठाने के अधिकारी हैं । इसके अलावा निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर बनाये हैं और उन्हें सहकारी समितियां बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है, जिससे वे मकान बनाने के लिए निगम से अग्रिम धन ले सकें ।

(ग) निगम के श्रेणी I के अधिकारियों को 1 अप्रैल 1964 से नगर निवास-पूर्ति भत्ता दिया गया है । यह भत्ता श्रेणी III और IV के कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है । उनको कुछ दूसरे लाभ प्राप्त हैं जैसे उनका मंहगाई भत्ता रहन-सहन के खर्चे के सूचकांक के साथ जुड़ा है, जो श्रेणी I के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है ।

(घ) श्रणी I के कर्मचारियों को कुछ चिकित्सा-सुविधाएं प्राप्त हैं। जहां तक श्रेणी III और IV के कर्मचारियों का सवाल है उनके एक संघ के साथ किये गये समझौते के अनुसार, चिकित्सा सम्बन्धी खर्च की रकम उन्हें वापस दे देने की एक योजना उनके मामले में भी लागू की गयी है ।

(ङ) सवाल ही नहीं उठता ।

द्वितीय श्रेणी के आय-कर अधिकारी पद के लिये परीक्षा

5534. श्री मधु लिमये : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छः महीनों से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी संघ लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों को अभी तक सूचित नहीं किया है कि वे जून 1966 में होने वाली आय-कर अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) पद की परीक्षा में बैठ सकते हैं अथवा नहीं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) पात्र उम्मीदवारों को कब तक सूचित कर दिया जायेगा ; और

(घ) क्या परीक्षा के अग्रतर स्थगित हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :(क) से (ग): अधिकांश उम्मीदवारों को उनके आवेदन-पत्रों के परिणाम के बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका है । बाकी उम्मीदवारों को अगले दस दिन के अन्दर अन्दर आवश्यक सूचना भेज दी जायगी ।

(घ) जी, नहीं ।

अमरीकी सहायता

5535. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधियों में भारत को अमरीकी सहायता परिस्परिक सुरक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत दी गयी है;

(ख) क्या उनका ध्यान श्री जान कनेडी तथा श्री जे० एस० कूपार द्वारा इस बारे में सीनेट में व्यक्त किये इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि "यदि गैर सरकारी उद्योग को एक निर्णायक शक्ति के रूप में बने रहना है तथा यदि एक जोरदार गैर सरकारी विनियोजन कार्यक्रम चलते रहना है तो पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की पूर्ति अत्यावश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो यह उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ है और क्या अमरीका इस सफलता से सन्तुष्ट है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1962 के प्रारम्भिक महीनों तक, भारत को दी जानेवाली अमरीकी सहायता, समय समय पर संशोधित, 1954 के पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम के अनुसार और उसके बाद संयुक्त राज्य अमरिका के विदेशी सहायता अधिनियम, 1961 के अनुसार मंजूर की जाती थी;

(ख) जी नहीं;

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का प्रतिनिधिमण्डल

5536. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के प्रतिनिधिमण्डल ने, जो 1958 में भारत आया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये व्यय तथा सरकारी उद्योग के केन्द्रों में समाज कल्याण कार्य पर होने वाले परिव्यय का विरोध किया था तथा उसने औद्योगिक कर्मचारियों के लिये बेरोजगारी बीमा व्यवस्था अपनाने की योजनाओं की निन्दा की थी ;

(ख) क्या वह प्रतिनिधीमण्डल इस दृष्टिकोण पर बराबर जोर दे रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई है तथा क्या इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा भेजे गये शिष्टमण्डल अपनी रिपोर्टें विश्व बैंक के प्रधान के सम्मुख रखते है । चूंकि ये रिपोर्टें, विश्व बैंक की वर्गीकृत, प्रतिबंधित दस्तावेज हैं, इसलिए उनमें लिखी बातें प्रकट नहीं की जा सकतीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये अमरीकी सहायता

5537. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र को अपने निर्माण करने वाले उद्योगो के लिये अमरीका से कोई सहायता नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऋण किन शर्तों पर तथा निबन्धनों पर मिल रहे हैं; और

(घ) क्या इस विषय पर सरकार एक श्वेत पत्र प्रकाशित कर सकती है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी नहीं । सरकारी क्षेत्र के निर्माण उद्योगों को संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता मिली है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिये गये ऋण और उनका ब्याज अमरीकी डालरों में चुकाया जाना है । मौजूदा ऋणों की शर्तें ये हैं :

(i) **संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा दिये गये ऋण**—ये ऋण 40 वर्ष की अवधि में चुकाये जाने हैं जिसमें 10 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है । ब्याज की दर पहले दस वर्षों के लिए 1 प्रतिशत और बाकी के 30 वर्षों के लिए $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक है ।

(ii) **संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात आयात बैंक द्वारा दिये गये ऋण**— ये ऋण 13 से 15 वर्ष तक की अवधि में चुकाये जाने है जिसमें 3 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है । ब्याज की दर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष है ।

(घ) इस विषय पर श्वेत-पत्र प्रकाशित करना जरूरी नहीं समझा जाता ।

केरल में स्थानीय निकाय विभाग के अधीन दाइयां

5538. श्री मणियंगाडन : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1951 में वेतन पुनरीक्षण के समय केरल के स्थानीय निकाय विभाग के अधीन काम करने वाली दाईयों को शामिल नहीं किया गया था;

(ख) क्या इन दाइयों को अब राज्य के स्वास्थ्य सेवा विभाग में रख लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी वरिष्ठता तथा वेतन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये स्थानीय निकाय विभाग के अन्तर्गत उनकी सेवा अवधि को मान्यता देने के बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(घ) क्या उनके वतनों के बारे में उनसे कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वे क्या हैं तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना

5539. श्री जसवन्त मेहता : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के कार्यक्रम के लिये ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली की लाइनों को ले जाने के लिये ट्रांसफार्मरों की कमी के कारण गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाई को हल करने के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : देश में ट्रांस्फर्मरोंके बनाने के लिये विद्युत-अपघटनी तांबे की कमी है । आवश्यकताओं के आधार पर तांबे के अतिरिक्त कोट की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

Grants to Hindi Institutions

5540. Shri Yashpal Singh :

Shri Priya Gupta :

Shri Ramapathi Rao :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact tnat the approval of the Ministry of Finance is taken in the matter of giving grants to Hindi Institutions;

(b) If so, whether the Ministry approves such grants on uniform basis; and

(c) If not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) to (c) : Grants to Hindi Institutions for propagation and development of Hindi, under Schemes approved by the Ministry of Finance, are given by the Ministry of Education under their own powers, at a uniform rate. Proposals not covered under the approved schemes, are referred to this Ministry and each case is examined on merits.

केरल के अराजपत्रित अधिकारी

5540-क. श्री वासुदेवन नायर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा निर्णय किये जाने के पश्चात केरल राज्य के अराजपत्रित अधिकारियों की संस्थाओं ने हड़ताल करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो अराजपत्रित अधिकारियों की मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) इस आशय के कुछ समाचार समाचार पत्रों में छपे हैं ।

(ख) उपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखते हुये राज्य सरकार ने मांगों पर विचार किया है और उन सब अराजपत्रित अधिकारियों को जिन्हें वेतन के पुननिर्धारण में 5 रुपये से कम का लाभ हुआ है, उन्हें एक वेतन वृद्धि देने की पेशकश की है और उन सब कर्मचारियों को भी एक वेतन वृद्धि देना मंजूर किया है जिस की सेवा 15 वर्ष से कम नहीं है ।

भूमि के मूल्यों में लाभखोरी

5540-ख. श्री जसवन्त मेहता : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े-बड़े शहरों के आस-पास की भूमि के मूल्यों में की जा रही लाभखोरी को रोकने के लिये विधान बनाने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : मामला विचाराधीन है ।

Stone Crushing Cooperative Society

5540-C. Shri P. L. Barupal :
Shri T. Ram :
Shri Buta Singh :
Shri Gulshan :
Shri Maurya :
Shri Priya Gupta :
Shri Bagri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 1962, the C. P. W. D. under the Ministry of Works and Housing placed a contract for the supply of stones for construction of plots in Rajuri Garden and Rampura, New Delhi with Bharat Sewak Samaj Stone Crusning Cooperative Society, Khaibar Pass, Delni and the stones were supplied in the name of Bharat Sewak Samaj, Connaught Place, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that under tne said contract the expenses on the supply of stones were incurred and necessary labour was provided by the Bharat Sewak Samaj Stone Crushin g Cooperative Society but the income was not passed on to the said Society and instead it was derived by the Bharat Sewak Samaj; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of Works, Housing and Urban Develoment (Shri Mehr Chand Khanna): (a) No contracts for supply of stones were made in 1962 with Bharat Sewak Samaj Stone Crusning Society, Knaibar Pass, Delni. However, some contracts were given to the Bnarat Sewak Samaj, Connaugnt Place, New Delhi, and the stones were supplied by them during 1962-63.

(b) As all the agreements were made with the Bharat Sewak Samaj, the Government have no knowledge about their dealings with the Co-operative Society.

(c) Does not arise.

उड़ीसा में मछुओं का कल्याण

5541. श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रतन लाल :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के आदिम जाति तथा ग्राम कल्याण विभाग ने 1965-66 में केन्द्रीय सरकार को एक पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजा था, जो उड़ीसा के समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले मछुवों के कल्याण के लिये 2,76,400 रुपये की लागत वाली योजना को क्रियान्वित करने के बारे में था और जिसे शत प्रति शत केन्द्रीय सहायता से पिछड़ी जाति कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं में शामिल किया जाना अभिप्रेत था, और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) पिछड़े वर्ग क्षेत्र के केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में ऊंची प्राथमिकता की कुछ चुनी हुई संयोजनायें ही शामिल की जाती हैं। चूंकि यह संयोजना उस सूची में शामिल नहीं की गई है, इसलिये इसे केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लेना सम्भव नहीं है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

लगभग 1000 सशस्त्र विद्रोही नागाओं द्वारा पूर्वी पाकिस्तान से मिजो जिले में प्रवेश के समाचार

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :—

"Reported entry of 1,000 armed Nagas to Mizo district through East Pakistan".

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : Sir, we have no information to support the report of entry of 1,000 Nagas into Mizo Hills District from Pakistan. According to our information, no large gang of Nagas has gone into Pakistan. in recent months. There are reports, however, that some groups of hostile Nagas and other tribes are being given training at certain centres in East Pakistan, and it is possible that small batches of these Nagas may be trying to return to Nagaland through the Mizo Hills District.

The Mizo National Front has made it known that it would extend facilities to hostile Nagas attempting to go to Pakistan through the Mizo Hills District. The Mizo National Front has also been propagating that the hostile Nagas would assist them with men and material for attaining independence. This propaganda is essentially intended to boost the morale of the MNF volunteers. A close watch is being maintained on the movement of the hostile Nagas towards Mizo Hills and precautions are being taken to prevent these Nagas joining hands with the Mizo National Front.

Shri Madhu Limaye : There is danger now to the security of the whole of North East Area due to internal revolt and external aggression. If Government has to conduct negotiations with Nagas, it should be done direct and with generosity. This new peace mission of 5 persons is only self-deception. Are you going to give recognition to this mission?

Secondly are you going to entrust whole of this area to the army for the purpose of security?

Shri Nanda : I cannot give a reply here to the first question. Regarding the second question I may state that the army is looking after the area and all necessary precautions are being taken. Government is not doing anything with the peace mission.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार को अपने गुप्तचर विभाग से पता लगा है कि पाकिस्तान और चीन नागाओं को शस्त्र तथा सैनिक प्रशिक्षण दे रहे हैं और क्या सरकार ने पाकिस्तान से कह दिया है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो हम ताशकंद समझौता समाप्त समझेंगे ?

श्री नन्दा : चीन ने कोई हाथियार नहीं दिये हैं। हां हमें ठीक प्रकार से पता चला है कि पाकिस्तान ने हथियार दिये हैं। इसके विरुद्ध हमारे विदेश विभाग ने आपत्ति उठाई है और नोट पाकिस्तान को भेजे हैं। पाकिस्तान ने इन्कार किया है कि इस मामले में उनका हाथ है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा शस्त्र देकर तथा सैनिक प्रशिक्षण देकर नागाओं को भेजा है। इस से सरकार की विफलता का पता चला है क्योंकि वह उन्हें सीमा पार करने से रोकने में विफल रही है। क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान

दिया है कि यह नागाओं तथा मिजोओं को हथियार देना उस बात की निशानी है कि चीन तथा पाकिस्तान मिलकर के तीन तरफ से आक्रमण करें। यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

श्री नन्दा : अक्तूबर 1964 से पहले तो बहुत संख्या में विद्रोही आया करते थे जैसे 500 की तथा 250 की संख्या में। उसके बाद उन्हें रोक दिया गया और अब दो दो चार चार के गुटों में। इससे हमारी सफलता का पता चलता है न कि विफलता का।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : The Railway Minister informed on the 3rd of last month that the British diplomacy is behind the troubles in that area and now the Defence Minister has stated that the arms captured were manufactured in France. It shows that the N.A.T.O. nations have some connection in the eastern parts of India. Has government obtained any information about that?

Shri Nanda : We have no information to that effect. The arms manufactured in a country might have come from other sources.

How can we directly involve that country into it.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि एक बड़ा विद्रोह मिजो विद्रोहियों द्वारा होने वाला है और क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि यह हथियार आदि कहां से आये हैं और क्या चीनियों का भी इसमें कोई हाथ है ?

श्री नन्दा : चीनियों के निशान तो नहीं है। हां पाकिस्तान ने अवश्य हथियार तथा सैनिक प्रशिक्षण दिया है। हमें इस बात की चिन्ता है कि यह लोग वर्षा ऋतु में कठिनाई पैदा करेंगे। हम इसका इन्तजाम कर रहे हैं।

श्री बरुवा (जोरहाट) : क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि यह लूट मार अब काफी दिन चलेगी और इसका मुकाबला करने के इन्तजाम किये हैं ?

श्री नन्दा : जी हां। यह कितने दिन चलेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : यह नागा विद्रोही पाकिस्तान से 1955 से सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्या प्रधान मंत्री ने इसके बारे में नागा विद्रोहियों से बात की जब वह इस से मिले थे ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मैं ने तो इस बारे में उन से बात-चीत नहीं की परन्तु अन्य स्तरों पर इस मामले को उठाया गया है।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : सरकार क्या कदम उठा रही है जिस से यह पूर्वी पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त नागा मिज़ो क्षेत्र में न आयें ?

श्री नन्दा : सेना तथा पुलिस वहां देखभाल कर रही है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या यह सच है कि सरकार को मिज़ो नेशनल फ्रंट की बड़े पैमाने पर तैयारियों का पहले से पता था और वह उसके लिये कार्यवाही भी कर रही थी परन्तु आसाम के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री से मिलकर कार्यवाही रुकवा दी कि यह मिज़ो नेशनल फ्रंट अपने आप शीघ्र समाप्त हो जायेगा। यदि यह सच है तो क्या सरकार ने आसाम के मुख्य मंत्री से त्याग पत्र देने को कहा है क्योंकि उसी के कारण वहां यह खून खराब हुआ ?

श्री नन्दा : जब हमें यह समाचार मिला तो हमने उस क्षेत्र में अधिक सेना भेज दी। प्रश्न का दूसरा भाग उठता ही नहीं है।

Shri Ram Harakh Yadav (Azamgarh): Whether government are aware that in the Mizo Hills there is a training centre for the rebels and this is done with the help of Pakistan. If it is so, what is the Government policy in this matter?

Shri Nanda : The training is being inparted both in Pakistan as well as in Mizo district and we are taking all necessary steps in the matter.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि हमने बर्मा के एक विद्रोही को शरण दी थी और इस कारण बर्मा सरकार इसमें हमारा समर्थन नहीं कर रही ?

श्री नन्दा : यह असत्य है। बर्मा सरकार हमारे साथ सहयोग कर रही है तथा हमारी सहायता कर रही है। जिस विद्रोही को शरण दी बतलाते हैं, उसके बारे में मैं जांच पड़ताल करूंगा।

श्री स्वैल (आसाम: स्वायत्ताशाली जिले) : जो समाचार मिज़ो हिल्स से आ रहे है उन से पता चलता है कि यह सब गड़बड़ इस लिये हुई कि वहां कुछ बेगुनाह मिज़ो लोगों को पुलिस द्वारा तंग किया गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह स्थिति सुधारने को क्या केवल पुलिस कार्यवाही ही करेगी अथवा कुछ और कदम भी उठायेगी ?

श्री नन्दा : मैं ने यह कभी नहीं कहा कि केवल सैनिक कार्यवाही ही की जा रही है। और भी कदम उठाय गये हैं। पाटसकर समिति की रिपोर्ट है जिस पर थोड़े ही दिन में विचार किया जायेगा। प्रश्न के पहले भाग का मैं खंडन करता हूं।

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : क्या सरकार ने पाकिस्तान की नागा विद्रोहियों को दी जानेवाली सहायता के बारे में रूस तथा अन्य राष्ट्रों का ध्यान दिलाया है कि यह ताशकंद भावना के विरुद्ध है ?

श्री नन्दा : पाकिस्तान के बारे में हम ने पहले ही कह दिया है।

श्री दाजी (इन्दौर) : पाकिस्तान "नाटो" (Nato) तथा "सैंटो" के सदस्यों से प्राप्त हथियारों को विद्रोहियों को दे रहा है। पाकिस्तान द्वारा भारत पर कच्छ झगड़े के समय आरोप लगाने पर अमरीका ने हमारे यहां अपना एक जनरल भेजा कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध हथियार प्रयोग तो नहीं कर रहे। क्या सरकार ने इस बात की ओर अमरीका सरकार का ध्यान दिलाया है ?

श्री नन्दा : पाकिस्तान द्वारा हथियार देने के बारे में मैं ने पहले ही उत्तर दे दिया है।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : In the Mizo Hills the majority of the people living tnere are Chistians and the western powers want tne creation of a Chirstian State here. What steps are the government taking to check it?

Shri Nanda : There is no question of Christianity here. We have to face the problem of tnis internal revolt.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मिज़ो तथा नागा विद्रोहियों के सांझे आक्रमण का मुकाबला करने के लिये तथा उन दोनों में फूट डालने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नन्दा : हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विरुद्ध किस कार्यवाही के लिये वह दोनों आपस में न मिल सकें।

Shri Yogendra Jha (Madhubani) : If the Naga rebels do not obey the Command of the so called Federal government of Naga, are Government taking steps to deal with them in military way?

Shri Nanda : When we talk to them in future, we will take into consideration this too.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Has Government reported to the United Nations and the countries concerned of which the armaments captured from Nagas bear markings? Will Government talk to the new Peace Mission?

Shri Nanda : We have not taken any notice of new Peace Mission as it is a private matter. About the other part of the question, I have already replied to.

ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में (प्रश्न)
RE : CALLING ATTENTION NOTICE QUREY

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : श्रीमन्, मैं ने पश्चिमी बंगाल में पटसन की मिलें बन्द होने के विषय में एक अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की सूचना दी थी। मेरी आप से प्रार्थना है कि आप मंत्री महोदय से कहे कि वे आज दोपहर बाद इस पर वक्तव्य दें। यह साधारण सी बात है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I also gave a notice yesterday.

Mr. Speaker : I cannot take notices at this time.

नियम संख्या 376 तथा 377 के अन्तर्गत विषयों के बारे में
RE : POINTS UNDER RULES 376 AND 377

Shri Bagri (Hissar) : Sir, I rise on a point of order under Rule 377. When the Lok Sabha was in session yesterday, and discussing a very important matter *viz.* famine situation in Orissa, there was a meeting in the Central Hall of Parliament House. That was improper and against the rules.

Mr. Speaker : The meeting was fixed yesterday for 5.30 P.M. with my permission on the assumption that the House would rise by that time wnen the quorum bell rang all the members came to the House. So tnere is no question of point of order. There were Scientists invited from all parts of India and hence that could not be postponed.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ति (बैरकपुर) : यह बुरा हुआ है। इस प्रकार की बैठक शनिवार को हो सकती हैं जब सदन की बैठक न हो।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : पिछले 17 वर्ष से ऐसा नहीं हुआ। यह एक ग़लत परम्परा है। हम किसी वैज्ञानिक का अपमान नहीं कर रहे हैं। परन्तु यह ठीक नहीं है।

श्री रंगा (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ आपने कहा है वह महत्वपूर्ण है। परन्तु यहां महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हो रही थी और यदि इन वैज्ञानिकों से आधा घंटा और रुकने को कह दिया जाता तो आसमान नहीं टूट पड़ता था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा।

सभा-पटल पर गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नेशनल प्रोजेक्टस कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उस पर समीक्षा

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : श्रीमन्, मैं निम्न पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । **[पुस्तकालय के रखी गयी। देखियें संख्या एल०टी० 6312/66 ।]**

केरल साहुकार नियम, 1964 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाये

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल साहूकार अधिनियम, 1958 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल साहूकार नियम, 1964 की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1964 के केरल राजपत्र में अधिसूचना संख्या 38051/ए4/63/आई डी में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० 6313/66।]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6314/66।]**

श्री हरि विष्णु कामत : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । यह जो पत्र सभा पटल पर रखे गये हैं अर्थात् केरल साहूकार नियम, 1964 तथा दूसरा पत्र जो 31 मार्च, 1964 का है, इस समय का है जब वहां केरल की सरकार शासन में थी । उस ने त्याग पत्र सितम्बर 1964 में दे दिया । फिर दूसरी तिथि मार्च 1965 है । यह सब पुराने काग़ज हैं । फिर इन्हें सभा पटल पर क्यों रखा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मैं पता करूंगा ।

सदस्य की गिरफ्तारी (श्री राम सेवक यादव)

ARREST OF MEMBER (SHRI RAM SEWAK YADAV)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि मेरे पास उप-पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, से दिनांक 11 मई 1966 का एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें सूचना दी गई है कि लोक-सभा के सदस्य श्री राम सेवक यादव को दण्ड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 145/147, 148/313 के अन्तर्गत लखनऊ में 11 मई 1966 को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

सतरहवां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड) : श्रीमन्, मैं सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का सतरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

योजना मंत्री की संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा को यात्रा के बारे में समाचारों के सम्बन्ध में वक्तव्य

STATEMENT RE : PRESS REPORTS ON PLANNING MINISTER'S VISIT TO U. S. A. AND CANADA

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें।

योजना तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : श्रीमन्, कल कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी प्रेस रिपोर्टों का हवाला दिया था कि मैं अमरीका और कनाडा में हाल में ही अपनी बातचीत के बारे में जो वक्तव्य कल सदन में देने वाला हूं उसके विषय में वाशिंगटन से निकासी (क्लीयरेन्स) की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की एक रिपोर्ट के बारे में कि वाशिंगटन से चलने से पहले मैं विश्व बैंक के अध्यक्ष से मिला और सदन में दिये जाने वाले वक्तव्य के बारे में उनसे सहमति प्राप्त की, विशषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय, आप विशेषाधिकार के प्रस्ताव के लिए अनुमति देने से पहले ही इंकार कर चुके हैं। क्योंकि इस विषय में कुछ अफ़वाहें और गलत-फ़हमियां सामने आई हैं और जैसा कि सदन के नेता ने कल घोषित किया था मैं स्थिति को स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

2. प्रारम्भ में ही मैं इस बात से इंकार करना चाहता हूं कि कल जो वक्तव्य मैं सदन में देने वाला हूं उसके बारे में विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री वुड्स की सहमति ली जा चुकी है या मैं उस वक्तव्य के बारे में वाशिंगटन से निकासी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अमरीका और कनाडा के अपने दौरे के बारे में मैं जो वक्तव्य कल देने वाला हूं वह तैयार किया जा रहा है। वाशिंगटन में हुई बातचीत के बारे में प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल को सूचित कर देने के बाद ही मैंने यह वक्तव्य तैयार करना शुरू किया है क्योंकि यह वक्तव्य अभी तैयार ही किया जा रहा है अतः इसके बारे में विश्व बैंक के अध्यक्ष की सहमति या वाशिंगटन से निकासी संकेत प्राप्त करने का प्रश्न ही उठता।

3. जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है मेरे दौरे का प्रयोजन विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री वुड्स से और अमरीका के राष्ट्रपति और वहां की सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करना था। मेरी बातचीत का उद्देश्य यह था कि चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सहायता मंडल (कन्सोर्टियम) के देशों से प्राप्त होने वाली सहायता का स्वरूप क्या होगा सका पता लगाया जाय। विश्व बैंक के अध्यक्ष इस कन्सोर्टियम के प्रधान हैं और अमरीका इसका सबसे प्रमुख सदस्य है। बातचीत महत्वपूर्ण होने के कारण, मेरे लिए यह जरूरी था कि हमारी बातचीत के रिकार्ड का जो अंश विश्व बैंक के अध्यक्ष और अमरीका के अधिकारियों के विचारों तथा वक्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है उसमें मैं उनको भी साझीदार बनाऊं। यह इसलिए भी आवश्यक था कि बाद में इस बारे में कोई गलतफहमी न हो कि मुझे विश्व बैंक के अध्यक्ष और अमरीका के अधिकारियों से ठीक ठीक क्या संकेत मिले हैं। स्वभावतया, यह उस वक्तव्य का अंश होगा जिसे मैं सदन में कल देना चाहता हूं। वाशिंगटन से रवाना होने से पूर्व, जो कुछ मैंने करना चाहा है, वह यह सुनिश्चित करना है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष और अमरीका के अधिकारियों से मुझे जिस प्रकार के संकेत प्राप्त हुए हैं उनके बारे में सच्चाई से सही सूचना सदन को दूं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मंत्री महोदय का यह वक्तव्य स्वयं प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की रिपोर्ट पर ही आधारित है। परन्तु एक ओर तो वह इस से इंकार करते हैं और दूसरी ओर यह कहते हैं कि विश्व बैंक के अध्यक्ष तथा अमरीका के अधिकारियों से हुई बातचीत के अंश उन्हें दिखाने पड़े। इस के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि ये अंश उस वक्तव्य का अंग होंगे जो वह कल सभा में देने वाले हैं। मेरी भी वस्तुतः यही धारणा थी। विश्व बैंक तथा राष्ट्रपति जॉनसन के साथ हुई बैठक के कार्यवाही-सारांशों का तो आदान-प्रदान पहले हुआ ही होगा। प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री महोदय ने संसद में दिये जाने वाले वक्तव्य का एक अंश उनको दिखाया। मेरी आपत्ति यह है कि जो वक्तव्य विश्व बैंक के अध्यक्ष को पहले ही दिखाया जा चुका है, अब उसे यहां देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। हम मंत्री महोदय से उन निष्कर्षों के बारे में जानना चाहते हैं जो उन्होंने इस बातचीत से निकाले हैं। हम ऐसा विवरण नहीं चाहते हैं जिस के अंश विश्व बैंक के अध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को दिखाय जा चुके हों। यही मेरा निवेदन है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : संसदीय प्रक्रिया, औचित्य तथा हमारे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए, समाचारों में जो छपा है उससे बहुत चिंता होती है। योजना मंत्री की यह बात तो समझ में आती है कि वह विश्व बैंक तथा अन्य अधिकारियों से उनके द्वारा किये गये प्रस्तावों के बारे में सुनिश्चित करना चाहते थे। परन्तु यह बात समझ में नहीं आती है, जैसा कि समाचारपत्रों में छपा है, कि विमान से रवाना होने से पूर्व वह विश्व बैंक के अध्यक्ष से मिलें और संवाददाताओं को इस निष्कर्ष पर पहुंचने का अवसर दें कि वह संसद में दिये जाने वाले वक्तव्य के बारे में उन लोगों से अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं। यह एक अपमानजनक बात है। अब योजना मंत्री कहते हैं कि विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा जो बताया गया है उन सभी बातों को संसद को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जायेगा। यह तो और भी अधिक अपमानजनक बात है। सभा को यह बात सहन नहीं करनी चाहिये।

Shri Madu Limaye (Monghyr) : Firstly I would like to point out that it is wrong that you have already declared to give your consent to the Privilege Motion, as stated by the hon. Minister, because you had stated that decision would be taken after the statement had been made.

As such the notice for the Privilege Motion is still under the consideration of the House and you are to give your decision on this matter.

Secondly, so far as the discussions with the World Bank and the authorities of the Government of America were concerned, a joint communique could have been issued. But to get clearance from certain external sources for what is going to be said in Parliament by the Minister is something which questions the very sovereignity of this House. The Ministers should clearly be told that at least the statements which are made by the Ministers should be their own and not of anybody else.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : माननीय मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा छपी गई रिपोर्ट गलत और ठीक है। अतः प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की औपचारिक रुप से सूचना दी जा सकती है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय का यह कहना कि आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति देने से पहले ही इंकार कर दिया है, गलत है। माननीय मंत्री ने वृत्तांत को बिना पढ़े ही यह कहा है।

दूसरी बात जिस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि 7 मई को 13.30 और 21 बजे प्रसारित किये गये समाचारों में भी यह प्रसारित किया गया था कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक द्वारा भारत को दी जाने वाली सहायता के बारे में श्री मेहता

द्वारा इस सभा में दिये जाने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपनी सहमति दे दी है। मंत्री महोदय ने प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की उक्त रिपोर्ट का खण्डन नहीं किया है।

जब दो सरकारों के प्रतिनिधि बातचीत करते हैं तो पत्रों का आदान-प्रदान किया जाता है। आखिरकार यह कोई निजी बातचीत तो नहीं थी। योजना मंत्री ने हमारे देश के एक प्रतिनिधि के रूप में विश्व बैंक से बातचीत की थी। क्या इस मामले से सम्बद्ध अन्य दस्तावेजों का भी आदान-प्रदान किया गया था और यदि हां, तो इन दस्तावेजों को भी सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये जिससे स्पष्ट स्थिति का पता लग सके।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : विशेषाधिकार प्रस्ताव बिल्कुल उचित है क्योंकि इतने दिन व्यतीत होने के पश्चात भी मंत्री महोदय इस सभा को अमरीका में जो कुछ हुआ उस की जानकारी नहीं दे सके हैं। वह उन लोगों से अभी तक पत्र व्यवहार कर रहे हैं और इस बीच कई बयान आ चुके हैं। परन्तु वह इस सभा तथा इस देश के लोगों से इस मामले को छिपा रहे है। अतः उन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।

श्री अशोक मेहता : महोदय, मेरे विरुद्ध जो आक्षेप लगाये गये हैं, मैं उनका खण्डन करता हूं। ये आक्षेप इसलिये लगाये गये हैं क्योंकि यह तर्क दिया जाता है कि संवाददाता यह जानते थे कि मैं अमरीका में क्या कर रहा था। भारत के लिये न्यूयार्क से विमान द्वारा रवाना होने से पूर्व 5-30 बजे तक मैं विश्व बैंक के अध्यक्ष से बातचीत करता रहा। यह ध्यान में रहे कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कंसर्शियम का प्रतिनिधित्व करता है जिसके कई देश सदस्य हैं। उन्हें इन सभी देशों से सलाह करनी पड़ती है और जब दो पक्षों के बीच कोई बातचीत होती है तो यह जरूरी हो जाता है कि बातचीत का जो रिकार्ड है वह एक जैसा हो। दूसरी बात जो मेरी समझ में नहीं आती है वह यह है कि विभिन्न देशों के राजदूतों तथा उच्च आयुक्तों ने मुझ से यहां भेंट की। इसका अर्थ लगाया जा रहा है कि वह मेरे से जानना चाहते थे कि मैं संसद में क्या कहने जा रहा हूं। यह सर्वथा अनुचित है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं तो उस के लिये कार्य करना असम्भव हो जाता है। जब तक प्रधान मंत्री का तथा सत्ताधारी दल के मेरे मित्रों का मुझे विश्वास प्राप्त है तब तक मैं इस प्रकार के आक्षेपों को सहन करने के लिये तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह उठाया गया था कि प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी थी कि संसद में दिये जाने वाले वक्तव्य के बारे में विश्व बैंक के अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त की गई है और इस प्रकार संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है और कि किसी विदेशी अभिकरण से अनुमति लेना किसी मंत्री अथवा सरकार के लिये बहुत ही अपमानजनक बात है। मंत्री महोदय ने बताया है कि चूंकि बातचीत होती रही थी, अतः यह आवश्यक था कि उन से बातचीत करने से जो वह समझ पाये हैं उसकी पुष्टि की जाय कि क्या जो वह समझ पाये हैं वह सही है अथवा इस में कोई गलत फहमी तो नहीं है।

जब दो राजनीतिज्ञ आपस में बातचीत करते हैं और कोई निर्णय करते हैं तो शिष्टता के नाते एक दूसरे से पूछ लिया जाता है कि वह उनके साथ बातचीत करने से जो कुछ समझे हैं वह ठीक है। योजना मंत्री भी केवल यही बात सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन के साथ बातचीत से जो कुछ वह समझे हैं वह ठीक है। यह एक साधारण शिष्टता की बात है। अतः इस मामले में विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता है।

निदेश 115 के अधीन वक्तव्य के बारे में

RE : STATEMENT UNDER DIRECTION 11

अध्यक्ष महोदय : डा० राम मनोहर लोहिया को एक वक्तव्य देना था। परन्तु चूंकि वह इस समय उपस्थित नहीं हैं अतः हम अगला विषय आरंभ करेंगे।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

श्री श्रीकांतन नायर (क्विलोन) : मैंने इस सभा के अवमान के बारे में आप को सूचना दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले के बारे में आपने क्या निर्णय लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

जिस ढंग से माननीय सदस्य ने अपनी अप्रसन्नता अथवा रोष व्यक्त किया है वह बहुत ही खेदजनक है।

उन्होंने एक समाचारपत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचना दी थी। मैंने उन्हें उस सारी सामग्री अथवा सारे पत्रों को, जो उन्होंने उस समाचारपत्रवालों को लिखे थे और उन से प्राप्त किये थे, मेरे पास भेजने के लिये कहा था। परन्तु यह भेजने की बजाय वह अब मुझे कहते हैं कि इस मामले के बारे में मुझे निर्णय करना चाहिये।

श्री श्रीकान्तन नायर : मैंने उनका अनुवाद आप के पास तीन चार दिन पहले भेज दिया था।

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में भी बताता हूं। आज प्रातः जब वह मेरे पास आये तो वह बड़े क्रोध में थे और मुझे कहने लगे कि किसी व्यक्ति ने अवमान किया है। यदि आप इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो यह समझा जायगा कि अन्य पक्ष से मैं प्रभावित हूं। इस प्रकार के आरोप लगाना बहुत ही अनुचित बात है। मैंने उस व्यक्ति को देखा तक नहीं है। मैं नहीं जानता कि वह कौन व्यक्ति है। मैं उस समाचारपत्र को नहीं पढ़ सकता हूं .

श्री श्रीकान्तन नायर : यहां उनके एजेंट जो हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : यह तो आप से निजी रूप से बातचीत हुई थी। आप इस मामले को यहां क्यों उठा रहे हैं ? यह भी उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह निजी रूप से बातचीत है कि कोई सदस्य मेरे चेम्बर में आये और धमकी दे कि किसी ने अवमान किया है। उनका आशय यह था कि मैंने अवमान किया था। तत्पश्चात यह कहना कि यदि अनुमति नहीं दी जायेगी तो समझा जायेगा कि मैं दूसरे पक्ष से प्रभावित हूं। क्या यह कहना ठीक है ?

श्री श्रीकान्तन नायर : एक सप्ताह से भी अधिक समय हो गया है जब मैंने उस सारे अग्रलेख का अनुवाद आप के पास भेज दिया था। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप मेरी सच्चाई पर आपत्ति करते हैं। मैंने यह मामला पूरी गम्भीरता, सच्चाई तथा ईमानदारी से उठाया था। परन्तु एक सप्ताह से भी अधिक समय के पश्चात आपका पी०ए० मुझे कहे कि अध्यक्ष महोदय सारे पत्रों को भी देखना चाहते हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में इतनी अधिक देर हो गई है कि मैं नहीं जानता कि क्या वह इस की अनुमति दे देंगे। आप के अधीन एक साधारण अधिकारी की इस प्रकार की बातों से उकसा कर मैंने यह कहा कि दूसरे पक्ष द्वारा आप पर प्रभाव डाला जा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा अथवा किसी सदस्य ने यही निष्कर्ष निकाला है कि क्योंकि मैंने उसे पत्र दिखाने के लिये कहा था इसलिये मैं उसकी सच्चाई पर सन्देह कर रहा था। इस प्रकार के बरताव से मुझे हैरानी होती है।

श्री क० ना० तिवारी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य द्वारा किये गये रिमार्कों वाले भाग को कार्यवाही के वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे रहने दिया जाय।

भारत के खाद्य निगम के कर्मचारियों की भूख हड़ताल के बारे में
RE : HUNGER STRIKE BY FCI EMPLOYEES

श्री रंगा (चित्तूर) : कुछ समय पहले मैंने आप से यह सुनिश्चित करने के लिये निवेदन किया था कि खाद्य मंत्री भुख हडताल के बारे में, जिसका भारतीय खाद्य निगम के लगभग 21,000 कर्मचारी समर्थन कर रहे हैं एक वक्तव्य दें। उन्हें यह वक्तव्य यथासम्भव शीघ्र देना चाहिये।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : उन्होंने इस बारे में एक अल्प सूचना प्रश्न की भी सूचना दी है और मैंने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है। क्या माननीय सदस्य का इस से समाधान हो जायगा।

श्री रंगा : यह प्रश्न किस दिन लिया जायेगा।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दिन तो अध्यक्ष महोदय द्वारा निश्चित किया जायेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : On a point of Order, Sir, I am just coming from tne Railway Station direct. The train was to reach the station at 7.50.....

Mr. Speaker : I have kept tne statement to be made by him in abeyance.

Dr. Ram Manohar Lohia : Like me, about thirty thousand passengers who come from Ghaziabad and Meerut have to remain off from their duties. Some way should be found out by the Government to give either train facility or other facility to these men also who are either working in offices and or in factories.

Mr. Speaker : This is a different question. I cannot give any decision on it.

Dr. Ram Manohar Lohia : Besides this, I am to say something to you about the arrest of Shri Ram Sewak Yadav.....

Mr. Speaker : This has already been discussed.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is none of my fault. I am submitting that I should have reached here at 7.30.

Mr. Speaker : Whatever the reason, the matter cannot be taken up again.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is the Government which is responsible for this delay on my part, and the arrests which have been made at Lucknow are totally illegal.

Mr. Speaker : Now this matter is not before us.

उपज उपकर विधेयक—जारी
PRODUCE CESS BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा उपज उपकर विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं खण्ड 22 के अतिरिक्त उपज उपकर विधेयक के सभी उपबन्धों का समर्थन करता हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

इस विधेयक द्वारा सरकार उन वस्तुओं पर उपकर जारी रखना चाहती है जिनपर वह भारतीय रुई उपकर अधिनियम, 1923, भारतीय लाख उपकर अधिनियम, 1930, भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944 तथा भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत ले रही थी और जो खतम हो गये हैं तथा इसके फलस्वरूप इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाई गई समितियों का विघटन हो गया है। इन समितियों का कार्य सरकार के विभिन्न विभागों को सौंपा जायेगा। इस सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा, मैं खण्ड 22 को छोड़कर विधयक के सभी उपबन्धों का समर्थन करता हूं ।

जहां तक खण्ड 22 का सम्बन्ध है, इस में उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार को कुछ अन्य वस्तुओं पर भी उपकर लगाने की शक्ति प्राप्त हो जायेगी । चूंकि संविधान के अन्तर्गत कर केवल संसद द्वारा ही लगाया जा सकता है अत: कर लगाने की यह शक्ति सरकार को नहीं दी जानी चाहिये । यदि हम यह शक्ति सरकार को दे देते हैं तो इससे हम संसद को कर लगाने की उसकी शक्ति से वंचित कर रहे होंगे । अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस खण्ड को विधेयक से निकाल दें ।

वस्तु समितियों का विघटन कर के सरकार ने ठीक ही किया है । अब इन समितियों का र्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किया जायेगा और मुझे पूर्ण आशा है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद वस्तु समितियों द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्य को और आगे बढ़ायेगी । इस बात का स्वागत है कि अनुसन्धान प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान कार्य करने वालों को अब और अधिक सुविधायें दी जायेंगी जिससे उन्हे इस कार्य के लिये प्रोत्साहन मिलेगा ।

रुई के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जानी चाहिये जिससे संयुक्त अरब गणराज्य तथा अमरीका से रुई की कुछ किस्मो को आयात करने पर जो विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है उसको बचाया जा सके । रुई की कुछ बढ़िया किस्मो का विकास करने के लिये अनुसन्धान किया जाना चाहिये ।

यह कहा गया है कि वस्तु समितियों के स्थान पर विकास परिषदे बनाई गई हैं । यद्यपि यह केवल सलाह ही दे सका करेंगी तथापि इनको पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहिये जिससे ये सरकार को कृषि-वस्तुओं के बारे में उपयोगी सुझाव दे सकें । यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इनके सुझावों को विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि मंत्री महोदय खण्ड 22 को विधेयक से निकाल देंगे ।

श्री त्यागी (देहरादून) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । खण्ड 22 का विषय एक बहुत महत्व-पूर्ण विषय है । विधि मंत्री को इस बारे में अपना मत व्यक्त करना चाहिये कि क्या सभा को अधिकार है कि वह सरकार को अथवा किसी अन्य संगठन को कर लगाने की अपनी शक्ति प्रत्यायोजित करे । कर लगाने का केवल सभा को ही विशेषाधिकार है । यह एक संवैधानिक खण्ड है अत: विधि मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब इस खण्ड विशेष पर चर्चा की जायेगी उस समय इस बात पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रश्न यह है कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है

श्री त्यागी : इस सम्बन्ध में कोई सीमा निश्चित की जाय तो बात समझ में आ सकती है। उदाहरणार्थ ब्रिटेन में उधार लेने के बारे में संसद ने सीमा निश्चित कर रखी है। ब्रिटेन सरकार को इस बारेमें असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : विधेयक को पुरःस्थापित करने के पश्चात विधि मंत्रालय ने यह सलाह दी थी कि इस सामान्य खण्ड में संशोधन करना आवश्यक है क्योंकि अनिर्दिष्ट दर से उपकर लगाने की शक्ति के बारे में संसद को आपत्ति होगी। खण्ड 22 में उपकर की अधिकतम दर का उल्लेख करने हेतु इस खण्ड में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : इस से तो सीमा निश्चित हो जायेगी, परन्तु हमारी आपत्ति यह है कि इससे सरकार अनुसूची में उल्लिखित चार वस्तुओं के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु पर भी, संसद की मंजूरी लिये बिना उपकर लगा सकेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी नई वस्तु पर उपकर लगाने से पूर्व सरकार को इस सभा की मंजूरी लेनी चाहिये, खण्ड 22 अनावश्यक है अतः इसे विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार उपकर स्वतः लगा सकती है अथवा उसे सभा की मंजूरी लेनी पड़ती है ?

श्री शिन्दे : अपेक्षित संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है। विधि मंत्रालय के सुझाव के अनुसार खण्ड 22 के अन्तर्गत जो अधिकतम उपकर लगाया जायगा वह उपज के मूल्य का $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत होगा। यह इस खण्ड में निर्दिष्ट किया जायगा और खण्ड 23 के अन्तर्गत जारी की गई सभी अधिसूचनाओं को संसद के दोनों सभाओं के पटलों पर रख दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार अधिसूचना द्वारा स्वतः कोई अतिरिक्त कर लगा सकेगी अथवा किसी अतिरिक्ति वस्तु पर कर लगा सकेगी अथवा ऐसा करने के लिये इसे किसी धारा विशेष का संशोधन करने के लिये संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी ? मंत्री महोदय इस बारे में क्या कहते हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): जो कुछ मैं समझ पाया हूं वह यह है कि विधि मंत्रालय ने इस मंत्रालय को सुझाव दिया था जिसको इस मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

श्री त्यागी (देहरादून) : जब तक कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक यह कैसे मान लिया जाये कि उन्होंने विधि मंत्रालय के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सरकार ने अधिकतम दर निश्चित कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संशोधन को स्वीकार कर के उपकर की अधिकतम दर संसद द्वारा निश्चित की जायेगी।

श्री त्यागी : क्या संविधान के अन्तर्गत यह ग्राह्य है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : ऐसा करना संविधान के अनुसार ही होगा क्योंकि अधिकतम दर संसद द्वारा निश्चित की जायेगी। सरकार अधिकतम दर से कम दर पर ही उपकर लगा सकेगी और यह दर एक अधिसूचना द्वारा निश्चित की जायेगी जो सभा-पटल पर रखी जायेगी। परन्तु इस बात का निर्णय सरकार ही करेगी कि किस नई वस्तु पर उपकर लगाया जाये। क्योंकि किसी वस्तु पर उपकर का लगाया जाना समय समय पर प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

श्री रंगा (चित्तूर) : जी, नहीं, सरकार को इस के लिये सभा की मंजूरी लेनी चाहिये।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : वह अधिसूचना, जिसके अन्तर्गत किसी वस्तु पर उपकर लगाया जायेगा, 30 दिन तक सभा पटल पर रखी जाया करेगी। तब संसद इस पर विचार कर सकेगी।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : सरकार संसद से समय-समय पर मंजूरी ले सकती है। इस में क्या हानि है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस का अर्थ यह होगा कि जब भी सरकार किसी वस्तु पर उपकर लगाना चाहेगी तो इसे हर बार संसद की मंजूरी लेनी पड़ा करेगी और इस के फलस्वरूप उपकर लगाने में देर हो जाया करेगी।

श्री त्यागी : यह बात तो समझ में आ सकती है कि कर अधिसूचना को सभा-पटल पर रखे जाने के 40 दिन पश्चात लगाया जाय। ऐसा केवल तभी किया जाना चाहिये जब संसद अधिसूचना का अनुमोदन कर दे।

श्री रंगा : इस के अतिरिक्त यह एक अपरोक्ष प्रक्रिया होगी, क्योंकि इस मामले में किसी न किसी सदस्य को सभा-पटल पर रखी गई अधिसूचना के सम्बन्ध में प्रस्ताव करना पड़ेगा। हम चाहते है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये। इस उद्देश्य के लिये चाहे वह संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत करे चाहे कोई संकल्प प्रस्तुत करे। परन्तु यह जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिये। अत: खण्ड 22 संसद की शक्तियों का हरण करती है और इसलिये यह गलत है। इसे विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार से संसद को कर लगाने की शक्तियों से वंचित किया जा रहा है। कर केवल संसद ही लगा सकती है।

श्री क० ना० तिवारी : सरकार को कोई कर लगाने समय हर बार संसद की मंजूरी लेनी चाहिये।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : इस मामले के वास्तव में दो पहलू हैं। एक यह कि उपकर की अधिकतम कर संसद द्वारा निश्चित की जा रही है। सरकार उतनी दर तक ही उपकर लगा सकेगी। दूसरा यह कि सरकार एक अधिसूचना जारी कर के नई वस्तुओं पर उपकर लगा सकेगी। मंत्री महोदय कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उन्हें हर बार एक अलग विधेयक लाना पड़ेगा। मेरे विचार में यह उद्देश्य केवल अनुसूची में संशोधन कर के भी पूरा किया जा सकता है। सरकार संशोधन द्वारा अनुसूची में उन नई वस्तुओं को सम्मिलित कर सकती है जिन पर वह उपकर लगाना चाहती है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : महोदय, लोगों पर कर लगाने की शक्ति निःसन्देह केवल संसद की है। परन्तु देश की बदली हुई परिस्थितियों में संसद केन्द्रीय सरकार को एक अधिसूचना द्वारा नई वस्तुओं पर उपकर लगाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यह अधिसूचना सभा-पटल पर रखी जायेगी और संसद इस अधिसूचना में संशोधन कर सकेगी अथवा इसे रद्द कर सकेगी।

श्री सोनावणे (पंढरपुर) : जी, नहीं, हम यह नहीं चाहते है।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस को चाहना अथवा न चाहना एक अलग बात है। परन्तु जहां तक इस मामलें की वैधता का सम्बन्ध है, यदि संसद यह शक्ति केन्द्रीय सरकार को दे देती है तो, यह बिल्कुल वैध होगा। बाकी इस बात का निर्णय करना संसद का अधिकार है कि क्या यह शक्ति सरकार को दी जानी चाहिये अथवा नहीं . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। कराधान की शक्ति संसद का विशेषाधिकार है। यह शक्ति सरकार को नहीं दी जा सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत : उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए विधेयक वापस ले लिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक को वापस क्यों लिया जाना चाहिये ? केवल खण्ड 22 को निकाला जायेगा ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इस बात पर ध्यान न देते हुए कि यह मान्य है अथवा नहीं, हम इस पर संसद की दृष्टि से विचार करते है कि क्या कार्यपालिका को नियय बनाने की शक्तियों द्वारा कर लगाने की शक्ति दी जाये । हम मानते हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये । चाहे यह संविधान की दृष्टी से मान्य हैं अथवा नहीं, हम खण्ड 22 के बारे में आग्रह नहीं करेंगे ।

श्री त्यागी : धन्यवाद ।

श्री रंगा : उपाध्यक्ष म्होदय, श्रीमान, वस्तु समितियों का विघटन करने का जो निर्णय किया गया है वह खेदजनक है क्योंकि इनका कार्य संतोषजनक ढंग से हो रहा था । मंत्री महोदय अथवा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने जिन विकास योजनाओं के बारे में सोचा था, उन्हे इन समितियों के सम्मुख रखा जाना चाहिये था । ये समितियां सभी हितों का प्रतिनिधित्व करती थीं । परन्तु इन के स्थान पर जो विकास परिषदें बनाई जा रही हैं उन में केवल सरकार द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति ही होंगे । यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है ।

खण्ड 23 का स्वागत है । परन्तु कुछ वस्तुओं पर अधिक उपकर लगाने का सरकार का निर्णय बहुत ही निन्दनीय है ।

दूसरी बात जिस की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है वह यह है कि उपकर से जितनी आय होती है उसे सम्बन्धित फसलों के विकास पर खर्च किया जाना चाहिये ।

दुर्भाग्य से फसलों के विपणन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

फसल उगाने वालों को लाभकारी मूल्य मिले, इस के लिये जो व्यवस्था की गई है मैं उसका स्वागत करता हूं तथा इस के साथ साथ यह भी आशा करता हूं कि इसे व्यवहारिक रूप दिया जायेगा । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसान को लाभप्रद अथवा इसे से निकटतम मूल्य मिल सके । विकास परिषदों को ऐसी विभिन्न योजनायें बनाने का कार्य सौंपा जाना चाहिये जिस से उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिल सकें ।

उप-खण्ड (1) में जो उपबन्ध किया जा रहा है उसका स्वागत है । इससे किसानों को अपने संगठनों का विकास करने में सहायता मिल सकेगी । यदि वे चाहे तो एक या अधिक संगठन बना सकते हैं । परन्तु मान्यता केवल उन संगठनों को दी जानी चाहिये जिनको बहुसंख्यक उत्पादकों का समर्थन प्राप्त हो । कई संगठनों को मान्यता दी जा सकती है यदि वे सरकार को आश्वासन दे कि उन्हें निर्दिष्ट न्यूनतम संख्या में किसानों का समर्थन प्राप्त है । इस प्रकार का उपबन्ध किया जाना चाहिये ।

खण्ड 13(2) के अन्तर्गत अधिकारियों को बिना सूचना दिये मिलों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया जा रहा है । अधिकारियों को यह कार्य कार्यालय के समय में ही करना चाहिये अन्यथा इस शक्ति का बहुत दुरुपयोग हो सकता और भ्रष्टाचार भी फैल सकता है । यदि इस खंण्ड को पूर्णतया क्रियान्वित किया जाना है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि अधिकारी मिल मालिकों को अधिक परेशान न कर सकें ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के इस समय जो अध्यक्ष है वह एक योग्य व्यक्ति हैं । परन्तु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में

[श्री रंगा]

भी इस पद पर योग्य व्यक्ति लगाये जायेंगे। अतः यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के रूप में भविष्य में सक्षम और योग्य प्रशासक नियुक्त किये जायें, उचित नियम और सिद्धांत बनाये जाने चाहिये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आवश्यक समझा गया तो हम यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपसभापति के, जो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के महा निदेशक हैं, पद पर सुयोग्य कृषि विज्ञान में पारंगत तथा अच्छे प्रशासक ही लिये जायें, कुछ सिद्धांत बनाये जायेंगे।

जसाकि श्री रंगा ने सुझाव दिया है, हमारी भी यही इच्छा है कि यदि सम्भव है तो इकट्ठे किये गये उपकर अलग हिसाब रखा जाये ताकि कोई गड़बड़ न हो। विधि के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए वस्तुका इकट्ठे होने वाले उपकर का अलग अलग हिसाब रखा जायेगा। परन्तु यह ध्यान रहे कि उपकर में होने वाली आय अनुसन्धान कार्य के लिये पर्याप्त नहीं होगी। यह तो केवल एक मामूली भाग है क्योंकि हमें अपने अनुसन्धान तथा विकास कार्य का निरंतर रूप से विस्तार करना है। अन्यथा विभिन्न वस्तुओ का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो सकेगा। आधुनिक कृषि मे विज्ञान का अधिक प्रयोग किया जाना है और इसलिये सरकार के लिये यह आवश्यक है कि कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान पर अधिक खर्च किया जाय क्योंकि एक आविष्कार से ही करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है।

वस्तु समितियों के कार्य का पुनर्विलोकन करने पर मालूम हुआ है कि केवल कुछ ही समितियां ठीक ढंग से कार्य कर रही थी। ये विकास तथा विपणन को अधिक महत्व नहीं देती थी। य स्वयं को एक अनुसन्धान निकाय हो समझती थीं। आखिरकार अनुसन्धान एक तकनीकी कार्य है और ये समितीयां इस कार्य मे इतनी सहायता नहीं कर सकता थी। ये केवल कुछ कम जटिल समस्याओं को ही हल कर सकी थी इसी लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के नई व्यवस्था में हम ने कुछ समस्याओं को राष्ट्रीय समस्याओं का रूप दिया है। नारियल के रोग की समस्य इन में से एक है। पिछले 10 वर्षों में रोगों को दूर करने के लिये बहुत कुछ नहीं किया जा सका है। इसका मुख्य कारण केवल यह था कि इस के लिये केवल कुछ ही वैज्ञानिक प्रयत्न करते रहे थे। अब हमरा विचार है कि जहां तक राष्ट्रीय समस्याओं का सबम्न्ध है, इनका हल करने के लिये योग्य व्यक्तियों को लगाया जाये। यह आवश्यक नहीं होगा कि इनको केवल एक ही समस्या को हल करने का कार्य सौंपा जाय, वे अन्य वस्तुओं सम्बन्धी समस्याओं के बारे में निदेश दे सकेंगे। इस प्रकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अधीन प्रत्येक वस्तु के लिये समन्वित कार्यक्रम से अच्छे परिणाम निकलने की सम्भावना है।

एसी भी कोई बात नहीं है कि कोई विशषज्ञ एक ही वस्तु के बारे में अपना अनुसन्धान कर सकता है क्योंकि हो सकता है कि जो परिणाम उसने निकाले हैं वे अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी उपयोगी सिद्ध हो। इसलिये सब विशेषज्ञों को मिल कर कार्य करना है जिससे ठोस परिणाम निकल सकें। वस्तु-समितियों के मामले में यह सम्भव नही था क्योंकि वे अलग अलग थीं। अतः मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि पुनर्गठित अनुसन्धान कार्यक्रम के अन्तर्गत न केवल भारतीय कृषि अनसन्धान परीषद संगठन अपितु विश्वविद्यालयों तथा सभी राज्य संस्थाओं में समन्वय स्थापित किया जायेगा। अनुसन्धान के बारे में इस प्रकार एक एकीकृत ढंग अपनाने से मुझे आशा है कि हम नये उत्साही वैज्ञानिकों की सहायता से कृषि विज्ञान में काफी उन्नति कर सकेंगे।

हां तक चाय तथा कहवा का सम्बन्ध है, इनके लिये अलग समितियाँ हैं जो कि वाणिज्य मंत्रालय के अधीन हैं।

श्री त्यागी : इनको भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्यों नहीं ले आते।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पहले हमें अपने मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वस्तुओं के बारे में कुछ परिणाम निकालने हैं। तत्पश्चात दूसरी वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लिया जायेगा।

Shri Rameshwaranand (Karnal) : Instead of tobacco, why should we not produce foodgrains ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : तम्बाकू से हमें काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यह ठीक है कि हमें तम्बाकू नहीं पीना चाहिये परन्तु दूसरे देशों के लोगों को तम्बाकू पीने से मना नहीं करनी चाहिये ।

जहां तक भारतीय लाख का सम्बन्ध है, मुख्य कठिनाई यह है कि इस के स्थान पर काम म आने वाली कृत्रिम वस्तुएं बन गई हैं। अत: हमे लाख के दूसरे प्रयोगों को ढूंढना चाहिये। इस दिशा में अनुसन्धान किया जा रहा है अत: लाख के बारे में जो नया ढंग अपनाया जा रहा है इस से इसका देश तथा विदेशों में अच्छा विपणन हो सकेगा।

जहां तक नारियल के पेड़ों का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बता दिया है कि इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या मान लिया गया है और इस सम्बन्ध में गहन अनुसन्धान किया जायेगा। इस बीच यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोगी पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ लगाये जायें।

1966-67 में अनुसन्धान तथा विकास कार्य के लिये 405 लाख रुपये आवंटित किये गये जिसमें से 140 लाख रुपये अनुसन्धान कार्य पर और 265 लाख रुपये विकास कार्य पर खर्च किये जायेंगे।

श्री वारियर (त्रिचुर) : क्या नारियल के पेड़ों को पुन: लगाने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी जायगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में कृषि पुनर्वित निगम ने एक कार्यक्रम चालू किया है।

जहां तक खण्ड 22 का सम्बन्ध है मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं इस के लिये आग्रह नहीं करूंगा।

यह एक आवश्यक विधान है और इसे पारित कर दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि कतिपय उपजों की खेती और विपणन के ढंगों के सुधार और विकास के लिय ऐसी उपज पर एक उपकर अधिरोपित करने के लिये तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ / *The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्डवार चर्चा आरंभ की जायेगी। खण्ड 2 से 21 में कोई संशोधन नहीं है अत: इनको म एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :––

"कि खण्ड 2 से 21 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/ *The motion was adopted.*

खण्ड 2 से 21 को विधेयक में जोड़ दिया गया । / *Clauses 2 to 21 were added to the Bill.*

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 22 के लिये मंत्री महोदय आग्रह नहीं कर रहे हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 22 को छोड़ दिया जाये ।

श्री त्यागी : सभा की अनुमति लिये बिना इसे नहीं छोड़ा जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अग्राह्य करार दिया है ।

खण्ड 23--नियमों तथा अधिसूचनाओं का संसद के समक्ष रखा जाना

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खण्ड 23 में एक आनुषंगिक संशोधन है ।

श्री दे० द० पुरी : खण्ड 23 की संख्या को बदल कर खण्ड 22 कर दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 23 की संख्या को बदल कर खण्ड 22 कर दिया जायेगा ।

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 10,--

(एक) पंक्ति 12 और 13,--

("and every notification made under section 22"). ("और धारा 22 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना") शब्द हटा दिये जाय ।

(दो) पंक्ति 18,--

("or in the notification"). ("अथवा अधिसूचना में") शब्द हटा दिये जाय ।

(तीन) पंक्ति 19,--

"or the notification" ("अथवा अधिसूचना") शब्द हटा दिये जाय ।

(चार) पंक्ति 20,--

"or the notification" ("अथवा अधिसूचना") शब्द हटा दिये जायं ।

(पांच) पंक्ति 24,--

"or the notification" ("अथवा अधिसूचना") शब्द हटा दिये जायं ।

(श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23, जिसकी संख्या बदल कर खण्ड 22 कर दी गई है संशोधित रूपमें विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ /*The motion was adopted.*

खण्ड 23 को, जिसकी संख्या बदल कर खण्ड 22 कर दी गई है, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।/ *Clause 23, re-numbered as clause 22, as amended, was added to the Bill.*

प्रथम अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया । /*The First schedule was added to the Bill.*

द्वितीय अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया। /*The Second Schedule was added to the Bill.*

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिये गये ।/*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

उड़ीसा विधान सभा (कार्यावधि का बढ़ाया जाना) विधेयक
ORISSA LEGISLATIVE ASSEMBLY (EXTENSION OF DURATION) BILL

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उड़ीसा राज्य की वर्तमान विधान-सभा की कार्यवधि को बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का सम्बन्ध उड़ीसा विधान सभा है, उसकी कार्यवधि 20 अगस्त, 1966 को समाप्त हो जायेगी। उस अवधि को बढ़ाने के लिए विधि बनाना अनिवार्य हो गया है क्योंकि विधान मंडल के निर्वाचन 1967 में देशव्यापी सामान्य निर्वाचन के साथ कराने का प्रस्ताव है। विभिन्न कारणों से यह ठीक नहीं समझा गया है कि 1967 के देशव्यापी सामान्य निर्वाचन के अतिरिक्त किसी दूसरी तिथि को विधान मण्डल के लिए सामान्य निर्वाचन कराये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री त्यागी : क्या यह उचित नहीं होगा कि संविधान में ऐसा संशोधन किया जाये कि जब भी अगामी सामान्य चुनाव के एक वर्ष के अन्दर मध्यकालीन चुनाव होने हों तो ऐसे प्रत्येक मामले में चुनाव स्वत: स्थगित किये जायें ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सरकार उचित समय पर इस पर विचार करेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को 17 मई, 1966 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये ।"

मैं माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विचार से सहमत नहीं हूं। उड़ीसा की वर्तमान सरकार मजदूरों, किसानों और समाज के दूसरे वर्गों के हितों पर विचार करने में पूरी तरह असफल रही है। 30 लाख से अधिक व्यक्ति भुखमरी का शिकार हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। हम नहीं चाहते कि ऐसी सरकार की कार्यविधि में एक दिन की भी वृद्धि की जाये।

[श्री स० मो० बनर्जी]

उड़ीसा के दो पहले कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा भाई भतीजावाद के आरोप लगाये गये थे। उन्हें जनता के दबाव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। उसके पश्चात् भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उड़ीसा की भ्रष्ट सरकार की अवधि बढ़ाने की विधि का समर्थन नहीं किया जा सकता। जब केरल में चुनाव का प्रश्न आता है तो कहा जाता है कि वहां राष्ट्रपति का शासन है। वे उड़ीसा में चुनाव इसलिये नहीं चाहते क्योंकि सत्तारूढ़ दल को डर है कि उनकी उड़ीसा विधान सभा में बहुमत में कमी हो जायेगी। वे चाहते हैं कि उड़ीसा के निर्वाचन तथा सामान्य निर्वाचन एक ही समय में हो क्योंकि वे जानते हैं कि यदि निर्वाचन सामान्य निर्वाचन से पहले हुए तो कांग्रेस को भारी क्षति उठानी पड़ेगी और उसका प्रभाव समूचे देश में सामान्य निर्वाचन पर होगा।

आपात का प्रयोग केवल शासक दल की इच्छा के अनुसार ही किया जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र ढोंग बन कर रह गया है। इसी कारण मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि विधेयक को लोकमत के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायेगा।

श्री रामचन्द्र मलिक (जाजपुर) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री तथा उपमंत्री को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। उड़ीसा के समक्ष सूखे की स्थिति है और लोग पीड़ित हैं। इस समय वहां निर्वाचन कराना बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। उड़ीसा सरकार और केन्द्रीय सरकार जरूरत वाले लोगों की सब से अच्छे तरीके से सहायता करने की इच्छुक हैं। अब समय है कि हम इस बात पर विचार करें कि वहां चुनाव कराये जायें अथवा नहीं। यदि अब चुनाव कराये जायें तो अधिकारी चुनावों में लग जायेंगे और इस तरह सहायता और विकास कार्यों में रुकावट पड़ेगी।

यदि मध्यकालीन निर्वाचन कराये जायें तो सरकार को लाखों रुपया व्यय करना होगा। कांग्रेसी तथा अन्य विरोधी दलों को भी बहुत व्यय करना पड़ेगा। इसलिए यह अच्छा और सुविधाजनक हो गा कि विधान सभा और संसद के चुनाव सामान्य चुनाव के समय ही कराये जायें। पांच अथवा छः मास के अन्तर से चुनाव नहीं कराये जाने चाहियें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं क्योंकि सत्तारूढ़ दल की सत्ता बनाये रखने के लिए उसे प्रस्तुत किया गया है। आश्चर्य की बात है कि आज भी सरकार संविधान के अनुच्छेदों को बहुत ही भिन्न प्रयोजनों के लिए कर रही है ताकि कांग्रेस की सत्ता बनाई रखी जा सके। सरकार उड़ीसा में कांग्रेस के शासन की कार्यावधि में विस्तार करना चाहती है। पहले एक बार प्रतिपक्षी दल ने 1961 में उड़ीसा में निर्वाचन स्थगित करने के लिए कहा था तो शासक दल इस से सहमत नहीं हुआ था क्योंकि उस समय वहां उसकी स्थिति अच्छी थी। आज उससे बिल्कुल उलट कार्य करने के लिए विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। यही कारण है कि यह विधेयक अनैतिक है।

उड़ीसा में कांग्रेस की प्रतिष्ठा सब से नीची है और शासक दल यह जानता है। इसी कारण से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विधेयक संविधान के प्रतिकूल है।

हमें बताया गया है कि यह आपातकाल की स्थिति है। इसलिए आपात से सम्बन्धित खण्ड के अन्तर्गत वह विरोधी दलों का गला घोंटने के लिए सब कुछ करते रहे। सरकार नहीं जानती कि आपात को समाप्त किया जा रहा है या नहीं। इसलिए उसने यह कह कर एक खण्ड जोड़ दिया है कि यदि आपात की स्थिति न भी रहे तो भी आपात की उद्घोषणा समाप्त होने के बाद विधान मण्डल को कम से कम 6 मास के लिए जारी रखा जा सकेगा। उसने वर्तमान विधान मण्डल को जीवित रखने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया है ताकि कोई चुनाव न हो।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समय बढ़ाने के लिए शासक दल का यह अन्तिम प्रयत्न है ताकि ऐसे समय जब कि उसकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई है, उसे चुनावों का सामना न करना पड़े। इसीलिए केन्द्र में सत्ता होने के कारण वे संविधान के अनुच्छेदों तथा खण्डों का निर्वाचन अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं।

श्री रंगा : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के विचारों से पूर्णतया सहमत हूं। यह एक अनैतिक विधेयक है और उड़ीसा की स्थिति के बारे में सरकार का दृष्टिकोण अनैतिक है। वर्तमान सरकार उड़ीसा के लोगों के दुःख दूर करने में असफल रही है। प्रशासन अपना मुख्य कर्तव्य निभाने में असफल रहा है। वर्तमान उड़ीसा सरकार बेईमान, भ्रष्ट तथा अदक्ष है। हाल ही में जो घटनायें हुई है तथा जो अब हो रही हैं, उनको दखते हुए उसे एक दिन के लिए भी सत्ता में नहीं रखना चाहिये। वर्तमान विधेयक का प्रयोजन इस सरकार को सत्ता में बनाये रखना है। इसी कारण सरकार नये निर्वाचन कराने के लिए तैयार नहीं है।

सरकार को या तो निर्वाचन कराने चाहियें या नई सरकार बनानी चाहिये या वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना चाहिये। पहले एक अवसर पर सरकार ने विरोधी दल के विरोध के बावजूद उड़ीसा में मध्यकालीन चुनाव कराये थे क्योंकि उस समय कांग्रेस दल ऐसा ही चाहता था।

कल माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने यह माना है कि खाद्य की स्थिति के कुप्रबन्ध के कारण खराब है तथा वहां अनाज काफी मात्रा में उपलब्ध है। उड़ीसा सरकार को इस बात की जानकारी थी कि वहां क्या होनेवाला है परन्तु उसने समस्या हल करने के लिए काफी तैयारी नहीं की थी। वहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री विधान सभा के चुनाव में हार गये थे। इसलिए बदला लेने की भावना से वहां अकाल और भुखमरी की स्थिति पैदा की गई है। वर्तमान मुख्य मंत्री दो पद से हट चुके मुख्य मंत्रियों के दबाव के अधीन कार्य कर रहे हैं। भूख से मरने वाले इन लोगों की सहायता के लिए उन्हीं लोगों को करोड़ों रुपये दिये गये हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विभिन्न प्रकार की सहायता का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। इसलिए, वर्तमान मंत्रि-मण्डल हटा दिया जाना चाहिये और या तो वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना चाहिये या सामान्य चुनाव कराये जाने चाहियें।

उड़ीसा में कांग्रेस की प्रतिष्ठा अब बिल्कुल कम है। कांग्रेस के पराजित होने की सम्भावना है। चुनाव कराये जाने चाहिये। चुनावों के पश्चात् शासक और प्रतिपक्षी दलों के नेता पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे। उड़ीसा के मंत्रि-मण्डल को हटाने की बजाये इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

Shri H. C. Soy (Singhbhum) : I oppose the Bill. The present Orissa Government has driven out 3,000 poor people from Simil area of Mayurbhanj District where they were rehabilitated by the forest authorties ten to fifteen years before. It is an unparallel act of cruelty. These people were asked to vacate this area and to go back to Bihar wherefrom they originally came. When these people refused to go, the forest officials with the help of the police drawn them out . It is a disgrace to our democratic system. They were subjected to harassment. Their houses were burnt. Even the rice stocks were also burnt.

I wrote two letters separately to Chief Minister of Orissa and Union Home Minister but I have not received any reply.

I would request that an inquiry should be held into the whole matter immediately and the uprotted people should be rehabilitated. In the matter of rehabilitation these people should be treated at par with the refugees coming from Pakistan.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : विधेयक का उद्देश्य उड़ीसा राज्य में कांग्रेस के भ्रष्ट शासन की अवधि को, जिसे कोई नहीं चाहता, बढ़ाना है।

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 172 (1) के अन्तर्गत लाया गया है जिस में यह उपबन्ध है कि जब आपात की उद्घोषणा हो और आपात को समाप्त किया जाये तो विधान सभा की अवधि को केवल 6 मास के लिये ही बढ़ाई जा सकती है। क्या यही कारण है कि गृह-कार्य मंत्री आपात को समाप्त करने में विलम्ब कर रहे है क्योंकि अगले आम चुनावों में केवल 8-9 महीने ही रहते हैं।

देश में सामान्य परम्परा के अनुसार जब आम चुनावों के होने में केवल 6 महीने से कम का समय रह गया हो तो हम कोई उप चुनाव नहीं कराते। इस प्रथा के अनुसार उड़ीसा में अगले आम चुनाव तक राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना चाहिये।

वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन के संबंध में गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION REGARDING STATEMENT OF HOME MINISTER ON REORGANISATION OF THE PRESENT STATE OF PUNJAB

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I beg to move that the statement made by the Home Minister on the 18th April, 1966 regarding re-organisation of the present state of Punjab may be taken into consideration.

The decision to divide further the present State of Punjab is an act of short-rightedness and the result of the policy of appeasement and bowing down to the pressure of the Akalies. It is an act for which country would never forgive the Government.

[**श्री शामलाल सर्राफ पीठासीन हुए।**
SRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

First of all, this demand for Punjabi Suba was made in 1942 when Cripps Mission visited India. After that in 1945 during the Simala Conference Master Tara Singh said that if Mr. Jinnah agreed to the formation of Sikh State, he would agree to the formation of Pakistan. I would say that from the very beginning this demand is based on religion and not on language. Since 942, this demand is being raised from time to time in various names such as Sikhistan, Khalistan, Punjabi Suba and so on.

It can be proved beyond doubt from various speeches of Master Tara Singh that the demand of Punjabi Suba is based on communal and religious considerations After the 1947 partition Sardar Patel in a convocation address at Ambala said tha he was feared to put Master Tara Singh in jail because of his intentions. Sardar Patel further said that in future also people taking my seat would have to take such steps to deal with such persons. So it is quite clear that Master Singh wants a separate State for the Panth. Even as recently as in August 1965, Master has said in Lahore that he wanted to have a state where Sikhs would form a majority. He also said that Akali Sikhs had not signed the Constitution of India.

National Leaders such as Jawaharlal Nehru, Sardar Patel and Lal Bahadur Shastri had fully realized that the demand for a Punjabi Suba was based on communal and it was for that a reason that they had never agreed to that demand. It is pity that the present Prime Minister, who had promised to follow the decisions taken by her predecessors, has reversed the earlier decision and has succumbed to the communal demand. 6th September, 1965 would be considered as a bad day in the history of Punjab and India when Shri Nanda announced to constitute a Parliamentary Committee and a Cabinet sub-committee to consider over this division of Punjab.

The decision to divide the present State of Punjab has also very badly affected the industrial and commercial progress of the present State. The big businessmen and industrialists are leaving their areas and are trying to establish their business and factories in places such as Sonepat, Faridabad and Ghaziabad. Prices of land have gone down in Punjab whereas in Delhi they have gone up by 15 to 30 per cent. Those who wanted to expand their factories have dropped the idea. Much of the machinery which have been imported by these businessmen is lying idle on the ports. People are getting transfer their bank accounts out side the Punjab. This can be verfied from the Reserve Bank. The only reason for all this is that the people of Panjab are convinced that the Government at the Centre is spineless and that it is not going to deliver the goods.

Another thing I want to say is that Akalis including Sant Fateh Singh's group are not prepared to recognise the census figures of 1961 as the basis for the division of Punjab. I would like to say that this is yet another proof of the fact that their demand is purely communal and that they are not prepared to go by linguistic consideration. If the figures of the 1961 Census are not acceptable to them, they can see records of the Punjab university where it will be found that a very large percentage of students have used Hindi in their examinations. It is being said by Akalis that in 1961 people declared Hindi as their mother tongue because of communal and other considerations. In the connection I would like to say that nearly twola khs of Hindus in Jullunder district and about ten thousand Hindus in Gurdaspur dis trict have declared Punjabi as their mother tongue. Apart from that it is a fact that nobody can compel anyone to declare a particular language as his mother tongue. It is a matter of one's own Choice.

If 1961 Census figures are not acceptable to the Akalis then I would request the Home Minister to take a bold step and collect the figures afresh on the language question and then take a decision on that basis. There is yet another alternative and that we should wait till 1971 Census.

Akalis have not done justice to Punjabi language by pressing a demand for separate state and ultimately succeeding in it. At present Punjabi is being taught in 19 districts whereas after re-organisation it will be taught only in 9 districts. In this way also they have not gained much. In the proposed Punjabi Suba, the use of Devnagari as a script for Punjabi language should also be allowed.

As regards the location of the Capital, if the tehsil of Kharar is included in Hariana, because it is a Hindi speaking area, its capital should be Chandigarh and for Punjabi Suba it could be Patiala. It will not be wise to incur huge expenditure in building a new capital. We could have a joint board so far as Bhakra Dam is concerned.

The Government's decision to divide Punjab has poisoned the climate of the State and until conditions are improved, we should not give effect to the proposed division. For the interim period we should promulgate President's rule in Punjab.

The Government have only sown the seeds of disintegration by agreeing to the linguestic reorganisation of states. The mistake can now rectified by forming five administration units for whole of the country with a strong centre.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : मुख्य प्रस्ताव तथा संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

Shri Daljit Singh (Una) : The Home Minister in his statement made it amply clear that the reorganisation of the present state of Punjab will take place only on linguistic basis and not on communal basis. This has already been done in other states of the country. A decade ago Punjabi and Hindi two regions were formed in the Punjab. The Home Minister has given a good deal of detail about these regions in his statement. The question was hanging fire for quite a long time and it is good that a decision in this regard has now been taken.

The census figures of 1961 cannot be taken as correct because at that time the people were influenced by communal and other feelings. If we compare the figures of Hindi speaking and Punjabi speaking people in 1961 with the figures of the previous censuses, we will find that the difference is very much disproportionate. It is also true about the figures of the Kangra district also.

I would request the hon. Minister to appoint an independent body and that may be asked to go to the rural areas adjoining the present Punjabi region and collect information on the language question and if politics is kept out of the whole matter, I am sure they will not find any Hindi speaking people there.

The Home Minister has made the statement on correct lines. Let Punjab be reorganised on a linguistic basis and let all Punjabi speaking areas be included in the proposed State.

Shri Gulshan (Bhatinda) : Government have acted wisely by accepting the demand of Punjabi Suba. The demand was made on the basis of language only and it was Shiromani Akali Dal which took up the matter and had all along been pressing for it through peaceful means.

After independence all states have been reorganised on linguistic basis. I could not understand why Punjab alone have been made an exception. All sections in House welcomed the statement made by the Home Minister on 23rd September last. There is no point now in opposing the whole question.

The Census figures of 1961 cannot be accepted as the basis of the demarcation of the boundary between the proposed states because the figures are not reliable. If 1961 census is taken as the basis it will create new complications and difficulties. Hundreds of Memoranda were submitted and scores of witnesses had appeared before the Parliamentary Committee but none of them had made any mention of 1961 Census. Regional formula which has already been enforced should be accepted as the basis for demarcation of boundary of proposed states. The present state should be divided on the basis of villages and not on tehsils.

I feel that the reference to census is irrelevant at this stage. I would like to state that the census was wrong. I may give statistics in support of this contention. I have already said that the Home Minister wanted to give his decision after rejecting 1951 Census and without including the Ambala District.

In 1911, in Ambala 3 per cent people spoke Hindi, in 1921, this number was 5 per cent and in 1931 the number was nil. Those who spoke Punjabi were 35 per cent, in 1921 it was 41 per cent and in 1931 in was 36 per cent. Those who spoke Urdu they were Muslims and they migrated to Pakistan after partition.

I have got statistics to prove that the census of 1961 was wrong. The same applies to the districts also. These new figures of statistics will create difficulty in future.

Anandpur Sahib can in no case go out of Punjabi Suba. The Sachar Formula was a regional formula. New Punjab should have new boundary. If you go by census it will create more difficulties and communalism.

Shri Lahri Singh (Rohtak) : First of all I will congratulate the Home Minister. He would not have agreed to it if it had been a demand from Sikhs only. This demand was of the people of Haryana, of Dogras, of Kangra and of the Sikhs of Punjab. This demand is not a new one. There have been agitations for it in the past months in the form of Hindi agitation, some times from the Sikhs and at other times from the Dogras. Keeping in view this fact the Central Government has given a correct decision and the name of Home Minister, Shri Gulzari Lal Nanda, will be written in golden letters.

You created Andhra Pradesh after much trouble and then Gujarat too after much bloodshed and nobody gained anything from it. Sikhs are brave people and so are the Jats and other Zamindars and they could not be left unsatisfied. When the three communities are not prepared to live together, it is good that they have been given separate places to live in. This will create more patriotism amongst these people. There will be more avenues of development there.

Mr. Shastri just now spoke and said that the industrialists are running away from Punjab. That is not a fact. Industries remain at the place of safety.

It is the Jan Sangh and Arya Samaj and Shri Shastriji is one of them whose leaders by their speeches are creating this trouble and excite people. It is due to this attitude of their, that I resigned from Jan Sangh. I want to tell that these things brought ruin to Punjab previously and can ruin it in future also.

Parliament created in 1957 the two regions in Punjab *viz.* Hindi region and Punjabi region after consulting the Punjab Government and the M. L. As. of Punjab and then approved that fact. That could have been the basis of new states now, with minor adjustments. The appointment of a Commission as has been done now was not necessary. It will again create new problems.

Haryana does not have a capital of its own. Either the present capital should be a joint capital for both or Chandigarh should be given to Haryana. The High Court can also be common for both. Similarly the irrigation and power department should be common for both.

U. P. is a big state and it is not manageable. It would be better if 7 or 8 of U.P.'s districts along with Alwar, Bharatpur etc. are amalgamated with Haryana. Delhi should also be merged with Haryana. The capital of India should be shifted to Nagpur as it is not proper to have valuable documents here in view of its nearness to Pakistan. Parliament House can remain here.

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : महोदय, एक उच्चस्तर का आयोग इस सीमाओं के प्रश्न की जांच कर रहा है और इस लिये हमें यहां पर प्रत्येक शब्द तोल कर अपनी वाणी से निकालना चाहिये।

मुझे गृह-कार्य मंत्री के इन शब्दों पर आपत्ति है कि 1961 की जनगणना के अतिरिक्त अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

[श्री दे० द० पुरी]

इस 1961 की जन गणना के बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं। पहली तो यह कि यह सरकारी तौर पर स्वतंत्रता के पश्चात पहली जनगणना है। यह 1931 की जनगणना के पश्चात पहली सरकारी जनगणना है। 1931 और 1961 के बीच हिन्दी को काफी हद तक प्रिय बनाया गया था। इसका श्रेय आर्य समाज को भी जाता है और विशेषकर डी०ए०वी० संस्थाओं को। यदि आप उन विद्यार्थियों की संख्या देखें जिन्होंने 1931 के पश्चात हिन्दी में परीक्षा दी तो वह काफी बढ़ी हुई मिलेगी।

दूसरी मुख्य बात जो हुई इस मामले में वह यह कि हिन्दी को राज भाषा बनाया गया है। इस कारण अनेक लोगों ने हिन्दी को अपनी मातृभाषा बना लिया है।

तीसरी बात यह कि 1931 के पश्चात् पहली बार पंजाबी को गुरमुखी लिपि में लिखा जाने लगा। इस लिये जिन्हें गुरमुखी लिपि नहीं आती थी, उन्होंने हिन्दी को अपनी भाषा बना लिया।

यदि संविधान में अपनी राय प्रकट करने का अधिकार दिया है तो कोई यह नहीं कह सकता कि कोई आदमी अमुक भाषा में अथवा मातृभाषा में लिख नहीं सकता।

एक और निष्पक्ष आयोग ने भी अर्थात् राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी कहा है कि किसी व्यक्ति को ऐसी भाषा को अपनी मातृभाषा बनाने पर विवश नहीं किया जा सकता जिसे वह स्वयं न जाने।

इस लिये मैं कहता हूं पंजाब तथा हरियाणे की सीमा 1961 की जनगणना के आधार पर ही होनी चाहिये। जो 1961 की जनगणना है उसे टाला नहीं जा सकता।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों के बनने के पश्चात से बहुत से गांव तथा क्षेत्र हिन्दी क्षेत्र से पंजाबी क्षेत्र में मिला दिये गये हैं। परन्तु हिन्दी क्षेत्र में एक भी गांव पंजाबी क्षेत्र से हिन्दी क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब ग़लत हुआ है। अब पंजाब के क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश में भी, कुछ क्षेत्र मिलाया जा रहा है। पंजाब के सारे हिन्दी भाषी क्षेत्र हरियाणा में मिलने चाहियें थे।

Shri Gajraj Singh Rao (Gurgaon) : The country was partitioned due to wrong attitude of people. To declare that such and such religion is not worth trusting or is a traitor and that we only are the patriots is all wrong. It was due to this feeling that the country was partitioned and we people sided with Jinnah.

There has been a reference about some businessmen. I would say that these people exploited the Hindus of Haryana. Now after the creation of these two states they have felt it much and it has caused "ache in their stomach". (Pet Men dard Hai).

Mr. Chairman : The words "Pet Men dard Hai" are unparliamentary and you should withdraw them.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे विचार में शब्द "पेट में दर्द है" इन्हें असंसदीय नहीं कहा जा सकता।

श्री उ० मु० त्रिवेदी (मंदसौर) : यह शब्द असंसदीय नहीं है। यह तो अलंकार के रूप में कहे जाते हैं।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur) : This is an Urdu proverb used only when nobody is taunted.

Shri Bagri (Hissar) : By declaring these words unparliamentry, one is attacking the language.

Shri Gajraj Singh Rao : I have used it in that sense only.

Mr. Chairman : If you have used these in that sense then you can proceed further.

Shri Gajraj Singh Rao : So now those who used to exploit will not have much opportunity to do so. During the last 18 years we do not find a simple judge on the bench of the Punjab High Court. In other places too you will not find them more than 2 per cent. It was due to this reason that the P. S. P. and Jan Sangh parties of Haryana wanted Haryana.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अभी आप और समय लेंगे ?

श्री गजराज सिंह राव : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर आप कल जारी रख सकते हैं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य विभाग तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथराव) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं लोक सभा में 13 तथा 14 मई 1966 को लिये जानेवाले सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य देने के लिये खड़ा हुआ हूं जो इस प्रकार होगा :—

(1) वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बारे में गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य पर श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार ।

(2) उड़ीसा विधान सभा (कार्यावधिका को बढ़ाया जाना) विधेयक 1966 पर आगे विचार तथा उसे पारित करना ।

(3) एशियन डेवलपमेन्ट बैंक विधेयक, 1966 पर विचार तथा उसे पारित करना ।

(4) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में दिल्ली प्रशासन विधेयक 1965 पर विचार तथा उसे पारित करना ।

(5) संविधान (उन्तीसवाँ संशोधन) विधेयक 1966 पर विचार तथा उसे पारित करना ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उड़ीसा विधान सभा (कार्यावधिका बढ़ाया जाना) विधेयक पर विचार किया गया परन्तु वह अधूरा रह गया । अच्छा यह होगा कि इस पर अब विचार किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका सुझाव अध्यक्ष महोदय के पास भेज दूंगा ।

आधे घंटे की चर्चाएं
HALF-AN-HOUR DISCUSSIONS

(एक) सेनाओं के हटाये जाने के बारे में जनरल मरम्बियों की बात चीत

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, this discussion has been raised on the basis of agreement reched at Tashkent. One of the agreements was that we have to withdraw our forces from those areas where we had advanced. The other was that both India and Pakistan are to decrease the strength of their forces in Kashmir.

[Shri Madhu Limaye]

So far as Pakistan is concerned that country pays best regard to the to agreements, promises and assurances which that country gives. In practice they break these assurances and agreements.

The agreement which I am referring today relates to the one entered into in 1949 under the U.N.O.

Further it has been said :—

"The action permitted by paragraph (f) above shall not be accompanied or accomplished by the introduction of additional military potential by either side into the State of Jammu and Kashmir."

Whenever there is a cease-fire agreement, we lose a part of our territory. In accordance with earlier cease-fire agreement we gave a part of Kashmir State which was taken over by Pakistan though we have a *de jure* claim on that area, yet it is now meaningless. Now there is again a cease-fire agreement or Tashkent Agreement. Under this Agreement our forces will have to withdraw on the position they held on August 5. Accordingly in Sialkot Sector we have given up a territory covering 36 acres, which was demarcated as Indian territory and about which there was no dispute. This fact was admitted even by the Defence Minister himself.

Similar is the case with Kutch Agreement. Therein it was laid down that we would have to maintain the positions held prior to 1st January, 1965. It entitled Pakistan for patrolling in Kanjarkot and Ding-Surai areas. It means that these Indian areas have also been given to Pakistan, though Pakistan never used these areas before for patrolling purposes.

Regarding the reduction of the quantum of troops in the state of Jammu & Kashmir, I would like to refer to the present Agreement. Wherein it was agreed that "military pontential to be located in the state will not be more than as accepted by UNMOGIP in the context of the 1949 agreement." This was agreed to even 17 years ago that a particular quantum of troop would stay is the state.

It has been violated by Pakistan time and again. This agreement would also meet the same fate. Hardly two months have passed since the Agreement was concluded and we began receiving information regarding large scale movment of Pakistani troops and construction of motorable roads etc. across the cease-fire line. In Akhnoor-Sialkot Sector Pakistan is getting constructed another canal on the pattern of Ichhogil Canal. These are all warlike preparations, which constitute the violation of the Agreement. Even then our Govt. insists upon maintaining cordial and friendly relations with Pakistan. This has been the policy of Govt., but without success. So I submit that the present policy should be reviewed.

Now I shall say something about Intelligence Deptt. of Kashmir Govt. which failed in carrying out its responsibilities. It has been proved by the fact that a large number of infiltrations crossed into Indian territory without the least knowledge of it to our Intelligence Deptt. So I request that this Department should be improved.

One point more. If you reduce the strength of troops in Kashmir, what would happen to Ladhakh? On the one hand you speak of defending Ladhakh against China, on the other, you are going to reduce military troops meant for mountaineous warfare. Therefore I say that there is no use in entering into such agreements.

Shri Kishen Patnayak (Sambalpur) : I would like to know whether the Defence Minister knows the meaning of 'Razakars and Mujahids'. If it is admitted that there are razakars or Mujahids in Azad Kashmir, it means that we have not got soverignty over that.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के उत्तर और अन्य वक्तव्यों के माध्यम से इस विषय में काफी सूचना दे चुका हूं और उसी के आधार पर यह आधे घंटे की चर्चा उठाई गई है। माननीय सदस्य ने "36 एकड़" वाला प्रश्न इसमें और जोड़ दिया है।

मैंने इस बात को पहले भी स्पष्ट किया था और बतलाया था कि यह करार ताशकन्द घोषणा के अनुवर्ती करार के रूप में है। अतः हम उन अनुवर्ती कार्यों को कर रहे हैं जो समझोते में प्रतिपादित किये गये थे।

माननीय सदस्य ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में वर्तमान सैन्य बल को घटाये जाने के बारे में उल्लेख किया है और उनका संदेह है कि उससे जम्मू तथा काश्मीर राज्य की रक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि लद्दाख की रक्षा के लिये तैनात सेना काश्मीर राज्य में रखी जाने वाली सीमित सेना से पृथक होगी।

श्री पटनायक ने बड़ा ही रुचिकर प्रश्न किया है और पूछा है कि मैं रजाकार या मुजाहिद का अर्थ जानता हूँ या नहीं। मैं शायद शब्द-व्युत्पत्ति की दृष्टि से इन शब्दों का अर्थ नहीं जानता किन्तु इनका व्यावहारिक अर्थ मैं अवश्य समझता हूँ। हमने उन सभी लोगों को गिना है जो शस्त्रों से लैस है अथवा जो किसी भी प्रकार युद्ध में भाग ले सकते हैं चाहे उनका नाम रजाकार हो या मुजाहिद। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का लड़ने का हक हमने कभी स्वीकार किया ही नहीं है। हमने मुजाहिदों या रजाकारों को कभी भी स्वतंत्रता के सैनिक के रूप में नहीं माना। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक व्यावहारिक प्रश्न है जिसे हल करने के लिये ही ताशकन्द घोषणा को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न श्री लिमये जी ने यह उठाया था कि क्या पाकिस्तान इमानदारी से इस समझौते को क्रियान्वित करना चाहता है। वस्तुतः कुछ ऐसी घटनाएँ अवश्य हुई हैं जिनसे यह शंका उत्पन्न होती है। हमें इस बारे में बहुत ही सावधान रहना होगा। यदि वे ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन करते हैं तो हम क्या करेंगे यह भी स्पष्ट है। वैसे हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिससे इस करार को कार्यरूप देने में कोई बाधा उत्पन्न हो जाय।

जहाँ तक काश्मीर सरकार के गुप्तचर विभाग का सम्बन्ध है, मैं यह मानता हूँ कि हमारा यह विभाग पूर्णता के स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन जैसा मैंने सभा में पहले भी कहा था कि गुप्तचर विभाग के विकास के लिये एक लम्बे अर्से की जरूरत होती है, मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि इस ओर आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं जिससे इस विभाग के कार्य में सुधार हो। यद्यपि गुप्तचर विभाग के माध्यम से हमें यह मालूम हो गया था कि युद्ध-विराम रेखा के उस पार किस प्रकार का निर्माण-कार्य हो रहा है, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और किस प्रकार के हथियार वे प्राप्त कर रहे हैं, किन्तु उनके मुख्य कार्य 'घुसपैठ' के विषय में जानकारी प्राप्त करने में हमारा विभाग असफल रहा है। इसी दृष्टि से हम अपने गुप्तचर विभाग को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री त्यागी (देहरादून) : हाजी-पीर क्षेत्र में वर्तमान स्थिति के विषय में आपके पास क्या जानकारी है? समाचार पत्रों में यह सूचना प्रकाशित हुई थी कि वे 20 गांवों को खाली करा रहे हैं और उस क्षेत्र में पक्के रक्षा-संस्थान बनाये जा रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अब मैं इसी बात पर आ रहा हूं। आप लोगों की तरह मुझे भी यह सूचना मिली है किन्तु इस प्रकार की आक्रमक तैयारियों से हमें भयभीत होने की आवयश्कता नहीं है। हम इसके प्रति सजग है। इससे अधिक मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : क्या आपने ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे घुसपैठ दुबारा न हो।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि पाकिस्तान फिर ऐसा करेगा तो हमें जो करना चाहिये हम वही करेंगे। इससे अधिक बताना रक्षा कार्य के हित में वांछनीय नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि हम प्रति दिन प्रति सप्ताह सम्बद्ध उच्च अधिकारियों के साथ इस स्थिति का पुनर्विलोकन करते रहते हैं।

(दो) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : राष्ट्रीय अनुशासन योजना के साथ मेरा विशेष रूप से सम्बन्ध रहा है। इसे सब से पहले श्री भोसले ने आरम्भ किया था। इस योजना की श्री देशमुख ने भी प्रशंसा की थी। इस योजना का उद्देश्य यह था कि विद्यार्थियों में नया जीवन डाला जाय और नई राष्ट्रीय शक्ति निर्माण की जाय। इस योजना को केन्द्र द्वारा बड़ी सफलता पूर्वक चलाया जा रहा था। अब इस योजना को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया है। हमें इस स्थिति का अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिये। मेरे तो आरंभ से ही यह विचार रहे हैं कि शिक्षा की मद केन्द्र के पास होने चाहिये और इसका संचालन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये। हमारे भीतर एकता की भावनाओं का निर्माण होना चाहिये और भारतीयता के प्रति गौरव की भावना होनी चाहिये। श्री चागला ने भी राष्ट्रीय अनुशासन योजना की प्रशंसा की है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन को नया रूप देना था।

इस दिशा में जहां तक मुझे जानकारी है 7000 कर्मचारियों को इसके लिये प्रशिक्षित किया गया है। अब एकदम इनको राज्यों में भेजा जा रहा है नैशनल फिटनेस कोर के अन्तर्गत। मेरा कहना यह है कि यह केवल 7000 कर्मचारियों का प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न है वह इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता का निर्माण होगा? हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि वे लोग एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिन्होंने हमारे युवकों के आचरण के विकास के लिये कुछ प्रयास करने का वचन दिया है।

जो कार्य हम करना चाहते हैं उसे देखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि योजना जिस उद्देश्य के लिये आरंभ की गयी थी वह पूरा नहीं हो सकता। मैं तो इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि किसी भी केन्द्रीय योजना को राज्यों को सौप दिया जाय। इसके अतिरिक्त जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार चौथी योजना के अन्तर्गत सरकार का विचार यह है कि एक लाख प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाय। यदि यह बात सही है तो यह पूछा जा सकता है कि वर्तमान 7000 प्रशिक्षकों की सेवाओं का प्रयोग क्यों नहीं सरकार द्वारा किया जाता? साथ ही यह पूछा जा सकता है कि इस संख्या में वृद्धि क्यों नहीं। मुझे पूरी आशा है कि शिक्षा मंत्री की निणय जिनके हृदय में योग्य युवकों के लिये असीम सहानुभूति है, इस निर्णयपर पुन: विचार करके ठीक पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं श्री चक्रवर्ती का समर्थन करती हूं, परन्तु मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि प्रशिक्षकों की बदली अनिवार्य रूप से राज्य सेवा में कर दी गयी है, और उनका कोई भी दोष न होते हुए उनके कुल वेतनों में

भारी कटौती कर दी गई है। और साथ ही अनेक राज्य उन लोगों को पदोन्नति के अवसर देने के लिये सहमत नहीं हुए हैं यद्यपि तथ्य यह है कि इनमें से कई लोगों की सेवायें 10 से 12 वर्षों से भी अधिक है।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : मैं श्री चक्रवर्ती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। परन्तु इसके साथ ही मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मेरे विचार में आप राष्ट्रीय एकता चाहते है, और राष्ट्रीय अनुशासन योजना में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना है और इसके लिए उत्साह भी निर्माण किया जा सकता है। सरकार को यह बताना चाहिये कि उन लोगों को अखिल भारतीय पदालि के रूप में क्यों नहीं रखा जाता। यदि ऐसा कर दिया जाय तो इससे राष्ट्रीय एकता और अधिक हो सकती है। उन लोगों को राज्यों को हस्तान्तरित कर देने से यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता।

डा० उ० मिश्र (जमशेदपुर) : मैं श्री चक्रवर्ती का समर्थन करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि मैंने अलवर में सरिस्का केन्द्र देखा है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार को यह बताने की कृपा करनी चाहिये कि योजना को राज्यों को क्यों हस्तांतरित किया जा रहा है। हम यह क्यों भूले जा रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से एक मजबूत केन्द्रीय प्रशासन की आवश्यकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : कुंजरु समिति ने तो शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री भी अखिल भारतीय प्रणाली की बात कहते रहे है। अत: यह बात समझ में नहीं आ रही कि वह अब पृथकरण की वर्तमान प्रवृत्तियों को क्यों पैदा कर रहे है। क्या उनसे यह आशा की जा कि वह इस समस्या पर यहां हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए उस पर पुन: विचार करेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मुझे इस बात का हर्ष है कि श्री चक्रवर्ती ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने इस मामले को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारे देश में कई प्रकार की शारिरिक पद्धतियां चल रही है। इन पद्धतियों में बड़ी अस्वस्थ प्रतियोगितायें चल पड़ी थी। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में गलत प्रतियोगिता और दोहरेपन को दूर करने के लिये सरकार ने स्कूल क्षेत्र पर एक एकीकृत पद्धति रखने के लिये कुंजरू समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, और एक व्यापक योजना चालू की गई है। राज्य सरकारो ने उस योजनाको सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है परन्तु इसकी क्रियान्विति में कठिनाइयां हैं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना में 7000 प्रशिक्षक हैं और एक बड़ी संख्या में शारिरिक शिक्षा प्रशिक्षक हैं। समस्या यह थी कि या तो हम सभी पी० टी० प्रशिक्षकों को केन्द्रीय पदालि के अधीन ले लें या इनको राज्यों को सौंप दें ताकि एक मिली-जुली प्रणाली बनायी जा सके। हमने राष्ट्रीय अनुशासन योजना के उन प्रशिक्षकों के लिये शर्तें तैयार की है, जिन को अभी हस्तांतरित नहीं किया गया है। हमने हस्तांतरण के लिये जो दो महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं उनमें से एक यह है कि उनका वेतन कायम रखा जायेगा तथा दूसरी यह कि वरिष्ठता भी कायम रखी जायेगी। भत्ते का प्रश्न विचाराधीन है। राज्य सरकारों के विचार अभी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं और कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद हम अन्तिम निर्णय लेंगे।

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम प्रशिक्षकों को हटा नहीं रहे हैं। हम केवल एक प्रणाली में विलय कर रहे हैं। उन के हित हमारे ध्यान में हैं। और हम इस बात का भरकस प्रयत्न करेंगे कि इस से उनको कोई हानि न हो। हम उन शिक्षकों को हटा नहीं रहे हैं। हम उन्हें एक संगठित योजना में मिला रहे हैं।

[श्री भक्त दर्शन]

अन्त में मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मामला राज्य सरकारों के साथ चल रहा है। बात चीत हो रही है। अभी तक हम कुछ अन्तिम रूप से कहने में असमर्थ है। इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि यदि राज्य सरकारों ने बात नहीं मानी तो हम इस मामले पर पुनः विचार करेंगे और केन्द्र का नियन्त्रण कायम रखने का प्रयास करेंगे।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 13 मई, 1966/23 वैशाख, 1888 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, May 13, 1966/ *Vaisakha* 23, 1888 (*Saka*).

8546

भा०स०मु०ना०—से० 2—74 लोक सभा/66—26-10-67—565